Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का ३५ वां दिवस [संख्या २७

गुरुवार, दिनांक २६ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक म० पू० ८.०७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, स्वास्थ्य, उप-निवेशन, गृह, स्वायत्त-शासन, खनिज, राजस्व कृषि व सामान्य प्रशासन विभाग]

बानीना तालाब–तहसील गंगरार

६६३. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़-गढ) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील गंगरार (जिला चित्तौड़) का बानीना तालाब कब निर्मित हुआ और इस पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(२) क्या इस तालाब का निर्माण किसी ठेकेदार द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका भुगतान किया जा चुका है।

(३) क्या यह सही है कि इस तालाब के निर्माण में आसपास के गांव (खारखंडा, कचनारिया आदि) के लोगों ने इस आश्वासन पर श्रमदान किया था कि इस तालाब से उनके गांवों में नहर दी जावेगी ? यदि हां, तो यह आश्वासन किसने दिया था तथा लोगों द्वारा श्रमदान कितने का किया गया और क्या श्रमदान की राशि उक्त ठेकेदार को किये गये भुगतान से काटी गई थी ?

(४) श्रमदान करने वाले किन गांवों को पानी दिया गया और किन को नहीं ! पानी नहीं दिये जाने का क्या कारण है तथा क्या भविष्य में इन गांवों को नहर द्वारा पानी देने का सरकार विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) तहसील गंगरार जिला चित्तौड़-

Page No. 2

गढ़ बानीना तालाब सन् ५४–५५ में निर्मित हुआ था। इस पर ४८, ६२४ रुपये का व्यय हुआ।

(२) जी हां।

(३) श्रमदान आश्वाशन पर किया होगा किन्तु पानी की कमी से नहर नहीं दी गई। श्रमदान का अनुमान करीब ५,०००) रु० होगा। चूंकि श्रमदान कार्य ठेके से अलग था अत: उसकी लागत काटने व न काटने का प्रश्न नहीं उठता।

(४) बानीना और झटवाडा गांवों को ही पानी उपलब्ध होता है। चूंकि पानी की मात्रा सीमित है अन्य गांवों को जल देना असम्भव है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : जिन गांवों से श्रमदान लिया गया है उनको पानी नहीं मिलता। इसका मतलब यह हुआ कि श्रमदान नहीं रहा वह तो बेगार हुई।

श्री दिनेशराय डांगी : श्रमदान तो वहां के लोग चाहते थे इसलिये दिया होगा। पर पानी की जितनी गुंजाइश हो सकती थी वह सारा पानी दे दिया गया।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : जान बूझकर बिना काम के ही श्रमदान थोड़े ही किया जाता है। नहर का पानी उनको भी मिलेगा इस इच्छा से श्रमदान किया है।

श्री दिनेशराय डांगी : श्रमदान में कम्पलशन नहीं होता, स्वेच्छा से दिया जाता है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : सरकारी मुलाजिम भी शामिल था लालचन्द पटवारी और उसकी कोशिश से वह श्रमदान कराया गया है।

श्री दिनेशराय डांगी : इस प्रकार की जानकारी मेरे पास नहीं कि जबरदस्ती काम लिया गया हो।

टोडा भीम की नल योजना

६६४. **श्री श्रवणलाल (हिन्डौन)** : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या सरकार ने टोडा भीम में नल लगाने की कोई योजना बनाई है ?

(२) यदि हां, तो सरकार इस योजना को कब तक प्रारम्भ कर रही है ?

(३) यदि नहीं बनाई गई है तो कब तक बनाई जावेगी ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) :

(१) जी हां।

(२) योजना ४, ६८,०००) की लागत की बन चुकी है और उसकी टेक्निकल स्क्रूटिनी की जा रही है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रवण लाल : योजना बननी कब आरम्भ होगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : टेक्निकल स्क्रूटिनी होने के बाद ही इसके बारे में कहा जा सकता है ।

प्रश्न संख्या ६६५

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल (अनुपस्थित) राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में किसानों को जमीन का पुख्ता अलाट मेन्ट

६६६. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या उपनिवेशन विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट में किसानों को जमीन पुख्ता अलाट करने के लिये नियम बना दिये गये हैं ? अगर नहीं, तो कब तक बनेंगे ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में किसानों को जो जमीन पुख्ता अलाट की जायगी उस विषय के नियम अभी तक पारित नहीं हुए हैं । इस विषय में केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार व राजस्थान सरकार सम्मिलित रूप से अन्तिम निर्णय पर अभी तक नहीं पहुंच पाये है ऐसी सूरत में यह प्रश्न कब तक अन्तिम रूप से तय हो सकेगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता ।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या उन नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेजर पोइन्ट्स ऑफ पोलिसीज डिसाइड होकर उन पर अमल होना बाकी है । और ये जब डिसाइड होंगे तभी उन पर रूल्स बनेंगे । वैसे कुछ बना लिये हैं पर इनको तब तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता, जब तक पोलिसी डिसाइड होकर उस पर अमल होने का मौका नहीं आवे ।

श्री भीमसेन : क्या इन नियमों में राजस्थान के डेज़र्टेड एरिया के काश्तकारों को जो भूमिहीन हैं उनको प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जमीन में जहां तक प्रायोरिटीज़ देने का सवाल है भूमिहीनों को और राजस्थान के डैज़र्टेड एरिया वालों को खास तौर से प्राथमिकता देने का प्रश्न है प्राथमिकता तो दी जायेगी लेकिन उसकी प्रायोरिटी किस नम्बर पर आती है वह सवाल अलग से है ।

श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : यह निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोशिश की जा रही है, जितना जल्दी हो सकेगा यह व्यवस्था की जायेगी ?

श्री मनफूलसिंह : कोई निश्चित तारीख है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस समय कहना कठिन है लेकिन हम प्रयत्नशील हैं कि जल्दी हो ।

श्री भीमसेन : सरकार तो कह रही है कि जल्दी करेंगे लेकिन कोई समय भी तो होगा २ महीने में, ४ महीने में, ६ महीने में ?

Page No. 4

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब कोई कोम्पलीकेटेड क्वश्चन दो सरकारों के बीच में आता है, तो देरी होना स्वाभाविक है।

प्रश्न संख्या ६६७

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स द्वारा सरकारी जीप का दुरुपयोग

६६८. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के हनुमानगढ़, तलवाड़ा तथा पीलीबंगा डिवीज़न के एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर्स माह फरवरी, ६३ में सरकारी जीप का दुरुपयोग करते एन्टीकरप्शन विभाग द्वारा पकड़े गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर्स अपने अपने क्षेत्रों से सरकारी जीपें लेकर गंगानगर में सिनेमा देखने आये थे तथा जब वे सिनेमा देख रहे थे उन्हें एन्टीकरप्शन अधिकारियों ने मय सरकारी जीप के पकड़ा ?

(३) यदि हां, तो क्या उपरोक्त इन्जीनियर्स को सस्पैन्ड किया गया ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) तीनों एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर्स सरकारी जीप में गंगानगर जाकर रैस्ट हाउस में ठहरे थे और दिनांक ६-२-६३ को सरकारी जीप में सिनेमा देखने गये थे।

यह भी सत्य है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारी ने इन अफसरों को जीप सहित दिनांक ६-२-६३ को चैक किया था।

(३) जी नहीं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : इस संबंध में और क्या कार्यवाही की गयी है ! उन पर कोई केस कायम किया गया है या और कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनको चार्जशीट दे दी गयी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केवल चार्जशीट ही दी गयी हैं ? सरकारी अधिकारी सरकारी जीप का दुरुपयोग करें और वह भी इन्जीनियरिंग विभाग के तो उसमें सिर्फ आप चार्जशीट ही देना सफिशियेन्ट समझते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : चार्जशीट देने के साथ ही साथ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होती है और डी० ई० के लिए चार्जशीट प्राईमरी स्टेज है कि उनको चार्जशीट सर्व की जाती है उसके बाद इन्क्वायरी होती है, फिर पनिशमेंट होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो ए० सी० डी० द्वारा पकड़े गये हैं। तो बाकायदा

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एफ० आई० आर० चौक-आउट हुई होगी और फिर ए० सी० डी० वाले डिपार्टमेंट को लिखते हैं कि उनको सस्पेन्ड किया जाये। एन्टीकरप्शन वाले डिपार्टमेन्ट को कहते हैं कि उनको रिमूव किया जाये ताकि वह विटनैसेस वगैरह को टैम्पर-विथ न कर सकें। वह तीनों के तीनों इन्जीनियर्स आज भी गंगानगर में मौजूद हैं। उन्होंने कुछ विटनैसेस को दबाकर विनओवर कर दिया है। उनका ट्रान्सफर या सस्पेन्शन या कोई और एक्शन तो लिया जाना चाहिए था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो निश्चित बात है, कि उन्होंने जीप का मिसयूज़ किया। सब सभी विटनैसेस टैम्पर हो जायें तो ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि उसमें सरकमस्टैन्शियल ऐवीडेन्स भी हैं। जीप मौके पर पकड़ी गई सिनेमा देखते हुए वह इन्जीनियर्स पकड़े गये, उसका फोटोग्राफ भी है इसलिए टैम्परिंग आॅफ दी विटनैसेस का प्रश्न नहीं होता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक इनफौर्मेंट ने बताया है कि वह जीप उस जगह पर खड़ी है। वह इनफॉर्मर भी उस केस में आता है। उसके बाद कुछ लोगों को लेकर ए० सी० डी० के डी० एस० पी० ने देखा और पकड़ा। तो इन्फॉर्मर पर जोर डाला जा रहा है। मौके पर विटनैसेस लिये वह दफा १६४ में भी बयान देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको रोका गया क्योंकि बहुत से कॉन्ट्रेक्टर्स जो कि इनके इनफ्लुएन्स में हैं, वह बराबर एप्रोच करते हैं। सरकार उनको सस्पैन्ड नहीं करती तो उस जगह से रिमूव तो कर दे ताकि ऐसे विटनैसेस को टैम्पर नहीं कर सकें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने जैसा निवेदन किया कि यह गवाह जिनके नाम आपने बताये हैं उनके स्टेटमेंट हो चुके हैं, और यह मामला ओरल एवीडेन्स पर इतना आधारित नहीं है जितना कि सरकमस्टैन्शियल ऐवीडेन्स पर। वह रैस्ट हाउस में ठहरे, सैकिण्ड शो में गंगा टाकीज़ में गये, उसके बाद सिनेमा देखा, पकड़े गये तो यह सब सरकमस्टेन्शियल एवीडैन्सेस हैं जिनको टैम्पर करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। यह सरकमस्टेन्सेस ही ऐसी हैं कि जिनमें उनके खिलाफ मिसयूज़ ऑफ जीप बिल्कुल प्रमाणित है और इसके बाद ऐसी जानकारी नहीं है कि विटेनेसेज को टम्पर किया जा रहा है। इसलिए चार्ट शीट देने के बाद डी० ई० हो रही है। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रश्न नहीं है कि उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : यह जांच डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां।

श्री अध्यक्ष : इन्क्वायरी ऑफिसर मुकर्रर हो चुके हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां। जहां तक ए० सी० डी० का ताल्लुक है उन्होंने इन्क्वायरी करके भेज दिया है और डी० ई० जो अपोइन्टेड हैं उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूल सिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इनका मौरल असर भी बहुत बुरा पड़ता है कि करप्ट ऑफिसर्स को कॉन्सिटेन्टली वहां पर रखा जाये।

श्री अध्यक्ष : Next.

नहरों में पानी की कमी

६६६ **श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गंग केनाल और भाखरा केनाल में इस वर्ष कितना कितना क्यूसेक्स पानी मिला है ?

(२) जितना पानी गंग केनाल और भाखरा में मिलना चाहिए था उससे कितना कम मिला है ?

(३) कम पानी मिला है उसके लिये राजस्थान सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है ?

(४) क्या यह सही है कि इन नहरों में जो कम पानी मिल रहा है उसका प्रबंध करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसी आफिसर को भी नियुक्त किया है ? यदि हां, तो यह आफिसर मुस्तकिल तौर पर नियुक्त किया गया है या आरजी तौर पर ?

(५) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष गंग केनाल एरिया में और भाखरा में पानी की कमी के कारण गेहूं की फसल बहुत कम बोई गई है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलत राम सारण) : (१) इस वर्ष रबी में गंग केनाल में १५ मार्च, तक १,६५,००० क्यूसेक डेज व भाखरा की नहरों को ७ फरवरी तक १,६२,४७८ क्यूसेक डेज पानी मिला है।

(२) इन तारीखों तक क्रमशः गंग केनाल को ३,२८,००० क्यूसेक डेज व भाखरा नहरों को १,७४,७०० क्यूसेक डेज पानी मिलना था परन्तु क्रमशः १,२३,००० व १२,२२२-क्यूसेक डेज पानी कम मिला।

(३) राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार व भारत सरकार को अपने न्यायोचित हिस्से के लिए लिखा है और उस पर कार्यवाही जारी है।

(४) जी नहीं, आफिसर की नियुक्ति का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(५) जी हां।

श्री मनफूलसिंह : पंजाब सरकार को जो लिखा है उसका क्या नतीजा निकला है ?

श्री दौलतराम सारण : नतीजा निकालने की चेष्टा की जा रही है।

श्री भीमसेन : (लूणकरण सर) सरकार ने कब लिखा है पंजाब गवर्नमेन्ट को ?

श्री दौलतराम सारण : विभिन्न स्तरों पर कई बार प्रयास किया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (रायसिंहनगर) किन किन स्तर पर प्रयास किया गया है जरा बताने की कृपा करें ।

श्री दौलतराम सारण: हर स्तर पर नीचे से ऊपर तक ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लैटर लिखा गया है या नार्थ जोन कमेटी में आपने रिजोल्यूशन मूव किया है या इन्जीनियर्स की इस संबंध में मीटिंग हुई है, या भारत सरकार को प्रोटैस्ट नोट किया है या पंजाब सरकार को प्रोटैस्ट नोट किया है ? कम से कम जनता को मालूम तो हो कि पानी रोका गया है उसका क्या क्या हुआ जरा खुलासा बात कह दें ?

श्री दौलतराम सारण : इस संबंध में सदन में कई बार प्रश्न आ चुके है । कई बार उनका उत्तर दिया जा चुका है इसलिए गोल माल का सवाल नहीं है यह प्रश्न बहुत स्पष्ट है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: बिलकुल स्पष्ट प्रश्न है । इसका बिलकुल निश्चित जवाब होना चाहिए । सदन में जब भी पूछा जाता है तो कह दिया जाता है कि प्रयत्न किये जा रहे हैं । प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि इसका आप निश्चित उत्तर दें इसलिए निश्चित प्रश्न पूछा गया है कि क्या क्या आपने प्रयत्न किये हैं । प्रोटैस्ट नोट दिया है या क्या किया है ? नार्थ जोन की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई रेफरेन्स ही नहीं दिया ।

श्री दौलतराम सारण : आपने बहस के समय भी यह प्रश्न रखा था और उस संबंध में सारा स्पष्टीकरण सदन के सामने कई बार और इस समय भी मैं निवेदन कर चुका हूं कि हर स्तर पर इस बात का प्रयास किया गया है कि हमारे हिस्से का पानी हमें मिले और इसके लिए पंजाब सरकार से भी प्रयास किया गया है और जब पंजाब ने ठीक तरह से पानी हमें नहीं दिया तो भारत सरकार से इस संबंध में प्रयास किया गया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केवल एक तथ्य सामने आया है कि २७.तारीख को इस संबंध में मीटिंग हो रही है उससे पहले आपके एफर्टस क्या रहे हैं ? आपको सदन में कौन्फीडेन्स में लेकर इसका उत्तर पूरी तरह से बताना चाहिए कि क्या क्या आपके प्रोटैस्ट नोट्स रहे हैं ? उसके संबंध में पंजाब ने क्या जवाब दिया इस संबंध में आपको बिलकुल स्पष्ट उत्तर देना चाहिए । राजस्थान की जनता जानना चाहती है । पंजाब ने जो हमारा राजस्थान के हिस्से का पानी छीन लिया है आखिर वहां भी कांग्रेस सरकार है इस तरह से हम कब तक गुजारा करेंगे ? हमारा इलाका अकाल ग्रस्त है और राजस्थान की ग्रेनरी गंगानगर है । अकाल की स्थिति और भी अधिक गम्भीर बनती है इसमें बिलकुल कौन्क्रीट आप को जवाब देना चाहिए कि कब कब आपने प्रोटैस्ट नोट दिया है यह हम जानना चाहेंगे ।

श्री दौलतराम सारण : एक्शन लेते हैं, चीफ इन्जीनियर के स्तर पर लिखा पढ़ी की गई, मुख्य मंत्री के स्तर पर लिखा पढ़ी की गई और नैगोसियेशन्स किये गये और पंजाब सरकार से, भारत सरकार से पत्र व्यवहार किये गये, विभिन्न समयों पर रिमाइन्डर किये गये, १९६० से लेकर आज तक बराबर परस्यू किया

Page No. 8

(श्री दौलतराम सारण)

गया। एक बार नहीं, अनेक बार रिमाइन्डर दिये हैं, २४-३-६२, ५-७-६२, ३१-१२-६२, २७-१२-६३, १६-१२-६३, और १७-२-६४, को रिमाइन्डर भेजे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह प्रोटैस्ट की है या रिमाइन्डर दिये हैं?

श्री मनफूलसिंह : इन रिमाइन्डर्स का पंजाब सरकार ने क्या जवाब दिया?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : यह कह कर चलते हैं कि जो पानी हमारे हक का है वह दे रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति गम्भीर है, इतने प्रोटैस्ट लेटर लिखे गये और इतने रिमाइन्डर दिये लेकिन पंजाब सरकार द्वारा टालमटोल की गई इस सम्बन्ध में इसलिए इस प्रश्न को गम्भीरता से लेना चाहिए और सदन को तसल्ली दिलानी चाहिए कि सरकार ने इस सम्बन्ध में गम्भीरता से एक्शन लिया है। जैसा मुख्य मंत्री ने कहा है, उस तरह अगर मसला हल नहीं होता है तो वे इस्तीफा दे दें। इससे राजस्थान की स्थिति गम्भीर होती जा रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके सम्बन्ध में एक डिटेल्ड नोट प्री-इन्डिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बीच के पीरियड की और ट्रीटी के बाद की अवधि में जो पानी बराबर आता रहा है, उसके बेसिक पर और रबी के अन्दर डैमेज कितना होता रहा है, पानी उस क्षेत्र में कितना मिलना चाहिए था- इस सबका एक डिटेल्ड नोट तैयार करके, हमने जो कुछ लिखा है और बातचीत की है उसका परिणाम नहीं आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज कर इन्टरवीन करने के लए कहेंगे।

अभी हमने वर्बली कहा है, ऑफिशियली मूव करने की जरूरत महसूस हुई तो वैसे करके इन्टरवीन करने के लिए कोशिश की जायगी।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : जब सरकार यह मानती है कि पानी की कमी के कारण किसानों का नुकसान हो रहा है तो क्या इर्रीगेशन चार्जेज और दूसरे चार्जेज में पानी की सप्लाई के कम्पैरीजन में रियायत देने का विचार करती है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें कई फैक्टर्स है। मैं समझता हूं कि प्रश्नोत्तर में वे हल नहीं हो सकते। प्री-इंडिपेंडेंस और पोस्ट-इंडिपेंडेंस पीरियड और इस ट्रीटी होने के बीच में कुछ पानी ज्यादा आया है और इस वजह से इर्रीगेशन का रकबा पहले से बढ़ा है, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा और कई फैक्टर हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन सबको देख कर चलना होगा। जहां पानी न मिलने की वजह से फसल खराब हो गई है, उसके बारे में निवेदन करूं कि अभी पांच सात दिन पहले मैं गंगानगर जिले में गया था, इसको पूरी तरह देखना चाहिए कि जहां नुकसान हुआ है उनको इसके लिए खराबा देना चाहिए। यह लिख कर भेजा है कि कुछ जगह जमीन काश्त के लिए अलॉट की गई हैं, उनसे जो किश्त वसूल की जाती है-अगर उन्हें पानी नहीं मिला है और फसल खराब हो गई है तो किश्तों को मुल्तवी किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न उठता है, स्थिति गम्भीर होती जा रही है, अभी तक पंजाब सरकार को प्रोटैस्ट लैटर भेजे हैं और भारत सरकार से जबानी बात की है। मैं समझता हूं कि सदन को इस बात से संतोष होगा कि भारत सरकार को रिटन प्रोटैस्ट नोट दे दें। जबानी बात करने से कोई बात हल नहीं होने वाली है। सारे के सारे मेमोरैन्डम भारत सरकार के सामने रिटिन करें और उसमें एक स्पेसीफाइड पीरियड कर दें। यह तो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है।....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझ गया, मैं जवाब दे दूं। जो नोट तैयार किया है, अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त बजट पर सामान्य वादविवाद हो रहा था और उसका जवाब मैं दे रहा था उस वक्त जो आपने सुझाव दिया था कि इसके लिए एक कन्सलटेटिव कमेटी हो जिसके अन्दर इन सारे मसलों पर विचार किया जा सके- उस कमेटी के सामने यह नोट प्रस्तुत कर देंगे और उसके बाद एडीशनल फैक्टस माननीय सदस्य दे सकेंगे तो एक कम्प्लीट डिटेल्ड नोट, स्टैटिस्टिक्स और डेटा के साथ भेजेंगे। उसको तैयार करके, आप जो कह रहे हैं, उस प्रकार एक्शन लेना चाहिए। यह हम चाहते हैं और फुल डिटेल्स फैक्ट्स और फिगर्स भेजना चाहते हैं। वैसे हमने कहा है कि पानी कम आ रहा है, इसके लिए तार दिये हैं और लेटर भी दिये हैं। अभी वह यह कह कर चलते हैं कि बराबर पानी दे रहे हैं इसलिए डेटा के साथ नोट तैयार किया है। वह तैयार हो गया है। मैं समझता हूं कि बातचीत करने के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों को बुलायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, आसन से व्यवस्था की गई थी कि एक कन्सलटेटिव कमेटी फोर्म कर दी जाय। लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है। बाकायदा कमेटी फोर्म हो जाय और उसके सामने नोट सबमिट करादें और कमेटी जो मौके देखना चाहे उसको देखने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : वह जल्दी व्यवस्था कर देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमने माननीय सदस्य से पूछा कि किस मामले में वे जानकारी दे सकते हैं वह दें तो आपने कहा कि ओफिशियल कमेटी फोर्म हो जाय तब देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा मतलब मेरे अकेले से, व्यक्तिगत तौर पर नहीं है। हाउस के १७६ सदस्य हैं, सब इसमें इन्ट्रैस्टैड हैं। यह कमेटी फोर्म हो जाय वह अपनी रिपोर्ट दे, तो उचित ढंग सेपरस्यू होगा। इसमें मेरी व्यक्तिगत राय का प्रश्न नहीं उठता। आपको इस सदन को कोन्फीडेंस में लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री ने लिसाड़ा ड्रेन के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कहा था कि २१ तारीख की मीटिंग के अन्दर लिसाड़ा ड्रेन से दो चार दिन के बाद हनुमानगढ़ में पानी छोड़ा जायगा। उसी प्रकार निश्चित कमिटमेंट मुख्य मन्त्री का होना चाहिए जिससे १७६ सदस्यों को बल मिले और सोचे कि सरकार इसके अन्दर दृढ़ संकल्प है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद।

श्री मनफूलसिंह : भाखरा से पानी मिल रहा है, वह भाखरा के स्टोरेज से मिल रहा है, उसके लिए एग्रीमेंट या पंजाब का कि २१

[श्री मनफूलसिंह)

सितम्बर से १,४४२ पोइन्ट पानी मिलने लगेगा, वह पानी पंजाब नहीं दे रहा है।

श्री दौलतराम सारण : इस तरह के विवाद के प्रश्न हैं, तो जिस समय चर्चा होगी, बातचीत होगी-उस समय हल किया जायगा।

श्री मनफूल सिंह : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब २१ सितम्बर को पानी भाखरा का मिलना चाहिए, रिवर फाल से वह पानी नहीं दिया जा रहा है यह लीगल पोइन्ट है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आ रहा है।

श्री मनफूलसिंह : नहीं मिल रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं अभी भाखरा कैनाल चलती हुई देख कर आया हूं।

श्री मनफूलसिंह : २१ सितम्बर को जो रिवर फौल से मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भाखरा कैनाल का पानी चल रहा है, लेकिन २१ सितम्बर से रैगुलरली रिवर फौल से बिल्कुल पानी प्राप्त नहीं हुआ है, यहां तक १५ पर्सेन्ट भाखरा से पानी प्राप्त होना चाहिए, मैं चैलैंज करके चल सकता हूं कि दस पर्सेन्ट से ज्यादा पानी प्राप्त नहीं हुआ है। १५ पर्सेन्ट तक आंकड़े नहीं पहुंचे हैं।

श्री मनफूल सिंह : जो पानी मिल रहा है वह दूसरा मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : ६७०.

लाखेरी नगरपालिका की सीमा

६७० **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या लाखेरी नगरपालिका की सीमा राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित करके राज-पत्र में प्रकाशित कर दी गई है ? यदि हां, तो कब, कौनसी आज्ञा से ?

(२) क्या म्युनिसिपल बोर्ड लाखेरी की सीमा की पत्थर गढी राजस्थान सरकार की आज्ञानुसार करवाई गई है ?

(३) यदि हां, तो नगरपालिका की सीमा की पत्थर गढी करवाने के बाद म्युनिसिपैलिटी एक्ट के अनुसार बोर्ड को कार्य करने का अधिकार है या नहीं ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) लाखेरी नगरपालिका की सीमा आज्ञा क्रमांक डी ६११३।५७। एफ १ (बी) (२१) स्वा. शा. वि (ए) ५१ दिनांक २-८-५७ द्वारा निर्धारित की गई है। राजपत्र में दिनांक २६-८-५७ को प्रकाशित हुई है।

(२) जी हां।

(३) बोर्ड को अपनी सीमा में कार्य करने का अधिकार है जो क्षेत्र नगरपालिका से निकाल दिया गया है उसमें कार्य करने के अधिकार नहीं हैं।

Page No. 11

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो आपने सीमा निर्धारित की है, उसके बाद क्या कोई एग्रीमेंट राज्य सरकार ने तय किया है !

श्री दौलतराम सारण : लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री के साथ राज्य सरकार ने एग्रीमेंट तय किया था।

श्री हरिप्रसाद शर्मा--उसके हिसाब से म्युनीसिपेलिटी को काम करना होगा या राजपत्र के हिसाब से नगरपालिका को काम करना होगा ?

श्री दौलतराम सारण : एग्रीमेंट के अनुसार लाखेरी नगरपालिका को दस हजार रुपये सालना दिये गये हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: मैं यह नहीं पूछता। मैं पूछ रहा हूं कि जो एग्रीमेंट किया है, उसके अनुसार म्युनीसिपेलिटी को काम करना होगा या जो नोटीफिकेशन के बाद सीमा निर्धारित की है उसके अनुसार कार्य करना होगा ?

श्री दौलतराम सारण : जिस सीमा को एक्सक्लूड किया है उसके बाद जो सीमा म्युनीसिपेलिटी की रही है उसके अन्तर्गत नगरपालिका को काम करने का अधिकार है। एक्सक्लूडेड सीमा के अन्दर जो सीमेन्ट फैक्ट्री के अन्तर्गत आता है उसमें सीमेन्ट फैक्ट्री का अधिकार है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि एग्रीमेंट एक नहीं हुआ है, दो किये गये हैं। एक बार एग्रीमेंट किया और फिर सप्लीमैन्ट्री एग्रीमेंट दुबारा कर लिया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, यह एग्रीमेंट....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एग्रीमेंट हुआ सन् १९५९ के अन्दर और उसके अन्दर यह तय हुआ है कि म्युनिसिपैलिटी जो है उसके एरिया के अन्दर जो सीमेंट फैक्ट्री आ गई थी उसको एक्सक्लूड करके यह तय किया गया था कि १० हजार रुपये सालाना म्युनिसिपैलिटी को सीमेंट फैक्ट्री देगी और औक्ट्रोय वगैरह नहीं देगी। उसके बाद यह तय हुआ है कि यदि सीमा के बारे में कोई डिफरैन्स औफ ओपीनियन होगी तो गवर्नमेंट जांच करवायेगी। जब हमारे समक्ष यह प्रश्न आया कि वहां पर बाउन्ड्री डैफिनिट नहीं है तो एस० डी० ओ० को आर्डर दिया गया कि वहां पर जाकर उस बाउन्ड्री को डैफिनिट कर दें कि यह म्युनिसिपैलिटी की बाउन्ड्री है और यह फैक्ट्री की है। जो आपने फर्माया उस लाइट में ऐसी कोई सीरियस बात नहीं आई है कि चेन्ज करने के लिये गवर्नमेंट सोचे। यदि म्युनिसिपैलिटी को काम करने में दिक्कत आयेगी और यह प्रश्न सामने आयेगा तो सरकार कार्यवाही करेगी कि इसके अन्दर क्या क्या चेन्जेज किये जायं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें जिलाधीश की राय नहीं ली गई है और न म्युसिपैलिटी की राय ली गई है। उसका परिणाम यह हुआ है कि दो मील के लम्बे सैक्टर को जिस पर काफी आबादी बसी हुई है, म्युनिसिपैलिटी की सीमा से बाहर कर दिया गया है, जिससे म्युनिसिपैलिटी को लाखों रुपयों का लोस हो रहा है, जबकि नुकसान के एवज में सीमेंट कम्पनी

Page No. 12

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

से १० हजार रुपया ही सालाना तय किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । वहां पर म्युनिसिपैलिटी काम ही नहीं कर सकती है इनकी मर्जी होती है तो सीमेंट कम्पनी से सांठ-गांठ कर लेते हैं और वहां पर म्युनिसिपैलिटी की हालत खराब हो रही है ।

जोधपुर डिविजन की लाइम स्टोन की खानों में एक्सीडेन्ट्स

६७१.**श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) जोधपुर डिविजन में लाइम स्टोन के उन क्षेत्रों में, जहां १० वर्गमील या उससे अधिक की लीज दी हुई है, वहां खानों की अधिकतम गहराई क्या है ? सूचना लीजवार दी जावे ।

(२) क्या उक्त खानों में, एक्स्प्लोजिव खदान कार्य हेतु काम में लाये जाते हैं ? यदि हां, तो किस किस लीज में ?

(३) हर लीजवार १ जनवरी, १९६३ से ३१ जनवरी, १९६४ तक निम्न श्रेणी के मजदूरों की, निम्नतम व अधिकतम माहवारी संख्या क्या थी:–

(अ) एडोलिसेन्ट,

(ब) एडल्ट,

(स) चाइल्ड,

(द) विमन ?

(४) उक्त लीज में, उक्त अर्से में, कितने एक्सीडेन्ट्स हुए व किस लीज पर हुए व उनकी सूचना विधिवत प्रेस्क्राइब्ड आथोरिटीज को कब कब दी गई व कब कब उसकी इन्क्वायरी उस आथोरिटी ने की ?

उपमन्त्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) चाही गई सूचना निम्न प्रकार है: —

नाम लीज	खानों की अधिकतम गहराई
१, गोटन लाइम स्टोन लीज	६ फीट
२, मून्डवा लाइम स्टोन लीज	१३ फीट
३, मन्डला लाइम स्टोन लीज	४० फीट
४, अटवड़ा लाइम स्टोन लीज	१५ फीट
५, बासनी लाइम स्टोन लीज	१० फीट
६, घघराना लाइम स्टोन लीज	६ फीट

(२) जी हां, लगभग जानकारी ही सब ही लीजों में ।

(३) लेसीज माहवारी रिटर्न्स में सिर्फ मर्द व औरतों की प्रतिदिन की माहवारी औसतन संख्या देते हैं । जिसकी सूची सदन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

की मेज पर रख दी गई है। जहां तक इस विभाग की जानकारी है। इस अवधि में लेसीज के रिकार्ड में एडोलिसेन्ट या चिल्ड्रैन को काम पर लगाना नहीं बताया।

(४) खानों में एक्सीडेन्ट्स की जांच पड़ताल व रोकथाम का दायित्व इन्सपेक्टर्स ऑफ माइन्स का है। माइन्स एक्ट के अन्तर्गत इनकी सूचना प्रेस्क्राइब्ड आथोरिटीज यानी चीफ इन्सपेक्टर ऑफ माइन्स, रीजनल इन्सपैक्टर ऑफ माइन्स एण्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना ही आवश्यक है। लेसीज से जो जानकारी प्राप्त हुई। उसके अनुसार उक्त अर्से में कोई एक्सीडेंट होना प्रतीत नहीं होता अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न नं० ३ के जवाब में आपने यह बताया कि जो लैसी ने कमिट किया है उसके आधार पर मर्द और औरतों का एवरेज दिया जाता है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वहां पर यह जांच की गई है कि वहां पर एडोलेसेन्ट और चिल्ड्रेन काम नहीं कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि माइन्स एक्ट के तहत वह नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : जब आपका लैसी से एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट में लैसी को बाउन्ड डाउन किया जाता है कि जो भी कोई कानून लागू हों तो उनको वह मानेगा। तो क्या सरकार ने इस स्थिति की जानकारी करने की कोशिश की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसका ऐक्शन लेने का अधिकार माइन्स एक्ट १९५४ के तहत हम लोगों को नहीं है। सैन्ट्रल गवर्नमेंन्ट को है।

श्री तेजाराम गहलोत: मैं माइन्स एक्ट के तहत नहीं अर्ज कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आपने जो सूचना दी है प्रश्न नं० ४ के तहत कि वहां पर कोई एक्सीडेन्ट नहीं हुआ है, तो मैं श्रीमान् से निवेदन करूंगा कि मैं यह साबित कर सकता हूं कि एक्सीडेंट हुए हैं और आदमियों की मौत भी हुई है। तो क्या सरकार इस प्रकार से लापरवाही और गलत सूचना देने के बारे में लैसी के बारे में ऐक्शन लेने की कोशिश करेगी ?

श्री रामप्रसादलड्ढा : मैंने निवेदन किया कि जो सूचना मैंने जिन आदमियों को डैप्यूट किया गया था, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो मैंने निवेदन किया कि लेसीज से जो जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार उक्त अर्से में कोई एक्सीडैन्ट होना प्रतीत नहीं होता है यह मैंने निवेदन किया है। आप कहते हैं कि कोई एक्सीडैन्ट हुआ है कोई बता सकेंगे इन्स्टान्स ऐक्सीडैन्ट की जो कि इस अर्से में हुआ बताया जाता है तो उसकी जानकारी प्राप्त करने में सरकार को क्या एतराज हो सकता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर) अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर बात है लैसी क्यों बतायेगा ? आखिर ऐक्सीडैन्ट हुआ है तो लैसी को कम्पैन्सेशन देना पड़ेगा और बातें

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

देनी पड़ेगी। ऐसी घटनाऐं रात दिन हो रही है। जगह २ लैसी ऐक्स्प्लौयटेशन कर रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे एक्सीडेन्ट होते हैं तो नियमानुसार कुछ जगहों पर सूचना देते है। जहां पर सूचना दी जानी चाहिए वहां पर सूचना नहीं आती है और इनसे पूछते हैं कि कोई एक्सीडेन्ट हुआ है तो यह कहते हैं कि कोई एक्सीडेन्ट नहीं हुआ है। तो सारी एजेंसीज की जानकारी के बावजूद भी आप कोई ऐसी बात बताते हैं जो एक्सीडेन्ट की तारीफ में इस पीरियड में होना आती है, तो जानकारी करने में और जांच करने में सरकार को कोई एतराज नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं साबित कर दूंगा और सरकारी रेकार्ड से साबित कर दूंगा और पुलिस थाने में रिपोर्ट हुई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन कर चुका हूं कि मेरी अपनी सूचना में वह नहीं है

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं कि जांच करा लेंगे डिटेल दे दें उसके आधार पर और आपको खुद को सम्मिलित कर लिया जायगा उस एन्क्वायरी में।

श्री तेजाराम गहलोत : आपको माइन्स डिपार्टमेंट के इन्जीनियर वगैरह जो इन्सपेक्शन पर जाते हैं, क्या उनकी यह ड्यूटी नहीं है?

श्री अध्यक्ष : वह जानकारी नहीं मिली है इसीलिए तो एन्क्वायरी की बात है।

प्रश्न संख्या ६७२।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

गन्दा नाला, बारां।

६७३. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सच है कि बारां नगर के बीच में एक गन्दा नाला है?

(२) क्या यह सच है कि इस नाले में, हमेशा गन्दा पानी भरे रहने से मच्छर व कीटाणु काफी हो जाते हैं जिससे हमेशा बीमारी का खतरा रहता है?

(३) सरकार इस गन्दे नाले को पक्का बनाने के लिए क्या कदम उठाना चाहती है?

उप-मंत्री, स्वायत्त-शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) म्युनिसिपल बोर्ड से इसके लिए सहायता देने की मांग आने पर विचार किया जा सकता है।

श्री दयाचन्द सोन : क्या यह सच है कि बारां म्यूनिसिपल बोर्ड ने कोई इस तरह का प्रस्ताव पास करके भेजा कि इस नाले को पक्का किया जाय?

श्री दौलतराम सारण: इस समय मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। प्रश्न की सूचना आने पर नगरपालिका ने यह अवश्य बतलाया है कि इसमें १०-१५ हजार रुपये का खर्चा होने का अन्दाजा है। अगर वह निश्चित रूप से प्रस्ताव भेजेगी तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री दयाचन्द सोन: क्या यह सच है कि नाले की गन्दगी की वजह से वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरी तरह प्रभाव पड़ता है?

श्री अध्यक्ष: आप म्युनिसिपैलिटी से प्रस्ताव पास कराइयेगा।

श्री दयाचन्द सोन: अध्यक्ष महोदय, उसमें इतने मच्छर होते हैं, कि उन मच्छरों के मारे सोया नहीं जाता है।

श्री अध्यक्ष: म्युनिसिपैलिटी से प्रस्ताव पास कराकर भिजवायें।

श्री दयाचन्द सोन: बाहर से लोग आते हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है?

श्री अध्यक्ष: आप म्युनिसिपैलिटी से कहें, कि प्रस्ताव भेजें:

श्री लक्ष्मणप्रसाद।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (डिगोद): जब सरकार मानती है कि इतना रुपया खर्च होगा, तो खर्च करने की क्या आज्ञा दी जायगी?

श्री दयाचन्द सोन: मंत्री महोदय वहां पर अस्पताल का उद्घाटन करने आयेंगे और वहां एक मिनिट भी खड़े होंगे तो मालूम पड़ जायगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आजकल उनकी तबियत बहुत नाजुक है। ऐसी जगह मत ले जाइये।

प्रश्न संख्या ६७४

श्री अध्यक्ष: श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा।

झुन्झुनू नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही

६७५. **श्रीमती सुमित्रा** (झुन्झुनू): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या अध्यक्ष, नगरपालिका झुंझुनूं के विरुद्ध राज्य सरकार ने कोई जांच करवाई थी?

(२) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा? जांच रिपोर्ट की प्रति कृपाया सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर पालिका अध्यक्ष को कोई नोटिस दिया गया है?

(४) यदि हां, तो नोटिस दिये कितना समय हुआ? क्या इस पालिका अध्यक्ष के

(श्रीमती सुमित्रा)

खिलाफ कोई कार्यवाही करने में राज्य सरकार को कोई अड़चन है ? यदि हां, तो क्या ?

उपमंत्री, स्वायत शासन : (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही मुकम्मिल होने तक जांच रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना मुनासिब नहीं होगा।

(३) जी हां।

(४) शो-कांज नोटिस दिनांक १६-६-६३ को दिया गया था। अध्यक्ष को निलम्बित कर दिया गया है।

श्रीमती सुमित्रा : यह चार्ज किसको दिया गया है ?

स्वायत्त-शासन मंत्री, (श्री बरकतुल्लाखां) जहां पर प्रेसीडेन्ट संस्पेन्ड हो जाता है या किसी कारण से काम नहीं कर सकता है, तो वायस चैयरमैन काम करता है। वायस-चैयरमैन का इस्तीफा पहले हो चुका है, इसलिए कलैक्टर को यह पूछा गया है कि इसके बारे में कौन मैम्बर मुनासिब होगा जो इस काम को कर सके। कलैक्टर का जवाब आने पर उसकी रिकमन्डेशन आने पर उसके ऊपर उस आदमी को नोमीनेट कर दिया जायगा एक महीने तक काम करने के लिए।

श्रीमती सुमित्रा : क्या यह बात सही है कि वही अध्यक्ष सब कागजों को देख रहे हैं और काम कर रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है। अध्यक्ष तो निलम्बित है।

श्रीमती सुमित्रा : यह सूचना मैं दे रही हूं कि वह काम कर रहा है और किसी को चार्ज नहीं दिया है। म्युनिसिपल एक्ट में जब वायस-चैयरमैन नहीं हो तो कलैक्टर किसी का नाम रिकमन्ड नहीं कर सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पैरेलल गवर्नमेंट बनाकर बैठे हैं।

श्री दौलतराम सारण : आपने सूचना दी है, तो जानकारी करके आवश्यक कार्यवाही कर दी जायगी।

श्रीमती सुमित्रा : कब तक कर दी जायगी ?

श्री दौलतराम सारण: आज ही पूछ लिया जायगा।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या यह सही है कि अध्यक्ष को निलम्बित करने के बाद भी अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण कागजों पर साइन किये हैं ?

श्री दौलतराम सारण : यह केवल धारणा है।

नम्बरदारी प्रथा लगान की वसूली

६७६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या राज्य सरकार ने नम्बरदारी प्रथा समाप्त करने का निर्णय ले लिया है ?

(श्री भीमसेन)

अगर हां, तो इस प्रथा को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

(२) उपरोक्त प्रथा की समाप्ति पर लगान वसूली एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में सहायता लेने हेतु सरकार ने क्या एजेन्सी रखने का निश्चय किया है ?

(३) क्या सरकार ने लगान वसूली का कार्य संबंधित पटवारियों के सुपुर्द करने का निर्णय लिया है ? अगर हां, तो उन्हें इस अतिरिक्त कार्य के लिये क्या पारश्रमिक देना तय किया है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां, यह प्रथा १५ अक्टूबर, १९६३ से समाप्त कर दी गई है। कानून एवं नियमों में आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं।

(२) लगान वसूली एवं अन्य प्रशासनिक कार्य जो नम्बरदार करते थे अब पटवारियों को दे दिये गये हैं।

(३) जी हां, पटवारियों को इस अतिरिक्त कार्य के लिए १५ रू० प्रति मास अलाउन्स देना तय किया गया है।

प्रश्न संख्या ६७७

श्री अध्यक्ष : श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल :

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह ।

इन्सपेक्टर जनरल द्वारा विभिन्न डिस्ट्रिक्टहैड-क्वार्टर्स का निरीक्षण

६७८. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : Will the Home Minister please reply:-

(1) Is it a fact that the Inspector General of Police is required to inspect the District Head Quarters of Police once every year ?

(2) If so, how many times has the Inspector General of Police visited the various District Head Quarters during the last 5 years ?

उप-मंत्री गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): (1) No specific scale of inspection has been prescribed for the Inspector General of Police.

(2) As Head of the Department and accordibg to necessity the Inspector General of Police has also visited all the District Headquarters once a year or more than that during the last five years.

श्री रामकिशन (वैर) : सुनाई नहीं दे रहा है, अंग्रेजी में क्या कह गये।

श्री अध्यक्ष : अब की बार हिंदी में बोल लीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं हिन्दी में।

(१) आई० जी० पी० के लिये निरीक्षण की कोई विशिष्ट स्केल निर्धारित नहीं है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) विभागाध्यक्ष के नाते एवं आवश्यकतानुसार आई० जी० पी० ने भी समस्त पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स का साल में एक अथवा इससे भी ज्यादा गत पांच वर्षों में दौरा किया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह आप कैसे कहते है ? मेरी जानकारी में है उन डिस्ट्रिक्टस में वे कभी नहीं जाते ?

श्री अध्यक्ष : सवाल इन्सपैक्शन का है।

श्री जुझारसिंह : आपने जानकारी दी है कि उन्होंने साल में एक बार इन्सपैक्शन किया है। मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ में कम से कम ५-६ साल में तो आई० जी० पी० का चेहरा देखा नहीं है, और आप कहते हैं कि वे इन्सपैक्शन करते हैं। पहले के आई० जी० पी० की क्या प्रथा रही है, फरमावें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां तक उनके इन्सपैक्शन का संबंध है, आई० जी० पी० के हैड क्वार्टर के ऑफिस इन्सपैक्शन का तो उसके लिये गवर्नमेंट के सर्क्यूलर के आधार पर संकेत दिये गये हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के प्रश्न पर यह आवश्यक नहीं है, कि आई० जी० पी० इन्सपैक्शन करें ही। क्योंकि उनका इन्सपैक्शन डी० आई०जी०पी० द्वारा होता है जिससे इन्ट्रक्शन फुलफिल हो जाता है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) क्या आई० जी० पी० जिलों में गये हैं ? मोटर में बैठकर वहां का दौरा किया है या इन्सपैक्शन किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनकी सरप्राइज विजिट ज्यादा कारगर होती है। उन्होंने जगह जगह आउट पोस्ट, पुलिस स्टेशन और अलग अलग जगह जगह पर सरप्राइज विजिट की है जो एफिशियेन्सी लाने में मदद करती रहती है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न को साइड ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। फैक्ट यह है कि इन्सपैक्शन नहीं करने से पुलिस ऐफिशियेन्सी दिन दिन गिरती जा रही है। जिस तरह का संकेत किया है, हमारी तरफ डाके पड़ते हैं, वारदातें होती हैं पुलिस के गतिशील नहीं होने के कारण। इन्सपैक्शन नहीं करते हैं इस कारण पुलिस में शिथिलता आती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इन्सपैक्शन के तीन लेयर हैं नीचे का इन्सपैक्शन एस. पी. करते हैं, और एस. पी. का इन्सपैक्शन डी. आई. जी करते हैं, और उनका इन्सपैक्शन आई. जी. करते हैं। अब एफिशियेन्सी का स्तर बढ़ रहा है या घट रहा है आज कटमोशन्स के जरिये विशेष प्रकाश डाला जायगा। लेकिन मैं निवेदन करूं कि आई. जी. पी. का दायित्व एक हैड आफ दि डिपार्टमेंट के दायित्व का असर लिये हुए हैं। उनको अधिक से अधिक लाऐंड ऑर्डर मेन्टेन करने, पोलिटिकल सिचुएशन को मेन्टेन करने के दायित्व के अतिरिक्त दूसरे दायित्वों को निभाना पड़ता है। इसी तरह से जैसी प्रश्न की मंशा है, उन्होंने पुनः निवेदन किया है कि मेरी स्थिति विशेष को देखते हुए और संकेत देना चाहिये। फिर भी वे इन्सपैक्शन करते हैं, डी. आई. जी. द्वारा ..

श्री अध्यक्ष : डी. आई. जी. का कौन करता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : करना चाहिये उन्हें, लेकिन दिक्कत इस तरह की आ रही है....

श्री अध्यक्ष : दिक्कत कार्य की है ? इतने बड़े ऑफिस-का इन्सपैक्शन नहीं करे, इसमें दिक्कत का प्रश्न नहीं है, सरकार का आदेश है तो इन्सपैक्शन करना चाहिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है कि इन्सपैक्शन के प्रश्न को किस तरह से सुलझाया जाय। क्योंकि आई. जी. पर ज्यादा बोझ है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार ।

जलालिया बांध, जिला चित्तौड़गढ़

६७६. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जलालिया बान्ध विजयपुर, जिला चित्तौड़गढ़ के निर्माण पर २६ हजार रुपया खर्च हुआ है ? यदि नहीं तो कितना हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि इस बान्ध में एक इन्च पानी भी नहीं है और इससे आज तक एक बीघा जमीन सिंचित नहीं हुई है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि उक्त बान्ध में से तमाम पानी निकल जाता है ?

(४) इसको बनानेवाले ठेकेदार का नाम क्या है ?

(५) क्या सरकार ने उक्त ठेकेदार को बान्ध का पूरा पैसा चुका दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उसकी सिक्योरिटी जब्त हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कितनी ?

(६) क्या इस जलालिया बान्ध में पानी जब बारिश में रुकता है तो उदरों ग्राम की खेती डूब जाती है ?

(७) क्या सरकार इन सब बातों को देखते हुए इस बान्ध की दीवार को तोड़ना चाहती है जो कतई तोड़ी जाने लायक है ? यदि हां, तो कब तक ?

(८) क्या इस बान्ध के निर्माण में हुई अनियमितता के कारण किसी के खिलाफ कार्यवाही हुई है ? यदि हां तो क्या ?

उप-मन्त्री सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं । अब तक करीब ४०००) रु० खर्च हुआ है । काम अभी अधूरा है ।

(२) जी हां ।

(३) काम अधूरा होने के कारण ऐसा संभव हो सकता है

(४) श्री गणपतलाल ।

(५) (अ) जी हां । (ब) जी नहीं ।

(६) जी नहीं ।

(श्री दिनेशराय डांगी)

(७) जी नहीं।

(८) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अब्दुल जब्बार : मंत्री महोदय ने ४,०००) रु० 'खर्च होने बताये हैं । पूरा सुनाई नहीं दिया। कृपया रिपीट करदें पार्ट (१) के जवाब को।

श्री दिनेशराय डांगी : करीब ४,०००) सही रकम भी बता सकता हूं।

अधिकृत रूप से श्रमदान की रकम मिलाकर कुल ६, ४८६. २५ नये पैसे हुए जिनमें से २३७०.८१ नये पैसे श्रमदान के काटे गये तो ३६१७. ७५ नये पैसे बचे इसलिये करीब ४, ०००) मैंने बताये ?

श्री अब्दुल जब्बार : कौन से साल में शुरू किया था ? ठेका कब दिया गया था ?

श्री दिनेशराय डांगी : दिसम्बर ५८ के अंदर।

श्री अब्दुल जब्बार : अध्यक्ष महोदय, ३६ हजार के लिये मंत्रीजी पहले कमिट कर चुके हैं। मैं कागजात पेश कर रहा हूं, सरकार की तरफ से बात की जाती है। ३६००० खर्च किये गये लेकिन उसमें एक बूंद पानी नहीं हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : इसमें २३, २५० की हुई थी, काम कितना हुआ है यह मैंने बताया।

श्री अब्दुलजब्बार : कम्पलीट हो चुका है, मेरे पास गलत इन्फौरमेशन नहीं है। एक बूंद भी पानी इसमें नहीं है। सरकार के धन का दुरुपयोग हो रहा है मैं कागजात पेश करूंगा और बताऊंगा।

प्रश्न संख्या ६८०

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

सिंचाई की दोहरी वसूली

६८१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि भीम तहसील के भूपाल सागर तालाब की कमान्ड में आनेवाले दोगर तालाबों से जो सिंचाई होती है उस पर काश्तकारों से पुख्ता आबियाना के नाम से सिंचाई कर वसूल किया जाता है)

(२) क्या इसके साथ ही साथ उन काश्तकारों से उनको पानी भूपाल सागर के तालाब से दिया जाना बताया जाकर भूपालसागर की बढ़ाई हुई दरों से सिंचाई कर वसूल होता है ?

(३) यदि हां, तो एक ही बार पानी देने की दो बार वसूलियां क्यों होती हैं और क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में अब तक

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंड़ावत)

कोई कार्यवाही कृषकों को इस दोहरे कर से राहत देने के लिए की है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं। भूपाल सागर से पानी लेने पर राजस्थान इर्रिगेशन ड्रेनेज एक्ट के मुताबिक पिलाई की दरें वसूल की जाती है

(३) प्रश्न ही नहीं उठता

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंड़ावत : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि भीम में पहले से दो तीन छोटे छोटे तालाब बने हुए है जिनसे पिलाई की जाती थी। बाद में इर्रिगेशन विभाग ने भोपालसागर तालाब बनाया और इन छोटे तालाबों का पानी इसमें डाल दिया। पहले पिलाई का आबयाना वसूल होता था वह भी और नई सिंचाई दर भी वसूल हो रही है। राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग दोनों ही वसूली कर रहे हैं इसलिये यह डबल वसूली क्यों हो रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है कि डबल वाटर रेट ली जा रही है, वास्तव में इस मामले में सत्यता है। लेकिन इस समस्या को हल करने के लिये ६ फरवरी, ६० को सरकार ने ऐसे आदेश प्रसारित किये हैं कि कोई जमीन जिस के अंदर पिलाई की दर भी शामिल है लगान के साथ और उसके बाद किसी बांध से इर्रिगेशन उस जमीन पर हो जाता है तो उसके इर्रिगेशन चारजेंज अलगसे लिये जाते हैं, पहले की पीवल जमीन है तो एलौटमेंट ऑफ वाटर शामिल है। इर्रिगेशन चारजेंज और लिये जाते हैं तो ऐसे मामले में क्या किया जाय ? ६ फरवरी, को गवर्नमेंन्ट ने आदेश दिया था कि जब तक फाइनल रैन्ट रेट का सैटलमेंट नहीं किया जाय तब तक इर्रिगेशन चारजेज लिये जांय लेकिन वाटर चारजेज माइनस किये जांय। रिवीजन ऑफ रेट के जरिये वाटर सैटिलमेंट रिवाइज करके उनसे लगान लिया जा रहा है उसमें से ४० परसैन्ट रिडक्शन कर दिया जाय यानि १०० के बजाय ६० लिये जायें। इर्रिगेशन चारजेज अकोर्डिंग टू एक्ट लिया जाय, यह जो प्रश्न रखा है वह तालाब से सिंचाई की जमीन के लिये लागू होता है। मुझे खेद है कि सरकारी अधिकारियों ने इस प्रोवीजन का अमल नहीं किया इसलिये दिक्कत हो रही है मैं कोशिश करूंगा कि इसका अमल जल्दी हो और अब तक जो अधिक लिया है वह भी एडजस्ट हो।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : Thank you.

दी "राजस्थान कारबार प्राईवेट लि० बयाना" से बकाया की वसूली

६८२. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि "दी राजस्थान कारबार प्राईवेट लिमिटेड" बयाना (भरतपुर) पर राजस्थान सरकार की हजारों रुपये की बकाया है ? यदि हां, तो कितनी और कब से ?

Page No. 22

(श्री रामकिशन)

(२) क्या सरकार इस रुपये की वसूली का इरादा रखती है ? यदि हां, तो वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लडढा: (१) यह सच है कि राजस्थान कारोबार प्राइवेट लि० बयाना पर १,१५,७२२.१५ नये पैसे की बकाया होना दर्ज है, जिसकी वसूली राजस्थान लैन्ड रेवन्यू एक्ट के आधीन की जा रही है। उक्त बकाया का विवरण निम्न प्रकार है :—

तारीख रिकवरी सर्टिफिकेट जो प्राप्त हुआ।	विभाग का नाम जिसका बकाया है	रकम
१.३१.३.६०	इन्कमटैक्स आफिस	४४,००२.२३ नये पैसे
२.१२.२.५८	भरतपुर माइनिंग विभाग	५२,५००.०० नये पैसे
३.११.६.६०	सवाई माधोपुर माइनिंग विभाग सवाई माधोपुर	१६,२१६.८२ नये पैसे

(२) वसूली के लिये प्रयत्न जारी है। चूंकि यह संस्थान लिक्विटेड हो चुका है और लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तथा श्री एच. सी. गर्ग लिक्विडेटर नियुक्त भी हो चुके हैं। कम्पनीज एक्ट के तहत इन्कमटैक्स ऑफिसर और सहायक अभियन्ता माइन्स विभाग, सवाई माधोपुर ने अपने दावे उक्त लिक्विडेटर के यहां प्रिफरेन्सियल क्लेम दर्ज करा दिये हैं, जिसकी सूचना प्राप्त हो चुकी है।

श्री रामकिशन : आपने यह बताया कि कम्पनी में इतनी रकम बकाया है तो आपने उस कम्पनी को कब नोटिस दिया और फर्म की तरफ से लिक्विडेशन के लिये कब कार्यवाही की गई ? आप तारीख बतावें।

श्री रामप्रसाद लडढा : तारीख की सूचना मेरे पास नहीं है। बीच में तो बोर्ड ऑफ रेवन्यू से स्टे आया था इसलिये २४.७.६२ तक रिकवरी स्टे रही और उसके बाद में यह कम्पनी लिक्वीडेशन में चली गई और यह सूचना ८.५.६३ को प्राप्त हुई कि यह लिक्वीडेशन में चली गई और इसके खिलाफ दावे लिक्वीडेटर के यहां प्रिफरेन्सीयल क्लेम दर्ज हो गये हैं।

श्री रामकिशन : इस कम्पनी में आज ५ ६ साल से बकाया रकम है। लिक्विडेशन में तो यह कम्पनी अभी गई है। इससे पहले जब तक लिक्विडेशन में नहीं गई थी तब तक आपने उनसे रुपया वसूल क्यों नहीं किया और इसके लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री रामप्रसाद लडढा : मैंने निवेदन किया कि २४.७-६२ तक रेवेन्यू बोर्ड से स्टे आया हुआ रहा।

श्री रामकिशन : यह स्टे फर्म ने कब हासिल किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तारीख तो मुझे याद नहीं लेकिन सन् बता सकता हूं। सन् १९६१ में, Year I am telling you, date I cannot tell,

श्री रामकिशन : तारीख की तो बात ही है। आपको तारीख याद नहीं है। इसके पीछे तो राज है। कौनसी तारीख है यह आपके पास सूचना नहीं है। इसके पीछे तो बड़ा भारी राज है इसको आप समझ लें। इस पर रुपया बकाया है। चुनावों के समय में किसी दल बन्दी से यह सब हुआ है। ये जब राजबहादुरजी वहां थे, वे उनके साथ गये, और उनको यह स्टे मिला। इसलिये तो मैंने तारीख पूछी है। चुनावों के मामले में मैं जाना नहीं चाहता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो स्टे रेवेन्यू बोर्ड से हुआ था।

श्री रामकिशन : वसूली तो सन् ५८-५९ से चली जा रही है। इससे पहले आपने इस बकाया को वसूल करने के प्रयत्न क्यों नहीं किये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तारीख रिकवरी सर्टिफिकेट जो हमें प्रप्त हुआ उसमें ४४ हजार का सर्टिफिकेट ३१.३.६० को, १९ हजार का रिकवरी सर्टिफिकेट ११.६.६० को सवाई माधोपुर माइनिंग से और ५२ हजार का भरतपुर माइनिंग विभाग से १२.२.५८ को। बाकी सब ६० के हैं, सिर्फ एक ५८ का है।

श्री रामकिशन : एक मामला ५८ का है वह भी ५२ हजार का है। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार आप सारे मामलों को राजनीति में डाल देते हैं। ये बड़े गंभीर मामले हैं। कौन जीता या कौन हारा मैं इस चुनावों के मामलों में कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन यह सब चुनावों की वजह से गड़बड़ी होती है और बड़े गंभीर मामले होते हुए भी राजनीति में इनको डाल दिया जाता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सर्वथा असत्य है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने स्टे जारी किया था।

श्री रामकिशन : आप कहते हैं कि यह असत्य है, मगर यह असत्य नहीं है। आप यह समझते हैं कि आप उधर बैठनेवाले सभी सच कहते हैं और हम इधर बैठनेवाले सब झूठ ही बोलते हैं। मगर आप इसका कारण समझते हैं ? हम राजस्थान में आमदनी बढ़ाने के लिये आपको मदद करते हैं, लेकिन आपको यह असत्य लगता है यह आपकी लापरवाही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपको इसके लिये धन्यवाद। मगर कार्यवाही नियमानुसार चल रही है।

श्री रामशिन : अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि कार्यवाही चल रही है। मैं यह कहूँगा कि वे कहते हैं कि उनकी कोई सम्पत्ति वहां नहीं है। जबकि उनके वहां पर पांच पांचे लाख के मकान हैं और मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय भी वहां पर ठहरे होंगे और

(श्री रामकिशन)

खाना खाया होगा। माननीय आचार्यजी वहां पर थोड़े दिन पहले ठहरे थे और दावत भी ली........

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : मैंने आपके यहां दावत ली।

श्री रामकिशन : जब कभी कोई उनकी सम्पत्ति पूछने के लिये जाते हैं तो वहां से कोई लिख देते हैं, कि वे यहां से चले गये हैं और यहां पर उनकी संपत्ति नहीं है। वे यू. पी. चले गये हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उन रुपयों की वसूली का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि लिक्विडेशन की कार्यवाही हो रही है। हमने क्लेम्स दर्ज करा दिये हैं। अब लिक्विडेटर का काम है। हम इसमें क्या कर सकते हैं ?

श्री रामकिशन : मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी ली है तो........

श्री अध्यक्ष : अब तो लिक्वीडेटर नियुक्त कर दिया गया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : प्रश्न यह है कि कुछ बड़े बड़े लोग खाती पीती कम्पनी बना लेते हैं लिमि--टेड नहीं........

श्री अध्यक्ष : अन-लिमिटेड........

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अन-लिमिटेड। फिर वे लाखों रुपयों का गबन करके लिक्वीडेशन में चले जाते हैं। अब आप ज्यादा से ज्यादा उनके शेअर कैपिटल को जब्त कर लेंगे। कुछ अच्छे अच्छे भले चंगे आदमी सामने आते हैं, वे प्राइवेट कम्पनी बनाते हैं और गड़बड़ घोटाला करके लाखों रुपयों का सरकार का इधर उधर करके लिक्वीडेशन में चले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: लिमिटेड कम्पनी के अन्दर डाइरेक्टर निश्चित रूप से रखते हैं तो उनको रखे जा सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : लाएबिलिटी लिमिटेड है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने लिक्वीडेटर किसको मुकर्रर किया है और कब से ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया है और नाम भी बता चुका हूँ।

श्री रामकिशन : जब सन् ५८ से ५२ हजार रुपये बाकी थे तो आपने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सन् ६१ से बोर्ड ऑफ रैवन्यू से स्टे की कार्यवाही हुई और ६२ में वैकेट हुआ और उसके बाद लिक्वीडेशन में चले गये और ६३ में लिक्वी-टर मुकर्रर हुए और हमने अपने क्लेम्स पेश कर दिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह लिक्विडे-शन की कार्यवाही के लिये प्रार्थनापत्र कम्पनी की तरफ से हुआ या सरकार की तरफ से हुआ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। यह इसी प्रश्न का अंग है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो आपको देना चाहिये। कम्पनी पेमैन्ट को इवेड करती रही और बाद में लिक्वीडेशन में गये। मैं समझता हूँ कि कम्पनी ने खुद ने लिक्वीडेशन में जाने के लिये दरख्वास्त दी है। पेमैन्ट को इवेड करने के लिये। तो ऐसी हालत में सरकार को यह बताना जरूरी है कि आया कम्पनी खुद लिक्वीडेशन में गई या सरकार ने प्रार्थनापत्र दिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह निवेदन किया कि यह सेपरेट प्रश्न है। मैं यह नहीं कह सकता।....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री को अभी इसकी सूचना नहीं है।

श्री रामकिशन : सूचना नहीं है तो इसको अभी स्टे कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : अगर कम्पनी ने भी ऐसा किया तो लिक्वीडेशन में तो उनको जाने का अधिकार है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कम्पनी का रवैया बन गया है कि वह राजनीति का फायदा उठा कर इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। क्या मंत्री इस पर कुछ कहने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : इसमें कष्ट करने का प्रश्न नहीं है। कम्पनी को लिक्वीडेशन में जाने और स्टे करने का अधिकार है। मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है। जिस किसी को लीगल ओथोरिटी थी उसने कानून के अनुसार कार्यवाही कर दी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने जिसने एप्लीकेशन दी उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सैपरेट प्रश्न है। इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछेंगे तो जानकारी करके जवाब दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनकी डिफीकल्टीज जिनाइन भी हैं या नहीं या फ्राड करने के लिये लिक्वीडेशन की एप्लीकेशन दे दी ? सरकार को इसके लिये फाइट तो करना चाहिये था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कानून के अनुसार ऑब्जेक्शन सुने जाते हैं और जिसको जो ऐतराज होता है वे सब वहां पर करते है।

श्री अध्यक्ष : Next. Shri Jodh Singh,

उदयपुर कृषि महाविद्यालय के बारे में आरोप पत्र

६८३. **श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा)**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि माह अगस्त १९६३ में उदयपुर कृषि महा-विद्यालय के

(श्री जोधसिंह चौहान)

बारे में एक आरोप पत्र निकाला गया था ? क्या पुलिस ने इस विषय में जांच पड़ताल भी की थी ? यदि हां तो जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सच है कि इस जांच में एक आई. ए. एस. वर्ग के अधिकारी व अन्य गजेटड अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं ?

(३) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में, अबतक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री भीमसिंह (उप-मंत्री कृषि): (१) जी हां, इस बारे में पुलिस द्वारा जांच की गई है । चूंकि पुलिस रिपोर्ट गोपनीय है अतः सदन की मेज पर रखना उचित नहीं है ।

(२) आई. ए. एस. वर्ग के कोई अधिकारी अन्तर्ग्रस्त नहीं है । एक गजेटेड अधिकारी अन्तर्ग्रस्त है ।

(३) मामला विचाराधीन है ।

श्री जोधसिंह चौहान : कब तक फैसला हो जायगा ? यह कब का मामला है ? पैंडिंग क्यों है ?

श्री भीमसिंह : अभी इसकी जांच हो रही है । विचाराधीन है । जांच पूरी होते ही विचार किये जाने पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री जोधसिंह चौहान : जांच कौन कर रहा है ।

श्री अध्यक्ष : Next

नैयड़ क्षेत्र सांचौर

६८४. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सच है कि लूनी नदी बराबर न आने से नैयड़ क्षेत्र में काश्त बहुत कम होने लगी है और काश्तशुदा क्षेत्र दिनोंदिन कम होता जा रहा है ?

(२) क्या यह सच है कि भूमि की अधिकतम सीमा सोइल की फर्टिलिटी को देखते हुए कम रखी गई है और इससे काश्तकारों की माली हालत गिरेगी और प्रोडक्शन गिरने का खतरा रहेगा ? अगर हां, तो क्या सरकार भूमि की सीमा बढ़ाने के बारे में गंभीरता से पुनः सोचेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(३) क्या सरकार सांचौर के नैयड़ क्षेत्र को अलग ग्रुप में रख कर सीलिंग सीमा बढ़ाने का शीघ्र निर्णय लेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं । सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(३) जी नहीं । सीमा निर्धारण काफी सोच विचार के बाद किया गया है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या पानी कम आने से इस क्षेत्र की फर्टिलिटी कम नहीं हुई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फर्टिलिटी जमीन में तो उतनी ही है, पानी अधिक आ जाता है तो अधिक फर्टिलिटी हो जाती है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पानी नहीं आता है दो तीन साल से तो फर्टिलिटी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इस जमीन को कम हुई है और सीलिंग की सीमा निर्धारित उस समय इस क्षेत्र में की गई थी जब कि अधिक पानी इस क्षेत्र में आया था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सीलिंग के लिए जो प्रिन्सीपल्स हैं उन्हीं के आधार पर सीमा निर्धारित की गई है। रोजाना तो यह बदलेगी नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यहां इन प्रिन्सिपिल्स को फौलो नहीं किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक संभव था, प्रिंसिपिल्स को फौलो किया गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अतारांकित--प्रश्नोत्तर

हत्याओं के संबंध में गिरफ्तारियां

२२२. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में सन् ६३ में कुल कितनी हत्याएं हुईं? उसमें आदमी, औरतें तथा बच्चों की अलग अलग संख्या दें। पिछले तीन वर्ष के औसत से सन् ६३ में हत्याएं कम रहीं या अधिक?

(ख) इन हत्याओं के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए तथा उनका क्या हुआ?

उत्तर

(क) राजस्थान में सन् १९६३ में कुल ४४८ केसेज हत्याओं के दर्ज हुये जिनमें ३३७ आदमी ८५ औरतें व ४१ बच्चे मारे गये थे। हत्याओं के मुकदमात का पिछले तीन वर्षों का औसत ४६६ रहा अतः सन् १९६३ में हत्याओं के मुकदमें कम रहे।

(ख) सन् १९६३ के मुकदमात के सम्बन्ध में कुल ८०४ व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनमें से ४४ व्यक्तियों को उनके विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न होने से धारा १६९ जा० फौ० के तहत रिहाई दिलाई गई।

एक अपराधी दौरान तफतीस मर गया व ५४ अपराधी गैर तफतीश हैं। शेष ७०५ अपराधियों का चालान किया गया। जिनमें से ८६ व्यक्ति रिहा या बरी हुए, ४१ सजायाब हुए, एक दौरान ट्रायल मर गया व शेष ५७६ जेर तजबीज अदालत है।

पुलिस-डकैत मुठभेड़ की घटनायें

२२३. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में सन् ५८ से सन् ६२ तक पुलिस-डकैत मुठभेड़ की कितनी घटनायें हुई हैं?

(२) इन घटनाओं में कितने डकैत मारे गये हैं और कितने पुलिस कर्मचारी?

(३) पुलिस-डकैत मुठभेड़ में मारे गये पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को कितनी आर्थिक सहायता दी गई है?

उत्तर

(१) सन् १९५८ से सन् १९६२ तक पुलिस डकैत मुठभेड़ की ८१ घटनायें हुईं।

(२) इन मुठभेड़ों में ३६ डकैत मारे गये एवं ६ पुलिस कर्मचारी काम आये।

(३) मारे गये पुलिस कर्मचारियों के परिवार वालों को जो आर्थिक सहायता दी गई है, उसका विवरण संलग्न परिपत्र में है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

जब्त की गई पुस्तकें

२२४. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर):—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार द्वारा सन् ५२ से लेकर अब तक किस किस पुस्तक को कब कब जब्त किया गया? कृपया तालिका मय मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

पीने के पानी की व्यवस्था लूणकरणसर

२२५. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कस्बा लूणकरणसर के लोगों के पीने के पानी के लिये क्या व्यवस्था है तथा इस व्यवस्था पर आज कल कितना खर्चा आता है?

(२) क्या सरकार इस कस्बे की पानी की समस्या को हल करने के लिये तत्काल कोई कदम उठा रही है? अगर हां, तो कब व क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(१) कस्बा लूणकरणसर के लोगों के पीने के लिये लालगढ़ स्टेशन से पानी रेल्वे टंकियों द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था पर निम्नांकित वर्षों में निम्नलिखित व्यय हुआ है :

सन् १९६१-६२ व्यय रु० ४१३०८)
सन् १९६२-६३ व्यय रु० ५३१५३)
सन् १९६३ से फरवरी
१९६४ तक व्यय रु० ६१५२०)

(२) यह समस्या सरकार के विचाराधीन है।

अकाल स्थिति का स्थायी निराकरण

२२६. श्री मोहनराज (बाली): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में व्याप्त अकाल के संकट को मिटाने एवं आवश्यक राहत पहुंचाने हेतु कुल कितनी धन राशि का प्रावधान किया है?

(२) उक्त धन राशि में से कुल कितनी धनराशि किस किस जिले को अब तक दी जा चुकी है अथवा दी जाने वाली है ? इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) उक्त धन राशि में से कितनी तकावी के रूप में, कितनी मजदूरी के रूप में, कितनी सहायता के रूप में व कितनी अकाल ग्रस्त लोगों व मवेशियों के राज्य से बाहर जाने की व्यवस्था करने पर दी जाने का है ?

(४) क्या सरकार समय समय पर पड़ने वाले इस अकाल के महान संकट को हमेशा के लिए टालने अथवा इसके दुष्परिणामों को रोकने के उपायों पर विचार करने हेतु किसी आयोग अथवा कमेटी का निर्माण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जुलाई ६३ से जुलाई ६४ तक के लिए ४ करोड़ २४ लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

(२) वांछित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(१) तकावी के लिए १,१४,००,०००

(२) मजदूरी के लिए १,४६,५००,००

(३) मवेशियों तथा चारे व पानी की व्यवस्था हेतु ८३,४०,०००

(४) राज्य सरकार ने अभाव की स्थिति पर विचार करने के लिए एक स्टेट लेवल फैमिन रिलीफ एडवाईजरी कमेटी का निर्माण कर दिया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल सहायता कार्य–जिला चूरू

२२७. श्री रावतराम : (सादुलपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) चूरू जिले की विभिन्न तहसीलों में कितने कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं ? तहसील वार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या यह सही है कि जिला परिषद् तथा अकाल सहायता कमेटी की बैठक में कतिपय ऐसे गांवों के नाम सुझाये गये थे जिनमें अकाल होते हुए भी जमाना माना गया ? यदि हां, तो उन गांवों के बारे में क्या निर्णय किया गया है ? और यदि उन्हें अकाल में मान लिया है, तो उन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) अभावग्रस्त क्षेत्र में अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत जहां जहां सड़क निर्माण कार्य चालू किया गया है, उसकी सूची सदन की मेज पर रखें और यह भी बतायें कि विभिन्न सड़कों के लिए कितना-कितना रुपया सरकार ने मंजूर किया है ?

(४) सड़क निर्माण कार्यों के अलावा अन्य जगह अकाल सहायता के अन्तर्गत कौन कौन से वर्क्स चालू हैं और उनके लिए कितनी

कितनी धन राशि किन किन गांवों में दी गई है, तथा वहां कितने लोग राहत पारहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(५) पशुधन के बचाव हेतु जिले में किन किन स्थानों पर फोडर के डिपो खोले गये हैं तथा उन पर अब तक कितना फोडर बिक चुका है और सरकार ने फोडर का भाव क्या तय किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(६) ग्रामीण जल प्रदाय योजना के तहत किन किन गांवों को कितनी कितनी धन राशि दी गई है और क्या इन गांवों में निर्माण कार्य आरम्भ हो गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(७) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों में क्या कोई सहूलियत प्रदान की है ? यदि हां, तो वे क्या हैं और उनका कहां कहां उपयोग किया गया है तथा अब उनसे कितने लोग लाभ उठा रहे हैं ? पूरे विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(१) चुरू जिले के कुल ३७१ गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं ।

(२) जी हां । जिला परिषद् एवं जिला राहत कमेटी की दिनांक ६-१२-६३ की बैठक में सदस्यों ने ८२ गांवों में नुकसान आठ आने से अधिक बताया है :—

पंचायत समिति	संख्या गांव
(१) रतनगढ़	२५
(२) राजगढ़	२८
(३) डूंगरगढ़	२
(४) सरदार शहर	१२
(५) तारानगर	६
(६) रतन नगर	३
	८२

इन गांवों की सूची राजस्व अधिकारियों तथा सब डिविजनल अधिकारियों को भेजी गई और आदेश दिया गया था कि वे सम्बन्धित प्रधानों व सरपंचों को अपने दौरे का कार्यक्रम फिर से जांच कर रिपोर्ट पेश करें । जिलाधीश की रिपोर्ट दिनांक २६-२-६४ के अनुसार इन ८२ गावों में से सिर्फ सरदार शहर तहसील के ग्राम रातुसर तथा शिमला के अलावा किसी भी अन्य गांव में आठ आने से अधिक नुकसान नहीं हुआ है । इन दोनों गांवों को राज्य सरकार अभावग्रस्त घोषित करने की कार्यवाही कर रही है ।

(३) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(५) जिले से निम्नलिखित स्थानों पर फोडर डिपो खोले गये हैं :—

(१) डूंगरगढ़
(२) सरदारशहर

(३) राजगढ

अभी तक इन डिपों पर बिल्कुल भी फोडर नहीं बिका है क्योंकि जनता को वैसे ही घास बाजार में मिल रहा है। कड़वी तथा खारा का भाव ३) रु० प्रति मन रखा है।

(६) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(७) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान भारत सेवक समाज

२२८. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में भारत सेवक समाज नाम की संस्था कब से कार्य कर रही है ?

(२) उक्त संस्था का गठन कैसे किया जाता है ?

(३) इस संस्था का उद्देश्य क्या है और उद्देश्य की पूर्ति में संस्था को कितनी कामयाबी मिली है ?

(४) इस संस्था के संचालक मण्डल के सदस्य कौन-कौन हैं, अध्यक्ष कौन है व इनका चुनाव कैसे किया जाता है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(५) राजस्थान में भारत सेवक समाज को सरकार कितने रुपये सालाना खर्च करने को देती है ? सालवार आंकड़े बताने की कृपा करें।

(६) इस संस्था के पास कितनी गाड़ियां हैं व उनका क्या उपयोग किया जाता है और उन पर हर साल कितना रुपया खर्च होता है ?

(७) क्या सरकार इस संस्था के हिसाब का ऑडिट करवाती है ? यदि हां, तो गत साल के ऑडिट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सन् १९५१ से।

(२) भारत सेवक समाज के संविधान की एक प्रति संलग्न है।

(३) संस्था के उद्देश्य संविधान में निर्दिष्ट हैं। भारत सेवक समाज को राजस्थान में अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कहां तक सफलता मिली है इसके मूल्यांकन के बारे में कई रायें हो सकती हैं। राज्य सरकार के विचार में भारत सेवक समाज के उद्देश्य उच्च और मदद के उपयुक्त हैं और समाज उसकी प्रगति की ओर प्रयत्नशील है।

(४) प्रादेशिक प्रधान मंडल के सदस्यों की सूची निम्न लिखित है।

१. श्री बलवंत सिंह महता अध्यक्ष

२. श्री देवी शंकर तिवाड़ी उपाध्यक्ष

३. श्री राम निवास मिर्धा उपाध्यक्ष

४. श्री राज रूप टांक कोषाध्यक्ष

५. श्री चंदनमल वैद सदस्य

६. श्री रावनारायण सिंह मसूदा ,,

७. श्री जगन्नाथ पहाड़िया ,,

८. श्री हरिशचन्द्र शर्मा ,,

९. श्री मोहनलाल बास्वानी सदस्य सचिव

(५) राजस्थान भारत सेवक समाज को दी गई अनुदान की राशि वर्षवार निम्नांकित है।

१९५७=५८	२०,०००
१९५८=५९	२५,०००.
१९५९=६०	३०,०००
१९६०=६१	३०,०००
१९६१=६२	३०,०००
१९६२=६३	३०,०००
१९६३=६४	२०,०००

(६) दो जीप गाड़ियां हैं जिनका उपयोग समाज के कार्यों के लिये किया जाता है।

(७) अनुदान की शर्तों के अनुसार महालेखापाल, राजस्थान संस्था का हिसाब जांच करते है। गत वर्ष के हिसाब की जांच अभी नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजनैतिक पीड़ितों को जमीन का अलाटमेंट--जिला गंगानगर

२२९. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) गत पांच सालों में गंगानगर जिले के कितने व्यक्तियों ने राजनैतिक पीड़ितों की हैसियत में जमीन पाने के लिये दरख्वास्तें दीं ?

(२) इनमें से कितने व्यक्तियों की दरख्वास्तें स्वीकार की गई और इनको कितनी जमीन किस स्थान पर अलॉट की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) १४ व्यक्तियों ने दरख्वास्तें दीं।

(२) उनमें से ३ व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)
(९.०३ म. पू.)

स्थगन-प्रस्ताव विषयक।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एक मेरा एडजोर्नमेंट मोशन था और मुख्य मंत्रीजी को उसका उत्तर देना था।

श्री अध्यक्ष : आपको उत्तर मिलेगा, मुख्य मंत्री उसका उत्तर आज दे देंगे, ऐसी व्यवस्था कल परसों दे दी गई है।

मांग संख्या १२-पुलिस

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,६३, ३०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

मांग संख्या ३२-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते।

मुख्यमंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,१०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

मांग संख्या १२ व ३२ पर निम्नलिखित कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

श्री दयाचन्द सोन (सारां. सु.)

१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (चोरियों को रोकने में पुलिस की असफलता पर बहस करने हेतु)।

२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (मण्डी में आने जाने वाले काश्तकारों की गाड़ियों पर रास्तों में लूटमार व मारपीट की घटनाओं को रोकने में पुलिस की असफलताओं पर बहस करने हेतु)।

३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (मेलों व हाट बाजार में पुलिस की अव्यवस्था से चोरियां व जेब कट जाने की घटनाओं पर बहस करने हेतु)।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) :

४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (समाजवादी दल के राज्य मंत्री पर घातक हमला कराने की घटना की गुप्तचर विभाग द्वारा जांच होने के बाद सरकार द्वारा वर्ती गई कार्यवाही पर बहस करने हेतु)।

५. मांग संख्या १२ मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (कस्बा वसैडी जिला भरतपुर में लगातार होने वाली चोरियों के संबंध में बहस करने हेतु)।

६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (कस्बा उच्चैन थाना बयाना जिला भरतपुर में पिछले १५ साल से लगातार होने वाली चोरियों व उनका पता न लगने तथा उचित जांच व्यवस्था न होने की समस्या पर बहस हेतु)।

७. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले में लूट डकैती चोरी अपहरण व हत्याओं की बढ़ती हुई स्थिति पर बहस करने हेतु)।

८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (राज्य भर में तथा विशेष तौर पर भरतपुर जिले में मवेशियों की चोरी व रुपये लेकर उनकी फिरौती की समस्या पर बहस करने हेतु)।

९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-विभाग पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संरक्षण में योजना बद्ध तरीके पर धौलपुर व राजाखेड़ा के इलाकों में औरतों की बिक्री से उत्पन्न समस्या पर बहस करने हेतु)।

१०. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-विभाग पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को सक्रिय व सक्षम करने पर बहस करने हेतु)।

११. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (धौलपुर इलाके की पुलिस समस्या पर दिये गये आश्वासनों की पूर्ति हेतु कोई कदम न उठाने पर बहस करने हेतु)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):

12. Demand No. XII, Majorlt Head 23-Police be reduced by Re. one (to discuss the inefficiency of prosecution branch of Police and as a result failure of Government cases).

१३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस द्वारा आपसी अदावती वाले झूठे मुकदमात दर्ज करने से जनसाधारण में व्याप्त असंतोष पर बहस करने हेतु)।

१४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व उसको दूर करने के सुझावों पर बहस करने हेतु)।

15: Demand No: XII, Major Head 23-Police be reduced by Re. one (to discuss the false implication of innocent person in P. S. Sanchore district Jalore)

श्री हरिराम चौहान (तिजारा):

१६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में फिजूल खर्ची को रोकने पर बहस करने हेतु)।

१७. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार के संबंध में बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३२

१८. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्तों में १) रु० की कटौती की जाय (जयपुर, जोधपुर व बीकानेर के भूतपूर्व नरेशों को बिजली व

पानी की विशेष सुविधा देने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १२

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक) :

१९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान भर में पुलिस विभाग के अनुत्तरदायित्व पूर्ण कार्यों पर बहस करने हेतु)।

२०. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस द्वारा तफ्तीश में मनमानी कार्यवाही करने पर बहस करने हेतु)।

२१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (भ्रष्टाचार विभाग द्वारा अपनी ओर से राजस्थान में भ्रष्टाचार निर्मूल करने के लिए कोई सुविचारित योजना नहीं बनाने पर बहस करने हेतु)।

२२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग की व्यवस्था सुधारने में सरकार की असफलताओं और उनके कारणों पर बहस करने हेतु)।

२३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य में व्यापक भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये कोई सुनियोजित एवं असली योजना सदन के समक्ष प्रस्तुत न करने पर बहस करने हेतु)।

२४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कर्मचारी घूंस क्यों लेते हैं और इसका क्या इलाज हो सकता है इस पर बहस करने हेतु)।

२५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस अधिकारी झूठे मुकदमे बनावें तथा झूठी तफ्तीश से बेगुनाह को सजा दिलावें इसे कैसे रोका जावे, पर बहस करने हेतु)।

२६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग के कर्मचारी असंतुष्ट क्यों हैं और उसका जन जीवन पर होने वाले प्रभाव पर बहस करने हेतु)।

२७. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा पुलिस का दुरुपयोग करने तथा उसका समाज पर होने वाली प्रतिक्रिया पर बहस करने हेतु)।

२८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस को जन सेवी बनाने के तरीकों पर बहस करने हेतु)।

२९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस कर्मचारियों को आर्थिक सन्तोष प्रदान करने की व्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक) :

श्री मानधातासिंह (महुआ) :

30. Demand No. XII, Major Head 23-Police be roduced by Re. one (to discuss the increasing upper hand of the police in the administration).

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) :—

३१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० कटौती की जाय (हानियां व रोकड़ की कमी को खर्च खाते लिखा गया सो नहीं लिखा जाय इस पर बहस करने हेतु)।

३२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (नरेशों के राज्य प्रासादों पर नियुक्त रक्षा दल के खर्च को कतई बन्द किया जाय इस पर बहस करने हेतु)।

३३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (सार्वजनिक विभाग द्वारा निजी कम्पनियों को जिस प्रकार रक्षार्थ पुलिस दी जाती है बैंकों को पुलिस देने के खर्च को उसी प्रकार बैंकों से वसूल किया जाय। अन्यथा यह खर्च काट दिया जाय, इस पर बहस करने हेतु)।

३४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहा है अतः खर्च में कमी की जाय इस पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३२

३५. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६७—भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्तों में १) की कटौती की जाय (बीकानेर, जयपुर, जोधपुर नरेशों को क्रमशः विद्युत एवं जल मुफ्त प्रदान किया जाता है जिस पर क्रमशः ८०,०००, १,४४,०००, ८०,००० कुल ३,०४,००० खर्च होता है इसे तुरन्त बन्द किया जाय इस पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १२

श्री केदारनाथ (गंगानगर) :

36. Demand No. XII, Major Head 23-Police be reduced by Re. one (to discuss the failure of the Government to root out corruption rampant in the Police Department).

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

३७. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (अपराध रोकने में पुलिस विभाग की असफलता पर बहस करने हेतु)।

३८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उस पर बहस करने हेतु)।

३९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में जो suspend कर्मचारी हैं उनके सम्बन्ध में निर्णय लेने में अनुचित समय लगाने पर बहस करने हेतु)।

४०. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (कुछ पुलिस अधिकारियों के सहयोग से अवैध व्यापार किया जाता है इस पर बहस करने हेतु)।

४१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में Seniority की सूची निश्चित नहीं की गई इस पर बहस करने हेतु)।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर) :

४२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस मे भरती हेतु आदिवासियों को प्राथमिकता व अन्य सुविधायें दिलाने पर बहस करने हेतु)।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) :

४३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कर्मचारियों को अन्य सुविधा उपलब्ध कराने में राज्य सरकार उदासीन रही है, इस पर बहस करने हेतु)।

४४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस की अव्यवस्था के कारण अपराधों के बढ़ने पर बहस करने हेतु)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

४५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (लोकतंत्रीय शासन प्रणाली से वर्तमान पुलिस प्रशासन बिलकुल असंगत होने के कारण इसमें बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता के लिए बहस करने हेतु)।

४६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३२

४७. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्तों में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के भूतपूर्व नरेशों को मुफ्त पानी और बिजली को बन्द करने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १२

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर) :

४८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

४९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कर्मचारियों की उन्नतियों के संबंध में सरकार की प्रणाली पर बहस करने हेतु)।

५०. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार की बोर्डर सुरक्षा में असफलता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३२

५१. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्तों

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

में १) रु. की कटौती की जाय (जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के नरेशों को मुफ्त पानी व बिजली की रियायतें पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १२

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं) :

५२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (झुंझुनूं जिले में पुलिस के प्रशासन में सरकार के अनुचित हस्तक्षेप पर बहस करने (हेतु ।

मांग संख्या ३२

५३. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६७–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्तें में १) रु० की कटौती की जाय (जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के नरेशों को बिजली व पानी मुफ्त देने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १२

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवारा) :

54. Demand No. XII. Major Head 23-Police be reduced by Re. one (to discuss the Police atrocities towards public).

मांग संख्या ३२

55. Demand No- XXXII, Major Head 67-privy purses and Allowances of Indian Rulers be reduced by Re. one (to discuss the special facilities of free water and electricity provided to Rulers of Jaipur, Jodhpur and Bikaner).

मांग संख्या १२

श्री जयकृष्ण शर्मा (थाना गाजी) :

५६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग के गठन में अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ३२

५७. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्तों में १) रु० की कटौती की जाय (निःशुल्क विद्युत एवं जल प्रदान पर अधिक खर्च पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १२

श्री मजलिस खां (कामां) :

५८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान पुलिस की ओर से जनता के साथ सद्व्यवहार न रखना एवं जनता की जान, माल और इज्जत की रक्षा का विश्वास उठते जाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री मोहनराज (पाली) :

५९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पाली जिले में इस वर्ष के दौरान हुई हत्याऐं

Page No. 39

(श्री मोहनराज)

तथा चोरियों की वारदातों से सामान्य जनता में उत्पन्न भय की स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) :

६०. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० का कटौती की जाय पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

श्री जुझारसिंह (चेचट) :

६१. Demand No. XII Major Head 23- Police be reduced by Re. one (to discuss the Law and Order situation in Kota District , and carelessness of the Police Staff to deal with it satisf atorily).

62. Demand No. XII, Major Head 23- Police be reduced by Re. one (to discuss the favouratism in promotion in the Department).

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) :

६३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता पर बहस करने हेतु) ।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) :

६४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असफलता पर बहस करने हेतु) ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) :

६५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस के गुप्तचर विभाग की अकर्मण्यता पर बहस करने हेतु) ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) :

६६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस थानों में की जाने वाली मारपीट व हत्याओं के बारे में न्यायिक जांच कराने पर बहस करने हेतु) ।

६७. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३ पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (S. H. O. के हैड क्वार्टर पर न रहने से होने वाली दिक्कतों पर बहस करने हेतु) ।

६८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग का जनता के साथ उचित व्यवहार न होने पर बहस करने हेतु) ।

६९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती का जाय (पुलिस विभाग में फैले हुये भ्रष्टाचार को दूर करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री गोविन्दसिंह (पिंडावा) :

७०. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३ पुलिस में १) रु० कटौती की जाय (पुलिस द्वारा खासकर मवेशियों की चोरी दर्ज नहीं करने पर बहस करने हेतु) ।

७१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय

(पुलिस विभाग में अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

७१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३--पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) :

७२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बह करने हेतु)।

७३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (सब-इन्सपैक्टरों की नियुक्तियां व प्रमोशन में व्याप्त धांधली पर बहस करने हेतु)।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) :

७४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (सीमा सुरक्षा में विभागीय अकुशलता पर बहस करने हेतु)।

७५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग द्वारा चोरियों को रोकथाम में असफलता पर बहस करने हेतु)।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) :

७६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस तस्कर व्यापार को रोकने में असफल रही इस पर बहस करने हेतु)।

७७. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (भ्रूंफेऊ गोली कांड की जांच न किये जाने पर बहस करने हेतु)।

७८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (दौलतपुरा कोटा के पुलिस के भ्रष्टाचार का भण्डा फोड़ करने पर पुलिस द्वारा नागरिकों पर अत्याचार पर बहस करने हेतु)।

७९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (बसेड़ी गोली काण्ड में सरकार की बेरुखी पर बहस करने हेतु)।

श्री माधोलाल खानपुरिया (अटरू) :

८०. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (विभाग द्वारा चोरी, डाकेजनी को रोकने में पूरी जिम्मेदारी से काम न करने पर बहस करने हेतु)।

श्री डूंगरराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) :

८१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस द्वारा छोटी २ चोरियां का रोकने पर बहस करने हेतु)।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

८२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस द्वारा जेवरों का पता न लगाने पर बहस करने हेतु)।

Page No. 41

श्री गंगाराम चौधरी (गुड़ा मलानी) :

८३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (आत्म समर्पण करने वाले डकैतों के विरुद्ध माकूल कानूनी कार्यवाही न की जाने पर बहस करने हेतु)।

८४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (Defence of India Rules का जिला बाड़मेर में पुलिस द्वारा दुरुपयोग किये जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री सांवलियाराम (रूपवास) :

८५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में बढ़ती हुई भ्रष्ट कार्यवाहियों पर बहस करने हेतु)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरीबाजार, जयपुर)

८६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग के अल्प वेतन प्राप्त कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष पर बहस करने हेतु)।

८७. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (राज्य में अपराधों की बढ़ती हुई संख्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर बहस करने हेतु)।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

८८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (मालपुरा क्षेत्र में पुलिस द्वारा किसानों पर झूठे मुकदमे बनाये जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) :

८९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) की कटौती की जाय (पुलिस विभाग चोरियां बरामद करने व रोकने में नाकामयाब रही है इस पर बहस करने हेतु)।

९०. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार के बारे में बहस करने हेतु)।

९१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस द्वारा जनता पर झूठे केस बनाकर रिश्वत लेने पर बहस करने हेतु)।

९२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस द्वारा चोर बाजारी व चोरियों के माल को हड़पने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने पर बहस करने हेतु)।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) :

९३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस स्टेशनों की स्थापना एवं उनमें पुलिस कर्मचारियों की नियुक्तियों पर बहस करने हेतु)।

श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डौली) :

९४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

Page No. 42

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) :

95. Demand No. XII, Major Head 23-Police be reduced by Re one (to discuss the increase of crimes and inefficiency of Police officers).

श्री हरफूल (खंडार) :

९६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु. की कटौती की जाय (रिश्वत खोरी व भ्रष्टाचार की रोकथाम पर बहस करने हेतु) ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) :

९७. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु. की कटौती की जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

श्री भरतलाल (मलारना चौर) :

९८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३---पुलिस में १) रु. की कटौती की जाय (जिला सवाई माधोपुर में थाना मलारना डूंगर व थाना गढ़ मोरां में पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :

९९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग का जनता के साथ उचित व्यवहार न करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री अमरसिंह (पचपदरा) :

१००. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३--पुलिस में १) रु. की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार कुशासन रोकने के हेतु बहस करने हेतु) ।

चोथमल वर्मा (भिणाय) :

१०१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३--पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कर्मचारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु) ।

कुंवर श्री महेन्द्र सिंह (दीगोद) :

१०२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३--पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस अधिकारियों द्वारा बरती गई गैर जिम्मेदारी पर बहस करने हेतु) ।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) :

१०३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३--पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस की अकर्मण्यता पर बहस करने हेतु) ।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" (अकलेरा) :

१०४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३--पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (जनता जान माल की रक्षा करने में पुलिस की असफलता पर बहस करने हेतु) ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) :

105. Demand No. XII, Major Head 23--Police be reduced by rupee one

Page No. 43

(श्री मानसिंह महार)

(to discuss the inefficiency of the department in locating thefts and dacoities).

श्री जयलाल (डग) :

१०६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३--पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस की रिश्वत खोरी पर बहस करने हेतु) ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) :

१०७. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (सुजानगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था के अभाव की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहस करने हेतु) ।

१०८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (सुजानगढ़ में गत तीन माह में हुई चोरी की वारदातों में चोरी हुए माल की बरामदगी में पुलिस विभाग की असफलता पर बहस करते हेतु) ।

श्री नाथूराम (बागीदुरा) :

१०९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (बांसवाड़ा जिला में पुलिस विभाग के छोटे २ कर्मचारियों की ओर से अत्याचार पर बहस करने हेतु) ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) :

११०. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

१११. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस द्वारा शान्ति व व्यवस्था कायम रखने में असफलता पर बहस करने हेतु) ।

श्री जगनसिंह (दांतारामगढ़) :

११२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से व्यापक जन असन्तोष पर बहस करने हेतु) ।

११३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (फतेहपुर (शेखावाटी) में पुलिस की रोसावा ग्राम के अध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार पर बहस करने हेतु) ।

११४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (दांतारामगढ़ में पुलिस का चोरियों में हाथ होने पर बहस करने हेतु) ।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) :

११५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस में त्याग तथा सेवा की भावना की कमी पाई जाने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान दिलाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

११६. मांग संख्या १२,मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (गंगाशहर जिला बीकानेर का थाना तोड़ दिया गया है उसे पुनः कायम करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) :

११७. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (आरक्षी विभाग की कार्यवाहियों से उत्पन्न असन्तोष पर बहस करने हेतु) ।

श्री सागरमल (फुलेरा) :—

११८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २२ पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस स्टेशन किशनगढ़ रेनवाल के क्षेत्र में होने वाली चोरियों पर बहस करने हेतु) ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) :

११९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में मनमानी करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़) :—

१२०. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (भीलवाड़ा जिले के कान्होला बिजोलिया माण्डलगढ़ पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिये ध्यान-आकर्षित करने के सम्बन्ध में बहस करने हेतु) ।

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) :—

१२१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (चित्तौड़ जिले में काफी नकबजनियां व कत्ल की वारदातें होती हैं इन्हें रोके जाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री रामकिशन (वैर) :—

१२२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३ पुलिस में १) रु० कटौती की जाय (पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाडा) :—

१२३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (किसानों के साथ अन्याय करने वाले पुलिस अधिकारियों के कारनामों पर बहस करने हेतु) ।

श्री फतेहसिंह (चोहटन) :—

१२४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग द्वारा राजस्थान के पश्चिमी सीमान्त प्रदेश पर किये गये दोषपूर्ण व्यवहार पर बहस करने हेतु) ।

श्री ललित मोहन (गोगुन्दा) :—

१२५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (आदिवासियों के पुलिस विभाग में सर्विस में लेने में पक्षपात करने पर बहस करने हेतु) ।

Page No. 45

१२६. **श्री देवीलाल मीणा** (सराडा) :

मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाये (जिला उदयपुर तहसील खेरवाड़ा का पुलिस थाना ऋषभदेव के थाने में पोल का गदर के आदिवासियों को बेकसूर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके परेशान किये जाने पर बहस करने हेतु)

१२७. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (जिला उदयपुर तहसील खेरवाड़ा, सराड़ा के कई आदिवासी जो पुलिस में सिपाही के रूप में नौकरी करने वाले हैं उनकी तरक्की दिलाये जाने पर बहस करने हेतु) ।

१२८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (जिला उदयपुर तहसील सराडा में पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतें होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री तेजाराम गहलौत (सोजत) :

१२९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३, पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पाली जिले में मवेशियों की चोरी रोकने में पुलिस की असफलता पर बहस करने हेतु) ।

१३०. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पाली जिले में पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमों की सही तफतीश न कर नागरिकों को कानूनी न्याय से वंचित रखने पर बहस करने हेतु)।

१३१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार व उससे उत्पन्न समस्याओं पर बहस करने हेतु)।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) :

१३२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (कोटा डिवीजन में होने वाली डकैतियों अपहरण लूट चोरियों पर काबू नहीं पाने पर बहस करने हेतु) ।

१३३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस की ज्यादतियों पर बहस करने हेतु) ।

१३४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (देवली थाने में पुलिस कर्मचारियों द्वारा बलात्कार किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

१३५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (गृह रक्षा दल को प्रोत्साहन नहीं देने पर बहस करने हेतु) ।

१३६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (सीमा पर होने वाली घटनाओं पर काबू नहीं पाने तथा गुप्तचर विभाग की असफलता पर बहस करने हेतु) ।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) :

१३७. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य में बढ़ते हुए Crimes की गम्भीर स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

१३८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य में पुलिस के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर बहस करने हेतु)।

१३९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग द्वारा राजस्थान पाकिस्तान की सरहद पर स्थानीय जनता को पाकिस्तानी जुल्मों से बचाने में असमर्थता पर तथा पाकिस्तानी तत्व जो राज्य में पाकिस्तान को सूचनाऐं देते हैं के खिलाफ सरकार द्वारा समुचित कार्यवाही करने में असमर्थता पर बहस करने हेतु)।

१४०. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय R. A. C. का खर्चा भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है जिसका असर राजस्थान बजट पर पड़ता है इस स्थिति पर बहस करने हेतु)।

श्री दयाचन्द सोन (बारा-सु०) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस पर मेरे ३ कटौती के प्रस्ताव हैं जो मैंने प्रस्तुत किये हैं। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां एक दो साल के अर्से में चोरी की घटनाऐं बढी हैं। बीसों चोरियां वहां हुई पर सिवा एक दो चोरी के एक का भी पता नहीं चला। कुछ दिनों पहले पुलिस चौकी के सामने एक बनिये के यहां चोरी हुई, चार हजारों रुपयों का माल ले गये और उसकी हत्या भी कर गये पर पुलिस उसका आज तक पता नहीं लगा सकी है। सोने चांदी का जेवर था, नकद रुपया था। उसका कोई पता नहीं। इन दो सालों के अर्से में बीसियों चोरियां हुई हैं पर पुलिस अभी तक पता नहीं लगा सकी है और इसका नतीजा यह है कि वहां बराबर इस प्रकार की चोरियों की घटनाए होती जा रही हैं। वहां मेला भरता है, डोलों का मेला, उस मेले के अन्दर एक जूते वाले का हजारों रुपये का गल्ला था, उस पेटी को मेले में से उठाकर ले गए पर आज तक पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी है। सैकड़ों आदमियों की जेबें इन मेलों में काटी जाती हैं और पुलिस उन लोगों को नहीं पकड़ पाती है।

वहां के मालखाने में ४०-५० हजार का गबन हुआ, वहां के एक हैड कौन्स्टेबल और उसके मिलने वालों ने गबन किया है। पचास, साठ हजार रुपये का गबन हुआ है, जिसमें सोने चांदी के जेवर और अफीम वगैरह थी, वर्षों से वह हैड कान्स्टेबल और उसके मिलने वाले इन चीजों को बेचते रहे पर पुलिस ने, इस माल की कोई जांच नहीं की और मालखाने के इस माल से सम्बन्धित जितने मुकदमें हैं वे सब उलझे हुए पड़े हैं, उनका कोई फैसला नहीं होरहा है, माल ही नहीं है तब शनाख्ती किस की की जाय।

इसी तरह बारां मंडी है वहां काश्तकार लोग माल बेचने के लिये आते हैं और अपना माल बेचकर वापिस जाते है तो रास्ते में उन लोगों के साथ लूट मार हो जाती है। अभी हाल ही में ऐसी कई वारदातें हुई हैं, जिनसे किसान और दूसरे लोग बड़े परेशान हैं, टाइम बेटाइम बाहर जाने में घबड़ाते हैं।

अभी हाल ही में दस-बारह दिन पहले की बात है बारां के एक नाकेदार का कत्ल हुआ। नाहन के दिन घर ही था, घर से करीब करीब शाम के टाइम नाके पर गया

(श्री दयाचन्द सोन)

तो वहां से उसका पता नहीं लगा। उसके घर वालों ने पुलिस को रिपोर्ट की पर पुलिस तीन चार दिन तक उसका पता नहीं लगा सकी। आखिर में उसकी लाश बावड़ी में मिली, पुलिस ने खोज की, पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि किसी ने कत्ल किया है। पुलिस अभी तक उसका पता नहीं लगा सकी है। इससे लोगों में बड़ा आतंक छाया हुआ है, रात को ६ बजे के बाद घर से बाहर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं होती, इस प्रकार की गुण्डागर्दी वहां पर होती है। एक हैड कान्स्टेबल गश्त में गया तो गश्त के दौरान उसने लोगों के ताले खटखटाये, लोग जागे तो वह भाग निकला। उसकी चर्चा पत्रों में हुई। पर पुलिस विभाग ने कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया। जब पुलिस वाले ही ऐसी घटनाएं करें तो वह पुलिस जनता का क्या भला कर सकती है।

ऐसी बीसियों बातें हैं ? इन एक दो सालों में बहुत चोरियां हुई हैं उनका पुलिस कोई पता नहीं लगा सकी है। अन्त में, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पुलिस के मामले में ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने पुलिस की मांग प्रस्तुत है। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर ३२ हजार पुलिस के नौकर हैं। २ करोड़ राजस्थानियों के लिये ३२ हजार पुलिस के नौकर हैं। आज अगर यह कहा जाय कि पुलिस के पास बजट नहीं है, आदमियों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो वह सही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि ६२५ व्यक्तियों के पीछे एक पुलिस का आदमी उसकी रक्षा के लिये, उसकी भ्रष्टाचार से रक्षा करने के लिये नियत किया हुआ है। अगर इन आंकड़ों की तरफ ध्यान रखा जाय तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लंदन की पुलिस का ढांचा है वह भी करीब ६००, साढ़े छः सौ आदमियों के पीछे एक पुलिस का आदमी नियत किया हुआ है। यह बात है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर कोई पुलिस के जुर्मों का शिकार है, तो मैं नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि वह है पुलिस का छोटा कर्मचारी। यह बात मैं सदन के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस बजट का एक तिहाई हिस्सा बड़े बड़े अधिकारियों की सुख सुविधाओं और सैलरीज के रूप में चला जाता है, केवल उंगलियों पर गिनने लायक १००-२०० आदमियों के लिए पुलिस का बजट १।३ हिस्सा खर्च हो जाता है और जहां पर ३१॥ हजार जो कर्मचारी हैं, उनकी सुख और सुविधाओं के लिए केवल २।३ हिस्सा रह जाय, यह भी बहुत बड़ी असमानता है, जिसके लिए आज पुलिस के खुद के बेड़े के अन्दर असंतोष भड़क रहा है। आज पुलिस के छोटे कर्मचारी उस सिपाही को ४५ रुपए का वेतन मिलता है। आप थोड़ा सा अन्दाज लगाइए, आज के इस कठिनाई के समय में आज इस महंगाई के समय में यह मामूली कर्मचारी कैसे अपना जीवन निर्वाह कर सकता

Page No. 48

(श्री नुकटबिहारीलाल गोयल)

है ? इन के भी परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, स्त्रियां होती हैं, चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ता है, चाहे आधी रात को भी विसल बज जाय, तो तैयार हो जाता है। ऐसी कठिन ड्यूटी और ४५ रु० की तनख्वाह। स्वयं अपने आप में एक बात झलकती है कि इस बेड़े के लोगों में कितना जबर्दस्त असंतोष है।

इतना ही नहीं, आज यह छोटा कर्मचारी, मैं तो निवेदन करूंगा, एक तरह से गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा है। उसको अर्दलियों में रख दिया जाता है। सत्य यह है कि उनको घरू काम के लिए बाध्य किया जाता है। मैं एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। अधिकारियों की बीवियों की फटकारें सुननी पड़ती हैं, और दूसरी तरह से उनकी मरम्मतें होती हैं लेकिन उनकी कोई सुनने वाला वाला नहीं। इस तरह का गुलामी का बर्ताव आज पुलिस के छोटे कर्मचारी के खिलाफ किया जा रहा है। पुलिस का बेड़ा इस तरह से बना हुआ है जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है, इसी तरह से छोटे कर्मचारियों को बड़े कर्मचारी निगलने की कोशिश करते हैं। यही बात है जिसके लिए हमें सोचना पड़ेगा।

इस विभाग के अन्दर पुलिस कर्मचारियों को अपनी यूनियनें बनाने का अधिकार नहीं है। संविधान के मौलिक अधिकार को आज की यह सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुसार उनको यूनियन बनाने का अधिकार, यूनियनों को मान्यता देने का अधिकार आज उनको मिलना चाहिए। यह समय का तकाजा है। हो सकता है कि आप अपनी हठधर्मी से दो साल चार साल रोक लें, लेकिन अंत में जाकर आपको सर झुकाना पड़ेगा, दुनियां बदल रही है, जो आइ० सी० एस० ऑफीसर्स हैं, आई० पी० एस० ऑफीसर्स हैं, आर० पी० एस० ऑफीसर्स हैं, वे यूनियनें बना सकते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए सामूहिक रूप से रिप्रेजेन्टेशन सरकार के सामने रख सकते हैं, तो फिर यह छोटा कर्मचारी, पुलिस का साधारण कर्मचारी इस प्रकार के अधिकार से क्यों विमुख रखा जाता है, यह बात समझ में नहीं आती। इसके अलावा वह बात नहीं कहूंगा कि जो कर्मचारी यूनियन का संगठित करने की कोशिश करते हैं उनको किस तरह से जालों में फंसाया जाता है, उनका उत्पीड़न होता है। बदले की भावना से प्रेरित होकर काम किया जाता है। मैं उन तमाम बातों में नहीं जाऊंगा। मैं तो केवल यही निवेदन करूंगा कि पुलिस के सारे कर्मचारियों के लिए यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा जो पुलिस का वेलफेयर फंड है, बेनीवोलेंट फण्ड है, उनका पूरी तरह से दुरुपयोग होता है। आज पुलिस के कर्मचारियों के हित के लिए, उनके ऊपर आने वाली आपत्ति में मदद देने के लिए जो फंड हैं, आज हमारे आई० जी०पी० साहब अपनी हठधर्मी से उनमें से पचासों हजार रुपए निकालकर कभी किसी डिफेंस फंड में दिया तो कभी किसी में। मैं डिफेंस फंड के खिलाफ नहीं हूं। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार यदि

(श्री मुकुटबिहारी गोयल)

अपने बजट में से करोड़ों रुपए उठाकर डिफेंस फंड के लिए दे दें तो हम उसका स्वागत करेंगे। अपने देश की रक्षा के लिए यदि हमें अपने खून की एक एक बूंद भी बहानी पड़े तो हम तैयार हैं। लेकिन जो पुलिस कर्मचारियों का पैसा है उसमें से रुपए उठाकर सुरक्षा कोष में दे देना, वह किस कानून के तहत दे दिया ? अपनी हटधर्मी से क्यों दिया ?

यही नहीं। पुलिस कर्मचारियों के सिलैक्शन ग्रेड की घोषणा सितम्बर १६६२ में की गई परन्तु आज तक वह सिलैक्शन ग्रेड नहीं दिया जा रहा है। इससे बड़ा असंतोष व्याप्त है पुलिस के बेड़े के भीतर। उनके दिलों के अंदर आग धधक रही है। जो कर्मचारी दुखी हो वह क्या रक्षा कर सकेगा ? यह एक विचारणीय विषय है। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी कुछ आज्ञाएं जारी हुई हैं इन्स्पेक्टरशिप के सिलसिले में। प्रमोशन के कुछ नियम बनाए हैं। कुछ उनका सिलेबस निकाला है। वह मेरे पास है। आज्ञा की कापी मेरे पास है। उसमें ऐसे टैस्ट रख दिए गए हैं, जैसे ५-५ मील की जो आदमी दौड़ करेगा जो आदमी इस इस तरह का होगा, वह एलीजिबिल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति अपने जीवन के २०-२० साल सर्विस में गुजार चुके हैं, जो सब-इन्सपेक्टर आज बने हुए है, उनके लिए अपने जीवन में कभी भी इन्सपेक्टरशिप का चान्स नहीं आएगा। यह बड़ा डिफैक्टिव सिस्टम है। मैं समझता हूं कि इसका क्राइटेरिया कुछ दूसरा होना चाहिए। जो अच्छे व्यक्ति हैं, जिनका सर्विस रिकार्ड अच्छा है, जिन्होंने तरक्कियां की हैं, उनको प्रमोशन मिलना चाहिए।

अब मैं भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के संबंध में दो शब्द कहना चाहूंगा। बड़े आश्चर्य की बात है, मैं तो कहूंगा कि सरकार को दो फैसले करने चाहिए—या तो फैसला करे कि भ्रष्टाचार आज जनजीवन में व्याप्त होगया है या नहीं हुआ है। अगर सरकार सही मायने में जैसा कि हम महसूस करते हैं, सच्चाई के साथ महसूस करते है, कि आज भ्रष्टाचार जनजीवन में व्याप्त हो गया है तो हमें युद्ध स्तर पर इसका सामना करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकारी पक्ष में बैठनेवाले व्यक्ति भी इस बात की गहनता को उतना ही महसूस करते हैं जितनी गम्भीरता से हम कर रहे हैं। परन्तु भ्रष्टाचार विरोधी विभाग का ढांचा जो हमारे सामने हैं उससे जाहिर होता है कि इस विभाग में केवल १८० आदमी है, चपरासी से लेकर आई. जी. पी. महोदय तक। केवल एक थाना है और १० के करीब outposts है ५ लाख का करीब बजट है। राजस्थान में इतने व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए यह क्या चीज है ? यह बिल्कुल नाकाफ़ी है। हमें युद्ध स्तर पर भ्रष्टाचार को खत्म करना है। आज का व्यक्ति रूखा रहकर जिंदगी निकाल सकता है पर सुशासन चाहता है, यानि कुशासन को आज के जनजीवन में हम बरदाश्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार की जिंदगी बरदाश्त नहीं कर सकता हां ! बरदाश्त कर सकते हैं भूखा रहना। मैं निवेदन चाहूंगा कि अगर इस राज्य को सुशासन देना है तो भ्रष्टाचार विरोधी विभाग का बजट हमको बढ़ाना पड़ेगा। जिला जिला स्तर पर इसकी पोस्ट्स कायम करनी पड़ेंगी जिससे मामले दर्ज हो सकें। मैं ज्यादा समय न लूंगा। आज जो इसकी हालत है, उसमें

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

भी २०४० केसेज के करीब १६६३ में आये। आप अन्दाज लगायें। एक पुलिस स्टेशन है, इतनी सी नगण्य संख्या के आधार पर भी इतने दर्ज हैं, तो इस विशाल राजस्थान में भ्रष्टाचार की फैली हुई गंदगी को आप कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। किस प्रकार उसका निराकरण कर सकते हैं। उसमें भी फुटबाल काम में लाये। ८४३ मामलों को ठप्पा देकर डीहोल्ड करने के लिए उनको टरका दिया।

दूसरे मामले में और निवेदन करूंगा।

भ्रष्टाचार का मामला है। एक अधिकारी भ्रष्टाचार करता है उसका निराकरण शीघ्र न हो तो समय पास हो जायेगा तो फिर शहादत नहीं रहेगी, लोगों में निराशा आ जायेगी। कौन चक्कर में पड़े? भ्रष्टाचार तो होता रहेगा इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ट्रान्सफर हो जायगा। और लोग भूल जावेंगे और दूसरी चीजों में लग जावेंगे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि पुलिस के स्टेशन्स पर दूसरे मामले दर्ज होते हैं उसी प्रकार भ्रष्टाचार के मामले भी दर्ज करने की शुरुआत कर देनी चाहिये। यह मौलिक मुद्दा है। पिछली दफा मैंने एक बात कही थी भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के बारे में यह बात फैलती जा रही है कि यह एन्टी करप्शन विभाग तो अन्टी गरम डिपार्टमेंट ले गया है। डिले होती है। इन्क्वायरी होगी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी होगी। छोटे से मामले को लेकर तूल दिया जावेगा। शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिये वह नहीं होती। आज आवश्यकता इस बात की है कि भ्रष्टाचार को सही मायने में मिटाना चाहते हैं तो युद्ध स्तर पर जागरूकता के साथ में कार गुजारी करनी पड़ेगी। इस विभाग का बजट बढ़ाना पड़ेगा। आप जिले जिले के हैडक्वार्टर पर क्लैक्टर को अधिकार दे दीजिये, डी. एस. पी. आउट पोस्ट पर रहता है, उसके अधिकार में यह नहीं है कि वह इस प्रकार के मामलों को दर्ज करे। उनको आप अधिकार दीजिये। इसको सैन्ट्रलाइज तरीके पर क्यों रखा जा रहा है? आज विकेन्द्रीकरण की बात चलती है। आप इन तमाम बातों का विकेन्द्रीकरण कीजिये ताकि समय पर ही जो भ्रष्ट तत्व हैं उनका उन्मूलन किया जा सके। मैं समझता हूं आप भी यही चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूं।

इसके अनन्तर मैंने पिछले समय अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलते हुए कुछ बातें उठायी थीं। उस जमाने के गृह मंत्री महोदय ने उतनी ही जागरूकता के साथ में तत्परता के साथ, मुझे इस सदन के पटल पर यह आश्वासन दिया था कि हम उन तमाम मामलों की जांच करायेंगे। मुझे निहायत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई विषयों में इन्क्वायरी नहीं हुई। जांच नहीं कराई गई। वहीं मामला खत्म कर दिया जिस प्रकार भूस पर लीप दिया जाता है।

आज धौलपुर इलाके की जो प्रमुख समस्या है, वह औरतों की बिक्री की समस्या है। पिछले समय बताया गया था कि डान में समाचार प्रकाशित हुए थे कि किस प्रकार औरतों की बिक्री की जाती है। ये तमाम मामले हुए और जब डान के मामले पर कुछ इन्क्वायरीज़ शुरू हुई, कोई एस. एल. गौर है, उन्होंने और चार बड़े बड़े कर्मचारियों ने

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

इन्क्वायरी की ओर उसके आधार पर दिल को दहलाने वाले तथ्य प्रकट हुए। चार-चार लड़कियां प्राप्त कीं। और यहां तक कि २२.८.६१ की उनकी रिपोर्ट के अनुसार जहां तक मुझे मालूम हो सका है, बड़े बड़े आदमी, बड़े २ पुलिस के अधिकारी इस रिपोर्ट के आधार पर, जिसकी कापी मेरे पास है, इसमें संलग्न हैं। औरतों की बिक्री सुनियोजित ढंग से, योजनाबद्ध तरीके से होती है, जिसमें बड़े २ पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े सेठ साहूकार शामिल हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट लोग किस-किस तरीके के हैं। किडनैपिंग करना, अपहरण करना औरतों का, उनकी बिक्री करना, उसको कानूनी जामा पहिनाना मजिस्ट्रेट के द्वारा, और किस किस तरीके के मजिस्ट्रेट लोग हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): पुलिस की रिपोर्ट है?

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल: जी हां। मैं इसको सदन की टेबल पर रख दूंगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज ये कुछ मुद्दे हैं, इन औरतों की बिक्री के। औरतों की बिक्री के सिलसिले में, मैंने पिछली दफा सरजूदेवी कांड का हवाला दिया था। किस प्रकार इस अभागी को एक समय पकड़ा गया, किस किस महिला आश्रम में इसको रखा गया, किस प्रकार इसके साथ अनैतिक आचरण किये गये किस तरह इसके गुप्तांगों में मिर्चें भरी गई, किस तरह उसके साथ चले जाने के लिए मजबूर किया, किस प्रकार यह अपने जीवन को लेकर भाग आयी, किस तरह एक सभा में यह गिरफ्तार हुई और किस तरह की करुण कहानी, रोमांच को उठा देने वाली कहानी इसने अदालत में बयान की। मैंने पार्वती मामला भी आपको सदन में बताया था। वहां भी ये कांड हुए। यही नहीं, धौलपुर शहर में खुले आम एक घटना हुई। मैं वहां दूसरे रोज पहुंचा, मेरे पहुँचने से एक रोज पहले एक बालिका खुले आम कन्धे पर उठाई जाकर तलवार और बंदूकों के साथ ले जाई जा रही थी। वह लगातार रोती हुई जा रही थी। चिल्लाती जा रही थी, मुझे बचाओ। वह उस हालत में पुलिस के थाने से गुजरी, डी० एस० पी० के बंगले के सामने से गुजरी, एस० डी० एम० के बंगले पर से गुजरी लेकिन उस पर कोई रोक लगाने वाला नहीं। मैं नाम सदन में नहीं लेना चाहूंगा। मैं आरोप भी नहीं लगाना चाहता हूं।

मैं तो नम्र निवेदन करना चाहता हूं मेरे ऊपर कठिन जिम्मेदारी है। सदन का सदस्य होने के नाते मेरी एक कठिन जिम्मेदारी है। मैं मित्रता करना जानता हूं। मैं भी दोस्ती करना जानता हूं मैं भी काम निकलवाना जानता हूं। दूसरे को मेरा मन करता है नाराज न करूं। सच बात कहने में किसी को बुरा लग सकता है। मैं भी ये काम करवा सकता हूं। खुश कर सकता हूँ। लेकिन जिस कर्तव्य का बोझ मेरे ऊपर है, उससे बाध्य होकर सदन की मर्यादा को कायम रखते हुए, जो जनता ने मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया है, उसके कर्तव्य के वशीभूत होकर नारियों की क्रन्दनपूर्ण कहानी को सुनाना चाहता हूं। मैं उन तमाम घटनाओं में न जाकर नम्र निवेदन करना

(श्री मुकुट बिहारी गोयल)

चाहता हूँ कि महाभारत जैसा कांड एक औरत की धर्म की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर हो गया। एक राम और रावण का युद्ध हुआ वह भी केवल एक औरत की धर्म रक्षा के लिए हुआ। महाभारत के शान्ति पर्व को ही ले लीजिये, वहां प्रश्न हुआ जनतन्त्र को किस प्रकार खत्म किया जा सकता है। शान्ति पूर्व में यह आया है वहां कहा गया कि जब तक औरतों की इज्जत करते हैं, बुजुर्गों का मान करते हैं, तब तक जनतन्त्र खत्म नहीं हो सकता। औरतों की इज्जत को जहां प्रौपर मान सम्मान दिया जाता है, वहां जनतन्त्र कायम रहता है और वह समाप्त नहीं किया जा सकता। समाज की आधी संख्या हमारे यहां औरतों की है। उनकी मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए, उनके धर्म की रक्षा के लिए, जब तक हम खड़े नहीं होंगे, मुझे भय है कि यह जनतन्त्र नेस्तनाबूद हो जायेगा। हमें जनतन्त्र से प्रेम है। औरतों की बिक्री के मामले, किडनैपिंग के मामले, हमें युद्ध स्तर पर, जागरूकता के साथ, मैं जागरूकता शब्द का ही प्रयोग करूंगा, हमें इस ओर कार्यवाही करनी पड़ेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो १५ मिनिट ही हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य को पन्द्रह बीस मिनिट से अधिक नहीं मिल सकेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : २५ मिनिट।

श्री अध्यक्ष : २५ मिनिट नहीं। आप पांच मिनिट में ही इसको समाप्त कर दे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं मुद्दे की बात कह रहा था। मेरा सारा लिंक ही टूट गया। तो बयाना से उठा कर ले गये। वहां से औरतें भगा कर ले जाई गईं, दो तीन महीने हुए। आदमी आगे आगे भागता जाता है, उठाने वाला दुहाई देता जाता है, पीछे भागता जाता है, कोई सुनने वाला नहीं।

थानेदार साहब रिपोर्ट नहीं लिखते। भरतपुर के एस० पी० साहब ने लिख दिया कि आप जानकारी करिये कोई जानकारी नहीं की जाती। कागज अभी तक पड़े हैं। उस औरत को खैर लखनपुर के अन्दर घर के अन्दर बन्द रखा। बरामदगी महीनों पड़ी रही। पुलिस के अधिकारी हजार दो हजार मांगते रहे। सौदा चलता रहा। उस सौदे का अन्त यह हुआ कि वह दुखी हो गया। उसकी मार पिटाई की गई। आखिर वह डूबकर मर गई। ये तमाम ऐसी रोमांचक घटनायें हैं जिनको कहते हुए रोमांच खड़े होते हैं। इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि मवेशियों की चोरी के सम्बन्ध में मैंने कटौती का प्रस्ताव भी दिया है। आज हमारे इस इलाके में बड़े बड़े खूटैल खुले आम मवेशियों की चोरी करते हैं। इनके अड्डे बने हुए हैं। यह एक तरह का उनका व्यापार हो गया है। पशुओं की चोरी के सम्बन्ध में कोई पुलिस को रिपोर्ट नहीं करता, क्योंकि पुलिस के ऊपर से जनता का विश्वास उठ गया है। मवेशी चोरी के सिलसिले में रिपोर्ट कर दी

(श्री मुकट बिहारीलाल गोयल)

गई तो मवेशी फिर कर वापिस नहीं आयेगी कुछ पैसा देकर के प्राईवेट तरीके से ले आते हैं। पुलिस अधिकारी यह अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी पार्टी काम करती है ? कौन चोरी करता है ? यह स्थिति अपने आप में कम भयावह नहीं है।

भरतपुर स्टेट के समय कैटिल लिफ्टिंग एक्ट था। राजस्थान में शामिल होने पर उस इलाके के लिये वह एक्ट लागू होना चाहिये। ऐसी वैधानिक स्थिति है मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह इस कैटिल लिफ्टिंग के बारे में गम्भीरता से विचार करें। आप यह महसूस कर सकते हैं कि खेती के दिनों में किसान का यदि बैल भी चला जाता है, तो उसको कितना नुकसान होता है ? यह गंभीर मसला है। इस पर राज्य सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा धौलपुर इलाके में रात-दिन लूट, डकैती, हत्या, अपहरण की घटनायें बढ़ रही हैं। राजाखेड़ा इलाके में हमारा दुर्भाग्य है कि वहां से जो माननीय सदस्य आये हैं, वे ब्लड प्रेसर पीड़ित रहते हैं। उनके दिल में भी वहां जो ये रोजाना घटनायें हो रही हैं उसके लिये दुख-दर्द है। लेकिन वे कह नहीं सकते। मैं ही उनकी तरफ से कहना चाहता हूं कि इन तमाम मामलों में गम्भीरता से जांच की जानी चाहिये। राजाखेड़ा के अन्दर खतरा हो गया है। वहां के जन जीवन में भय व्याप्त हो गया है। वहां पर एक जाटव की लड़की आगरा से मैट्रिक पास करके आ गई। वह शादी होकर आ गई। वहां के लोगों को इस बात में बुरा लगा कि एक जाटव की लड़की मैट्रिक पास करके आ गई। उन्होंने उससे अपनी पाप वासना की पूर्ति करना चाहा। लेकिन वह नहीं हो सकी। उस लड़की की हत्या कर दी गई। और उसके दो तीन रोज बाद उसके पति की हत्या कर दी गई। उसका बूढ़ा बाप खूब रोया। बड़े बड़े सेठों के पास गया। उसके मां बाप ने गले में कढ़ाही लटका ली है और दरवाजे दरवाजे भीख मांगता फिर रहा है। कहता है मुझे न्याय मिलना चाहिये। मेरी लड़की की मृत्यु की जांच होनी चाहिये। ये सब घटनायें वहां की स्थिति के बारे में जो कुछ प्रगट करती हैं यह मैं ही कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है, आपके उप-मन्त्री को प्रधान कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक नहीं दो दो पत्र लिखे गये हैं। एक तो १६ फरवरी, ६४ को क्रम संख्या ५५३ और दूसरा पत्र १६ मार्च १६६४ जिसकी पत्र संख्या ७८८ है लिखा है। हालांकि यह उपरोक्त मामले से सम्बन्धित नहीं है। प्रत्येक बार उचित व्यवस्था का आश्वासन दिया गया है। जांच सम्बन्धी कार्यवाही हुई भी है। लेकिन उससे जनता को किसी प्रकार विश्वास नहीं हुआ है। इसी राजाखेड़ा में वही थानेदार नियत है, जिसके सर्विस रोल में यह बात लिखी गई थी कि राजाखेड़ा में इसे नियत न किया जाय। यह वहां गड़बड़-घोटाले करता है। फिर भी उस आदमी को नियुक्त किया गया है। कौन सा स्वार्थ है जिससे सरकार उसको वहीं पर रखती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इससे शासन बदनाम होता है, आम जनता बदनाम होती है।

राजाखेड़ा के बड़े अच्छे हाल हैं। वहां के थानेदार की तवायफ का मकान बन रहा है। उसको देखकर तहसीलदार ने भी अपने

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

को कम नहीं समझा। तहसीलदार की तवायफ का भी मकान बनना शुरू हो गया है। यह आपका बड़ा भारी सुशासन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अब मेरे काम रोको प्रस्ताव में, अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया कि मैं कट मोशन के समय बोलूं। मैं उसकी भी थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। तस्कर व्यापार का जो काम करते हैं वह व्यापार तस्कर और पुलिस दोनों की मिली भगत से होता है। आप इसके प्रमाण कामां की मंडी से प्राप्त कर सकते है। कामां इलाके के अन्दर इस साल जो गन्ना पैदा हुआ उसकी एक हजार बीघा में जो फसल हुई वह बरबाद हो गई। केवल १८०० बीघा रकबे में जो गन्ना पैदा हुआ और वह सारा पूरी तहसील के इलाके के अन्दर काम आया उसके अनुसार कामां के अन्दर जो चुंगी आई उसके हिसाब से १ लाख ६८ हजार मन करीब गन्ना पैदा हुआ लेकिन बात क्या है कि दो रुपया मन के हिसाब से पुलिस थानेदार का बन्धा हुआ है। चुंगी के हिसाब से १.६८ हजार मन बाहर जाना प्रगट होता है जब कि करीब तीन लाख मन गन्ना बाहर गया। इसमें करीब एक लाख रुपया रिश्वत में कमाया। तस्करों ने काफी रुपया कमा लिया। डी० आई० जी० की क्रिमिनल ब्रान्च ने इन्क्वायरी करके थानेदार को मुअत्तिल किया और जांच अधिकारी को यह मामला दिया गया। लेकिन वहां का एस० पी० इस बात को लिखता है। डीग मंडी का यह हाल है कि वहां लाखों मन गुड़ आता है, पुलिस से मिलकर आता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, दूसरी तरफ पांच छः सेर गुड़ लेकर कोई महिला आती है उसको पकड़ लिया जाता है। किसी बहू को उसके पीहर वाले सिर पर पांच छः सेर गुड़ की भेली देते हैं तो उसको पकड़ा जाता है लेकिन वहां के पुलिस अधिकारी तस्करों से, मिल कर लाखों मन गुड़ लाते हैं उसका कुछ नहीं होता है।

यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, हमारी सोशलिस्ट पार्टी के साथी सत्यपाल को एक जनसभा में जब उन्होंने इस प्रश्न को उठाया तो चार पांच आदमियों ने घेर लिया। खुले आम तस्करियों ने उन पर बन्दूक तान ली। और कहा—जानते हो ऐसी बात करोगे तो जान से मार दिये जाओगे। दूसरी बन्दूक से फायर करने को तैयार हो गये लेकिन भीड़ ने वहां पर सर्किल लगा ली। तीन हजार की भीड़ ने थानेदार को और उच्च अधिकारियों को इस बारे में निवेदन किया कि सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के विरुद्ध १०७,१५७ ११७ के मुकदमें बनाकर उनको तंग किया जाता है। चालान किया जाता है। हमारी रिपोर्ट १०७ में दर्ज है।

इसी तरह से डीग के थाने के पास उसके नाक के नीचे चोरी हो गई। जहां थानेदार रहता है, और पुलिस वाले रहते हैं, चोरी हो गई, लेकिन उसकी जांच नहीं। मेरा इस बारे में सुझाव है कि ऐसे थाने की बजाय आप उस जगह एक पालतू कुत्ता ही रख दें, तो इन थानों से ज्यादा वह वहां की जनता की चौकसी कर सकता है। कम से कम चोर आयेंगे तो वह भौंकेगा तो सही,

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

जिससे जिसके घर में चोरी होने को है वह भी जग सकेगा और पास पड़ौस के भी उसकी मदद को आ सकते हैं। आखिर इस प्रकार के थाने के रखने से क्या फायदा ?

मेरे एक साथी के दुख दर्द की बात है वह भी मैं कह देना चाहता हूं। बाबूलाल गर्ग के साथ जो गुजरी है उसके बारे में मुख्य मन्त्री ने कहा, हम इन्क्वायरी करा रहे हैं। डिप्टी मिनिस्टर ने आदेश भी जारी कर दिये। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में पूरा इनवैस्टीगेशन होना चाहिये। पूरी तरह से इसकी जांच हो, उसमें कौन कौन आदमियों का हाथ है ! खेद का विषय है कि वे थानेदार जिनकी गफलत से इनकी हत्या हुई वहीं है। वह केवल हत्या हुई इसलिये कि वे डकैतियों के बारे में सूचना देते हैं, इस बात के लिये उनको गोली से उड़ा दिया गया। आज हम लोगों का जीवन खतरे में है। हम जीवन की परवाह नहीं करते, कर्तव्य जो हमारा है वह हम पूरा करके रहेंगे। आज अमानवीय तत्व सिर उठा रहे हैं उसको कुचलने में हमें आपका पूरा सहयोग मिलना चाहिये।

मैं निवेदन करूंगा, जैसे एक गृह मन्त्री चले गए, उनके पीछे आज वहां पुलिस का राज्य है, उसका तांडव नाच हो रहा है। वही डी० एस० पी० आज वहां मौजूद हैं। वहीं डकैतों का समुदाय मौजूद है। ठीक है आपने छाप दिया कि पांच डकैतों को आपने पकड़ लिया। वह गृह मन्त्री तो हट गए। परन्तु पुलिस का शासन वहां उसी तरह से कायम है धौलपुर में, और ऐसा ही शायद रहने वाला भी है। आज के नए गृह मन्त्री जी से भी वहां का समाधान नहीं होने वाला है।

ऐसी स्थिति में, मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मौका है कि अगर आप से हुकूमत नहीं सम्भलती है, आपकी कुछ मजबूरियां हैं, दोस्ती है किन्हीं लोगों से. किन्हीं बड़े बड़े सेठ साहूकारों से आपको अपनी दोस्ती निभानी है, तो बड़ी खुशी से निभाइये, खूब निभाइये, पर एक चिट्ठी आप केन्द्र को लिख दीजिये कि धौलपुर सब-डिवीजन की हुकूमत हमसे नहीं सम्भलती, आप सम्भाल लीजिये। चम्बल के पूरे इलाके को केन्द्र के शासन में दे दीजिये। हम इसकी मांग करते हैं। क्योंकि आज का शासन वहां पूरी तरह से फेल हो गया है उस इलाके में, कि वहां फैले हुये भ्रष्टाचार को रोक सके, वहां फैली अराजकता को रोक सके, डकैतों और पुलिस को रोक सके, पुलिस के अत्याचारों को रोक सके। ये मोटे मोटे मुद्दे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : जब स्वतन्त्र पार्टी की खुद नेत्री आम जनता की मीटिंग में भाषण करती हैं कि आप हमारे प्रिवी-पर्सों को ले लो, तो मैं नहीं समझता कि क्या आपको मजबूरी है, ? क्या दिक्कत है आपकी ? आज इतनी बड़ी धनराशि गरीब जनता की इन राजाओं पर खर्च क्यों की जाती है ? इनको एक साथ खतम कर दीजिये इन प्रीवी-पर्सों को। इसकी जोरदार मांग करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने मांग सं० १२, मुख्य शीर्षक २३ में ३ कटौती के प्रस्ताव रक्खे हैं।

पुलिस की जो प्रॉसीक्यूशन ब्रांच है, पी. एस. आईज और पी. आईज हैं, वे लोअर कोर्ट में, और मुंसिफ मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पैरवी करते हैं। जुडीशियरी अलग हुई, पर यह ब्रांच आज भी पुलिस के नीचे ही है।

आज ये पी. एस. आईज लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं। इसलिए जैसी पैरवी अनुभवी लॉ ग्रेजुएट वकील करते हैं, वैसी ये नहीं कर सकते। इसका नतीजा यह होता है कि संगीन केसेज में अपोजीशन की पैरवी अच्छे वकील करते हैं, तो वे सफल हो जाते हैं और ये असफलतायें ही प्राप्त करते हैं। और इससे ओटोमेटिकली लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन पर असर पड़ता है।

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि लॉ ग्रेजुएट रखे जावें, अनुभवी भी हों, ट्रेन्ड भी हों, पर साथ साथ अगर उनकी तनख्वाह उन अनुभवी लॉ ग्रेजुएट वकीलों के बराबर नहीं दी जावेगी, तो वे कोर्ट में कैसे अच्छी तरह से पैरवी कर सकते हैं। आज भी उनमें इस बात पर असन्तोष व्याप्त है और इस बात पर भी असन्तोष है कि प्रॉसीक्यूशन ब्रांच जुडीशियरी के नीचे नहीं दी गई। इसका इन्टीग्रेशन नहीं हुआ।

जिस सफलता के साथ जुडीशियरी में ये काम कर सकते हैं, इन्डिपेन्डेन्ट विचार रख सकते हैं, और प्रॉसीक्यूशन ब्रांच का रोल सफलता से अदा कर सकते हैं, वहां आज सरकारी केसेज में बहुत असफलता का सामना करना पड़ता है। सरकार के संगीन केस भी अधिकांश में फेल हो जाते हैं। सभी जिलों में, विशेषतया मेरे जिले में जो हालात है उसकी जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं। सरकारी केसेज में वहां पी. एस. आईज और पी. आईज की ओपीनियन नहीं मानी जाती, डी. वाई. एस. पी. और सर्किल इन्सपेक्टर की ओपीनियन ही फाइनल होती है। जिसका नतीजा यह होता है कि कोर्ट में जब केस चला जाता है तो उसमें लॉ के भी कई लैक्यूनाज रह जाते हैं। पी० एस० आई० व पी० आई० जो खामियां बताते हैं वे पुलिस पूरी नहीं करती और अन्त में कोर्ट में केस फेल हो जाता है।

मैं इसका एक स्पैसिफिक उदाहरण देना चाहता हूं। सांचोर थाने में दो तीन महीने पहले ३३३ I.P.C. का एक मुकद्दमा दर्ज हुआ। तीन चार मुलजिम उसमें सही थे, पर आपसी अदावट की वजह से पांच सात मुलजिम झूठे भी लिख दिये।

(६.४८ म० पू०)

(राव श्री नारायण सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक्साइज के इन्सपैक्टर किसी के घर में अफीम पकड़ने को गये। और वर्दी बदल कर गये। तो इसमें आसपास में खड़े लोगों के आने पर मार पीट हुई। मारपीट करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिये यह मैं मानता हूं। पर सच्चे चालान होने चाहिये। पर हुआ क्या कि आपस की अदावट की वजह

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

से दो माइनर औरतों और दो माइनर लड़कों को भी इसमें फांस दिया जो कुसूरवार भी नहीं थे। सिर्फ अदावट की वजह से माइनर का चालान किया। और एच. सी. सांचोर ने स्पेशल रिपोर्ट केस होते हुए भी, कि तफतीस इसकी कोई सीनियर ऑफीसर करे, खुद ने तफतीश कर डाली। फिर बाद में ऑर्डर हुआ इसकी सीनियर ऑफीसर तफतीश करे। पर चूंकि हैड कान्स्टेबल तफतीश कर चुका था और अब नई तफतीश में सचाई सामने आ जाती है तो केस शायद अदालत में फेल हो जावे इस वजह से लापरवाही बरती गई और सही तफतीश नहीं हो सकी। नतीजा यह हुआ कि ६ मुल्जिमान माइनर लड़के और फिमेल समेत का चालान हुआ। सारे इलाके भर में हरेक जानता है कि यह गलत चालान हुआ, अदावट के कारण हुआ। पर शुरू में निगरानी नहीं रखी गई और सीनियर ऑफीसर तफतीश पर नहीं लगाया गया। स्पेशल इन्स्ट्रक्शन्स भी I. G. P. द्वारा जारी हुई हैं पर वे फोलो नहीं हुई। लापरवाही बरती गई। सारे केस के इतने संगीन होते हुए भी जब इसे लाइटली लिया गया तो इसका परिणाम क्या होगा? चार पांच साल तक वे बेकसूर लोग अदालत में फिरते रहेंगे और ऐसी बुरी हालत होगी। फिर आखिर केस किस तरह कामयाब हो सकता है? आखिर हो भी कैसे? इसमें सच्चाई और झूठ दोनों मिक्स्ड हो चुके हैं तो अदालत में क्या हाल होगा, यह प्रत्यक्ष है।

तो इस तरह, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पिल रखी। इसमें क्लीयर है कि सरकार के इन्स्ट्रक्शन्स का पालन कैसे होना चाहिये और यहां क्या हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके जरिये में माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप मंत्री गृह) : एडवोकेट कौन हैं, नाम बता दें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मुझे जानकारी नहीं है। वहां के ही लोकल एडवोकेट हैं। वहां के ही होंगे। लेकिन मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे संगीन केसेज़ में सरकार द्वारा सतर्कता बरती जानी चाहिये। उसमें माइनूटली इनवेस्टीगेशन होनी चाहिए और जो भी सच्चे मुलजिमान हों उनका चालान हो तभी यह चीज कामयाब हो सकती है और उसके अलावा जो वहां की प्रॉसीक्यूशन ब्रान्च थी वहां के पी० एस० आई० ने राय दी थी कि इस तरह से चालान हुआ तो केस कामयाब होने वाला नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा दूसरा उदाहरण रानीवाड़ा थाने का बताना चाहता हूं। वहां पर बन्दूक की चोरी का मुकदमा दो साल से ज़ेर तफतीश है। यहां से जो पहले होम मिनिस्टर साहब थे उनका हुक्म गया कि यह बन्दूक की चोरी का बहुत संगीन केस है और यह बन्दूक बरामद होनी ही चाहिए। पुलिस ने स्पेशल एफर्ट्स करके बन्दूक का पता लगा लिया और बन्दूक मिल गई। तो अब केस चालान काबिल है। लेकिन सी० आई० डी० क्राइम्स ब्रांच के यहां से इस प्रकार की आज्ञा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

गई कि इसकी तफ्तीश रोक दी जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आपके जरिये आकर्षित करना चाहता हूं कि बगैर फाइल के, बगैर जानकारी के सिर्फ किसी तरह से कोई रिपोर्ट पेश हो जाये और फाइल को बिना स्टेडी किये हुए ऑर्डर्स जारी हो जायें तो वहां की जो पुलिस है उसमें असन्तोष फैलता है और उसका सारे इलाके में भी बुरा असर पड़ता है। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये माननीय मन्त्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि इस मामले में बगैर तथ्य जाने कोई हुक्म चला जाये, उसके एडवर्स इफैक्ट लोगों पर पड़े, तो इस मामले में सतर्कता से काम लिया जाना चाहिये ताकि उसका असर इलाके में अच्छा हो।

(समय-समाप्ति--सूचक घन्टी)

१० मिनिट नहीं हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : १० मिनट तो हो गये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूसरे आपके जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि।

श्री उपाध्यक्ष : Two minutes more.

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था कि जो प्रॉसीक्यूशन ब्रान्च में पी० एस० आई० एफीशियन्ट हों उनको दूसरी सर्विसेज में जैसे आर० ए० एस०, आर० पी० एस० में बैठने की उनको सुविधायें होनी चाहिये। उनके ग्रेड्स रिवाइज़ होने चाहिए। या इसके अलावा यह कर दिया जाये कि जैसे पी० पी० के स्टेटस का और कोई P.S.I. या P.I. एफीशियेन्ट है तो उसके साथ साथ उसकी तनख्वाह भी बढ़ायी जानी चाहिए तभी एफीशियेन्सी से वह पैरवी कर सकते हैं वरना उनका मन नहीं लगेगा और अगर उसको थानेदार की तनख्वाह दी जायगी तो ऐसे ग्रेड्स में किस तरह से अपनी पैरवी कर सकते हैं इसलिए इस तरफ सरकार का ध्यान देना निहायत जरूरी है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक चीज़ और मैं आपकी मार्फत सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भीलवाड़ा में जो इन्सीडैन्ट हुआ उसकी यहां सदन में भी काफी चर्चा हुई। किन्तु मैं आपके जरिये एक तथ्य जो मेरी जानकारी में आया है, वह बताना चाहता हूं। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेट ने ए० एस० पी० को आर्डर दिया कि लाठी चार्ज और टीयर गैस use होनी चाहिए, भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए। परन्तु मुझे जानकर हैरानी होती है कि ऐसे ऑर्डस होते हुए भी पुलिस ने जो कुछ किया उनके खिलाफ सीवियर एक्शन लिया गया। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डस का का कोई हवाला नहीं है और उसके तथ्य सामने होते हुए भी उनकी कोई चीज ध्यान में नहीं आई। उसके अन्दर जो कुछ एक्शन लिया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स की तामील की गई या क्या किया, इसके बारे में, मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसके बारे में वह सदन के सामने तथ्य रखें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऐसे आर्डस दिये थे या नहीं और उसके अन्तर्गत पुलिस कार्यवाही थी या नहीं ?

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बात की

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि थानों के अन्दर अधिकतर झूठे केसेज़ पहुंचते हैं। जब से पंचायतों का गठन हुआ है। क्यों कि वहां आपसी अदावट ज्यादा होती है। अतः उसके बारे में सरकार को पूरी जांच करके कार्यवाही करनी चाहिये। आपसी अदावटों की वजह से कई केसेज़ "as it is" दर्ज हो जाते हैं उनका "as it is" चालान नहीं होना चाहिये और उसके अन्दर पुलिस को जो भी एक्यूज़्ड सच्चा हो, उसी के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। यह नहीं हुआ तो दिन ब दिन सरकार के प्रति जनता में असन्तोष बढ़ता रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिराम।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पुलिस की मांग पर बहस चल रही है, इसमें हमारे बजट का एक काफी बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता है। तो हमको आज यह देखना है कि पुलिस की कार-गुजारियों से किन लोगों के हौंसले पस्त हुए हैं। आज जब हम गहराई से देखते हैं तो जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में पुलिस का इस्तेमाल बड़े लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए होता था, उसी तरह से आज भी पुलिस का इस्तेमाल बड़े बड़े उद्योगपतियों की सुरक्षा के लिए और बड़े बड़े उद्योगपतियों के शोषण को पूरी तरह से बल मिले इसलिये हो रहा है। इसी तरह से जागीरदारों को आज पुलिस की ताकत का अहसास हो रहा है। इसी तरह से जब हम यह देखते हैं कि समाज विरोधी तत्व जिनको दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। आज तस्कर व्यापारी लोग जो समाज विरोधी तत्व हैं, निश्चित रूप में हैं, चाहे सफेद कपड़े पहन कर करते हो, चाहे वह और कोई नेताओं के बल-बूते पर करते हों, चाहे वह बड़े बड़े खानदानों से संबंध रखते हों। चाहे वह काफी साधन सम्पन्न लोग हों लेकिन यह निश्चित बात है कि वह समाज विरोधी तत्व है। उन तत्वों को दबाने के लिए आज हमारी पुलिस के पास कोई कानून नहीं है, कोई हथियार नहीं है, इस पुलिस के पास कोई जेल नहीं है। वह तस्कर करने वाले लोगों को चाहे वे गुड़ का तस्कर करते हों, चाहे खांड का करते हों, चाहे भाव बढ़ाकर चीजें बेचते हों हमारी सरकार नहीं रोक सकी है। भावों का भी बहुत बड़ा तस्कर है। मैं यह समझता हूं कि आज प्रचार के लिए बड़े बड़े इश्तिहार देखने को मिलते है, अफवाहें मत फैलाओं, मुंह के ऊपर हाथ लगे हुए होते हैं। नेहरू की अपील है। सारे हिन्दुस्तान के अन्दर दीवारों के ऊपर वह इश्तिहार लगे हुए हैं।

आज एमर्जेन्सी कायम है। एमर्जेन्सी है और एमर्जेन्सी के अन्दर भाव बढ़ाने वालों के ऊपर कार्यवाही की जा सकती है डिफैन्स औफ इन्डिया एक्ट के तहत। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी सरकार, एक मिल है, जो गेहूं लेती है कन्ट्रोल भाव पर गेहूं लाती है, और आटा बनाती है, मैदा बनाती है, जयपुर शहर के अन्दर, राजस्थान की राजधानी के अन्दर उसका ब्लैक होता है। दसियों हजार रुपये रोज़ का ब्लैक होता है। ब्लैक रुकवाने के लिए लोग कोशिश करने के लिए हमारे पास आते हैं। हम ऐन्टी-करप्शन वाले महकमे के पास जाते हैं और कहते हैं कि श्रीमान् जी आपका महकमा करप्शन रोकने का है; वे कहते हैं हां, जरूर रोकने का है। तो फिर हमने कहा

(श्री हरिराम चौहान)

हम आपको केसेज़ बताते हैं। हम आपको यह बताना चाहते है कि दसियों हजार रुपयों का घोटाला हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। कीमतें बढ़ाकर गेहूं बेचा जा रहा है, इसके लिए आप अपने कानून का इस्तेमाल कीजिए।

तो एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट के जो मुखिया हैं....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आया कि आज इनकी पार्टी का जलूस निकल रहा है और आप यहां अकेले बैठे हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, उधर विराजमान हैं। आप इधर देख रहे हैं। आप उधर देखिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री हरिराम चौहान : आई० जी० पी० साहब को कहा गया तो वे कानून देखने लगे। कानून के नुमायन्दों से मशवरा करने लगे और उनसे जवाब मिला कि हमारे पास इस तरह का कोई कानून नहीं हैं जिससे कि हम, जो भाव बढ़ाकर बेच रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकते हों। फिर पुलिस के पास गये। सी० आई० डी० के पास गये। उन लोगों से कहा कि आपके पास कोई कानून है ? तो वह कानून देखते हैं कि किस कानून के तहत कोई कार्यवाही कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि अभी तक कानून देखा गया कि नहीं लेकिन मेरी अब तक की जो सूचना है वह यह है कि बढ़ते हुए भावों पर आटा बिक रहा है। अनाज के ऊपर जो मर्जी आये मंहगाई करके बेचे, चीनी के अन्दर कितना ही ब्लैक मार्केटिंग करे। चीनी तीन रुपये सेर के अन्दर बिक रही है। कागजों के अन्दर भाव १ रु० २० नये पैसे पर किलो का है। हमारे कलैक्टर के दफ्तर के अन्दर भाव मौजूद है, लेकिन बाजार में भाव तीन रुपये किलो हैं, ढाई रुपये किलो है। वह मिल जाती है और मंडियो में मिलती है, लेकिन हमारी इस पुलिस के पास, इस महकमे में के पास कोई कानून नहीं है कि उसको रोके। उनको दिखाई नहीं देता है। तो इस बात से निश्चत रूप में जो समाज विरोधी तत्व है, इस समाज के अन्दर से किसी भी तरह से पैसा कमाना जिनका मकसद है, जिनको देश से कोई प्यार नहीं है, अगर प्यार है तो देश की जनता को लूटने का ही प्यार है। इस तरह के लोगों के लिए हमारी सरकार के पास, हमारी पुलिस के पास कोई कानून नहीं है।

फिर रहा सवाल भ्रष्टाचार का। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल एक बड़ा ही अजीब किस्म का सवाल है। अब उसको रोकने के लिए हम बराबर कोशिश करें बार-बार यहां पर बोलकर चले जायं, सरकार चाहे कितने ही प्रयत्न करे, लेकिन वह तो ऐसी बीमारी है जो इस सरकार की जड़ के अन्दर समा गई है। सरकार के सारे शरीर के अन्दर वह कीटाणु प्रवेश कर रहे हैं, और अब उसका कोई इलाज आसानी से नहीं हो सकता है। कोशिश करने की घोषणा वहां हमारी सरकार भी करती है, लेकिन मैं नही समझता कि वह कितनी कामयाब होगी ?

मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि एक थानेदार साहब थे सवाईसिंहजी गोविन्दगढ़ के अन्दर उनको १००) रु० के देकर गिरफ्तार कराया, और जिन लोगों ने गिरफ्तार कराया और जो

(श्री हरिराम चौहान)

लोग यहां से एन्टी-करप्शन के लोगों को ले जाने के लिए आये थे, उन लोगों को जिन्होंने सवाईसिंहजी को गिरफ्तार कराया था, उसी सवाईसिंहजी के हाथों से जो कि रंगे हाथों पकड़े गये थे, उसी सवाईसिंह ने जिन लोगों ने पकड़वाने में मदद की थी, आठ रोज के बाद किसी झूंटी रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार कर लिया। अब आप बताइये कि किस तरह से लोगों का यह हौसला हो सकता है? ८ रोज वह १००) रु० रिश्वत लेने के बाद भी थानेदार बना रहे और १३ दिन के बाद में सस्पैन्ड किया जाय, और १३ दिन के दौरान के अन्दर जो भी पकड़वाने वाले लोग थे, उनके ऊपर झूंटा मुकदमा कायम करके पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और वही थानेदार गिरफ्तार कर लेता है। हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने कितनी ही बार यह कहा था कि भ्रष्टाचार को आप रोकिये तो सरकार आपके साथ हैं, वैसे बात बिल्कुल उल्टी है। सरकार अगर रोके और अपोजीशन के लोग कहें कि हम आपके साथ हैं तब तो कोई बात जंच सकती है। लेकिन इधर भ्रष्टाचार की बात करें तो उधर से माननीय मुख्य मन्त्री यह कहें, उस वक्त वह गृह मन्त्री नहीं थे, आज वह गृह मंत्री भी हैं, आज वह मुख्य-मन्त्री भी हैं और वह यह कहें कि आप भ्रष्टाचार को रोकें तो हम आपके साथ हैं, और जब हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई कदम उठाते हैं, तो सरकार इनका, पुलिस के भ्रष्टाचारी लोगों का साथ ले लेती है। अगर भ्रष्टाचार को रोकना था तो रोकना था तो इस तरह की बात कि जिस थानेदार को १००) रु० देकर गिरफ्तार करवाया गया उसी रोज उन्हीं दिनों के अन्दर वह बिल्कुल वहां से हटा दिया जाता और उसको सस्पैन्ड कर दिया जाता तो उसे यह मौका नहीं मिलता कि वह पकड़वाने लोगों के खिलाफ झूंटा मुकदमा बनाकर उनको गिरफ्तार कराता। इससे यह मालूम पड़ता है कि यह सरकार जो है उससे इस तरह के केसेज पर भी कुछ नहीं होता है। इस तरह का एक केस नहीं है। ५००) रु० एक थानेदार रिश्वत के लेता है और ४८०) रु० वह वापिस लौटा देता है अलवर के थाने के अन्दर। ४८०) रु० लौटाने के बाद फिर कहते है कि ४८०) रु० वापिस दे दिया गया है। अब इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है? कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। उसका ट्रांसफर जरूर कर दिया गया। ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती है। एक जगह पर जब एक थानेदार की बदनामी हो जाती है। एक जगह पर अच्छी तरह से रिश्वतें ले लेकर वह बदनाम हो जाता है, उसको पकड़वाने के लिए प्रयत्न जनता की ओर से जारी हो जाते हैं, उस वक्त उनको एक इलाका दिया जाता है। अच्छी बात है, यहां तुम बदनाम हो गये हो, यहां ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। दूसरा आपके लिए नया इलाका तैयार कर देते हैं। वहां के लोगों को ठीक तरह से लूट सकोगे और जितनी भी लूट करोगे काफी दिन तक उसका पता नहीं चलेगा।

जिन थानों को ये कहते हैं कि ये आरक्षी केन्द्र हैं, वहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए है। उन बोर्डों को देखते हैं तो लिखा है कि आरक्षी-केन्द्र हैं। लेकिन हकीकत में देखते हैं तो वे आरक्षी केन्द्र नहीं हैं। बल्कि यातना केन्द्र हैं। उनमें आज कोई फर्क नहीं पड़ा है अंग्रेजों के जमाने से। आज भी कोई हरिजन थाने में जाता है तो उसका दिल दहलाता है।

(श्री हरिराम चौहान)

उसके हाथ-पैर कांपते है। अगर हरिजन कुर्सी पर बैठता है तो उसको थानेदार की डांट सहन करनी पड़ती है। थानेदार की गालियां खानी पड़ती हैं। थानेदार के जूते खाने पड़ते हैं। आज भी भला आदमी कोई थानों के अन्दर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाने की हिम्मत नहीं करता है जब तक कि जेब के अन्दर पैसा टका नहीं है। जो थाने, तहसील और अदालत लोगों के फायदे के लिए है, जो हम घोषणा करते हैं कि आम लोगों के फायदे के लिए है, आम लोगों की जान और माल की रक्षा के ये सब चीजें कायम कर रखी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि थाना, तहसील और अदालत ये एक तरीके से किसानों और मजदूरों का खून निचोड़ने के लिए एक-एक कोल्हू फिट कर रखे हैं। मुझे माफ करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोल्हू शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि हम अपनी आंखों से देखते हैं कि वहां पर बुरी तरह से रिश्वत ली जाती है। यहां के थानों के अन्दर लोगों को बुरी तरह से पीटा जाता है। एक टपुकड़ा गांव में महेन्द्रसिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन पुलिस कोई चीज बरामद नहीं कर सकी। उसकी औरत को बुलाया गया। उसकी औरत को नंगा करके पीटा गया। नंगा करके पीटा गया और बिजली लगाई गई। उसके बावजूद कोई भी चीज बरामद नहीं कर सकी यह पुलिस। उसके बाद भी उसके ऊपर मुकदमा चला। इस तरह की घटनायें एक नहीं अनेकों हैं जिससे कि इस सरकार का यह पुलिस विभाग यह कह सके कि लौ एण्ड ऑर्डर की स्थिति ठीक रही हो अपराध के लिये कह सकते हैं कि कम हो रहे हैं, लेकिन इनके अनुसार कौन सा अपराध है यह भी एक विशेष तरह की बात है। उनकी नजर के अन्दर कौन सी तरह का अपराध गिना जाय, कौन सी रिपोर्ट है जिसको वे दर्ज करें और अपराध के अन्दर शामिल करें। इनकी नजर में कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिनकी रिपोर्ट तो दर्ज नहीं होगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो इनमें विश्वास नहीं करते हैं और रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको ये अपराध नहीं समझते हैं। जो किसानों और मजदूरों की थानों के अन्दर पिटाई करते हैं तो वह इनकी नजर में अपराध नहीं हैं, और उस थानेदार के खिलाफ कोई केस दायर नहीं हो सकता।

इसी तरह से जितने भी केसेज हैं, थानों के अन्दर, किसानों और मजदूरों को पीटने के, उन केसेज़ के अन्दर कोई भी किसी तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, कोई केस दर्ज नहीं होता है। क्या हुआ कोई बड़ा हंगामा हो गया, जिस तरह कि भीलवाड़े के अन्दर वकीलों को पीटा गया।

पहले किसान और मजदूर पिटते थे। अब नंबर वकीलों का आ गया है और जब इतनी बड़ी घटनाऐं हो जायं........

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): अब तो मिनिस्टरों का नम्बर आनेवाला है।

श्री हरिराम चौहान: उधर बैठने वाले लोग ज्यादा उन पर विश्वास करते हैं,

लेकिन एम. एल. एज. का नम्बर भी आ जायगा। फिर पता नहीं मामला कहां तक पहुंचे और पुलिस की ताकत कितनी बढ़े। क्योंकि पुलिस को जितने अधिकार दिये है, वैसे अधिकार किसी को नहीं है।

(श्री हरिराम चौहान)

आज डी. आई. जी. कहते हैं मैं क्या करूं थानेदार का प्रेलिमिनेरी काम था। किसी को कत्ल के मामले में फंसाना है तो थानेदार के अन्दर इसके लिये ताकत है। कत्ल के मामले के बाहर किसी को करना हो तो भी थानेदार की ताकत है। थानेदार को जितनी पावर्स दी हैं, वे अंग्रेजों के जमाने के घिसे पिटे कानून के अंतर्गत हैं। वही घिसा पिटा अंग्रेजों के टाइम का सिस्टम। वही आई. जी. और वही डी. आई. जी, ज्यादातर अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। वह करैप्ट मशीनरी जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त थी, वही सारी की सारी नौकरशाही आज हमारे सर पर मौजूद है। जब वह सारी नौकरशाही अंग्रेजों के जमाने की मौजूद है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं ? आप यह समझते हैं, कि भ्रष्टाचारियों का हृदय परिवर्तन हो जायगा, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है कि हृदय परिवर्तन होगा। हो सकता है कि मुख्य मंत्रीजी का विश्वास हो या गृह मंत्रीजी का विश्वास हो कि हृदय परिवर्तन करके हम काम चला लेंगे, लेकिन हम नहीं समझते कि हृदय परिवर्तन कर सकते हैं या राज्य की पुलिस में से भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं। यदि आपको भ्रष्टाचार खत्म करना है तो लाजमी तौर पर कुछ लोगों को छुट्टियां दी जायगी। एक लिस्ट बना लीजिये। सरकार की तरफ से एक लिस्ट बन जाये। १०० आदमियों की बनालें, चाहे १५० आदमियों की समालें। और यदि ज्यादा लंबी लिस्ट बनाने की हिम्मत नहीं है, तो कम से कम ५० ऑफीसर्स की लिस्ट बनालें, जो सबसे ज्यादा बदनाम हो, इलाके में और सारे राजस्थान में बदनाम हो........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो श्रीमानजी शुरू ही किया है, ८. ७ मिनिट नहीं हुए होंगे, मैं अपनी पार्टी की तरफ से अकेला बोलने वाला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : करीब करीब २० मिनट होने आये हैं। आपको पहली सूचना दी गई है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : हमारा भी ख्याल रखा जाय, वैसे कल भी हमें अवोइड कर दिया था।

श्री हरिराम चौहान : कम से कम ५० लोगों की लिस्ट हाउस के सामने आनी चाहिये। प्रान्त के दो करोड़ लोगों के सामने आनी चाहिये, तो हम महसूस कर सकते हैं कि सरकार इस तरह सोच रही है। आप ईमानदार लोगों की कमेटी मुकर्रर करें, यह नहीं कि उसमें खाली विधान सभा के मैम्बर ही ले लिये जाय, इसी तरह से नौकरशाही के जज वगैरह ले लिये जायं........

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : विधान सभा के मैम्बरस को ईमानदार नहीं समझते हैं क्या ?

श्री हरिराम चौहान : विधान सभा के मैम्बर्स ईमानदार हैं, लेकिन इनके अलावा बाहर के लोग जो सारे इलाके में अपनी ईमानदारी के लिये मशहूर हैं, जिनके लिये न इधर के लोगों को ऐतराज है, न उधर के लोगों को एतराज है, इस तरह के लोग राजस्थान में बहुत मिल सकते हैं। उन लोगों को इस कमेटी में लें और इस कमेटी को पूरी तरह अधिकार दिये जायं ताकि आम लोगों के ऊपर जो पुलिस का महकमा है, सबसे ज्यादा जो भ्रष्ट महकमा है, उस पर पूरी तरह से अंकुश लगा सकें।

अब मुझे थोड़ा बहुत हनुमानगढ़ के बारे में कहना है, क्योंकि मैंने स्थगन प्रस्ताव हनुमानगढ़ की घटना को लेकर दिया था, मगर अफसोस है कि उसका जवाब आज तक हमारे सामने नहीं दिया। ५ रोज पहले....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : स्पीकर महोदय का यह ऑब्जर्वेशन था कि कट मोशन के समय डिस्कस कर लिया जाय।

श्री हरिराम चौहान : यह अफसोस है, कि जब मैं बोल रहा हूं तब मुख्य मंत्रीजी जो गृह मंत्री भी हैं वे हाउस में नहीं हैं

(शोरगुल)

यह इस तरह की घटना थी, जो उनसे संबंध रखती है, उन पर हमारे चार्जेज़ लगेंगे, इसलिये उनको हाउस में मौजूद रहना चाहिये था। मुख्य मंत्रीजी हनुमानगढ़ पधारे थे....

श्री विजयसिंह झाला : On a point of order, क्योंकि यह चार्ज जो लगाया जा रहा है, वह माननीय मुख्य मंत्रीजी पर पर्सनल लगाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में जिस मंत्री या सदन पर चार्ज लगाया जाता है उसका सदन में उपस्थित होना आवश्यक है। मैं समझता हूं आपका आदेश होना चाहिये कि वे सदन में उपस्थित रहें।

श्री उपाध्यक्ष : The cabinet has the joint responsibility.

श्री विजयसिंह झाला : पर्सनल चार्ज है इसलिये उनका यहां रहना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : There is nothing like a personal charge over the cabinet. Everybody is responsible.

श्री हरिराम चौहान : मैं यह समझता था कि मुख्य मंत्रीजी यहां उपस्थित होने चाहिये थे, लेकिन खैर उनको फुर्सत नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत महकमें हैं, इसलिये फुर्सत नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन हनुमानगढ़ मुख्य मंत्रीजी जाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Please wind up early now.

श्री हरिराम चौहान : जल्दी कर रहा हूं। वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वे वहां पर नारे लगा रहे थे। शान्तिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। दो घंटों तक प्रदर्शन करते रहे। उसके बाद मुख्य मन्त्रीजी वहां पर तशरीफ लाते हैं, उनके आने के बाद वे अपने लोगों से दूसरी तरफ मिलते हैं, मैं नहीं समझता किस तरह का षड़यन्त्र किया जाता है कि वहां से एक आत्माराम नाम का आदमी लाठी लेकर मुख्य मंत्रीजी के पास से रवाना होता है और ८-१० गुंडों

(श्री हरिराम चौहान)
को साथ लेता है और प्रदर्शनकारियों पर निर्ममतापूर्वक जबर्दस्त हमला करता है और उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा, सदन को सुन कर ताजुब होगा, कि जिन पर हमला किया गया, वे काफी मौज्जिज आदमी हैं और जिन पर हमला किया गया उनमें एक सदन के माननीय सदस्य श्यौपतसिंहजी भी मौजूद थे........

श्री निरंजननाथ आचार्य : वे अब माननीय सदस्य नही हैं।

श्री हरिराम चौहान : उनको स्टे दे दिया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : छीन लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री हरिराम चौहान : उनको यहां बैठने का अधिकार मिल गया है, आपको मालूम नहीं है श्रीमानजी। ये इस तरह से अपने जर खरीद गुंडों को इकट्ठा करके, इस तरह से, जो भी लोग वहां पर मौजूद थे, उन पर हमला करते हैं। यह सब पुलिस की मौजूदगी में होता है। यह हमारे मुख्य मंत्रीजी जो गृह मंत्री भी हैं उनकी मौजूदगी में होता है, जो उनके लिये बड़े भारी कलंक की बात हैं। आज रामप्यारा काण्ड पंजाब में मशहूर है। वहां के मुख्य मंत्री मौके पर मौजूद नहीं थे। इस तरह उनका हाथ तोड़ दिया गया था। उनकी गुंडों द्वारा पिटाई की गई थी। यह चीज मशहूर करती है कि सारे हिन्दुस्तान की जनवादी शक्तियों पर क्या असर पड़ा? किस तरह जनवादी शक्तियों ने नोट लिया? सारे हिन्दुस्तान के अखबारों ने नोट लिया। आज मैं मानता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने अपने शासनतंत्र को मजबूत किया है। इसमें कोई शक नहीं कि आज उनकी कांग्रेस में जो स्थिति है, वह कभी नहीं थी। आज कुछ लोग उनको चैलेन्ज करने का हौंसला रखते हैं, आज वे जिसका चाहे उसका पद बदल सकते हैं।

जिसको चाहें, महकमा बदल सकते हैं, जो ताकत अपने अन्दर समेटना चाहें उसको अपने अन्दर सिकोड़ सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं। और यह बात सही है कि उन्होंने अपनी सल्तनत को मजबूत किया है। फिर भी मैं बता देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना गम्भीर सवाल है, जिसको इतनी तेजी से नहीं लिया जा सकता, जो दो मिनट के अन्दर खत्म नहीं हो सकता। मैं मुख्य मंत्री जी से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा पूछना चाहूंगा, जब उस वक्त शांति पूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था और जब इस तरह से उन पर हमला किया गया, लोगों के सिर फोड़े गये, उन लोगों के कपड़े खून से लथ-पथ देखते हुए भी उस वक्त पुलिस कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर सकी? जब खुद मुख्य मंत्री वहां थे। तो मैं यह कहना चाहूंगा........

श्री उपाध्यक्ष : Please wind up.

श्री हरिराम चौहान : मैं खत्म कर रहा हूं।

आपके पास कानून मौजूद है। जब आपके पास पुलिस मौजूद है तो आपने कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की और....

श्री उपाध्यक्ष : That is all.

श्री हरिराम चौहान : आप कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं तो यह बता दीजिये कि इसी तरह से हर कोई चीज तय करना चाहते हैं और हर मामले को लाठी से तय करना चाहते हैं। यह आप अपनी जबान से कह दीजिये तो हमें भी इस बात की चिन्ता नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : That is all.

श्री हरिराम चौहान : हम इस बात को मंजूर करने के लिए तैयार हैं। आप यह कह दीजिये कि लाठी से तय होगा तो हम इस बात के लिए तैयार हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : Order please! श्री महारावल।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपका जो इरादा है, बाहर देख लीजिये। वह इरादा बाहर पूरा करना, उसका स्वागत है।

श्री हरिराम चौहान : आप मुख्य मंत्री से कहलवा दीजिये कि हर बात लाठी से तय होगी, तो लाठी से तय कर लेंगे....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : लाठी से तय कर लेंगे, देखा जायगा!

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री हरिराम चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी कह दें कि इस राज्य के अन्दर कोई कानून नहीं है, इस राज्य के अन्दर कोई व्यवस्था नहीं है और हम किसी प्रकार व्यवस्था नहीं कर सकते....

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) On a point of order Sir.........

श्री हरिराम (चौहान) : तो मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी के पास हम कोई दर्ख्वास्त लेकर नहीं जायेंगे।

(शोर-गुल एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please! I have called another name.

श्री हरिराम चौहान : मैं कहता हूं कि बाकायदा उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिये जिन्होंने मुख्य मन्त्री जी की मौजूदगी के अन्दर उनको पीटा है, हम इस तरह........

(शोर--व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please! सदन की इस तरह व्यवस्था नहीं हो सकती।

श्री हरिराम चौहान इस तरह की बातों को हम बरदाश्त नहीं कर सकते। इसलिए सरकार को निश्चित रुप से इसका जवाब देना चाहिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग एक बहुत ही महत्व पूर्ण विभाग जन--सेवा के लिए मानता हूं, लेकिन जितनी अपेक्षा इस जन--सेवा विभाग से की जानी चाहिए, वह आज हमें उपलब्ध नहीं है। इसके कुछ कारण भी हो

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में १८६३ में पुलिस एक्ट बना और उसके एक वर्ष बाद ही करीब करीब वैसा ही एक्ट भारत में भी बनाया गया ग्रेट ब्रिटेन में जो एक पुलिस कर्मचारी को आर्थिक सहायता मिलती थी राज्य सरकार की ओर से, भारत में उससे प्रायः बीसवा हिस्सा मिलता था। इसका कारण था, इंगलैंड में स्वयं की सरकार थी और वह सरकार चाहती थी कि पुलिस अपनी आर्थिक दृष्टि से सन्तुष्ट रहे। लेकिन हिन्दुस्तान में उस वक्त विदेशी हुकूमत थी, वह चाहती थी, हिन्दुस्तान में जो पुलिस है वह इल फीड रहे जिस से कि वह अपनी आमदनी के और जरिये कहीं जारी रखे, जिससे पुलिस वाले डिमोरेलाइज रहे, और अपने से उच्च आफीसर्स के जी-हुजूरी वाले बने रहें। साथ ही जनता के अन्दर एक डिमोरेलाइजेशन की भावना फैले और जनता अपने शासक के खिलाफ विद्रोह न मचा सके, अपनी मांग को नहीं मनवा सके। यह स्थिति विदेशी शासन में लगातार चलती रहे। लेकिन हमें दुःख है कि १९४७ में आजादी हासिल होने के बाद इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमारी भी दृष्टि नहीं गई और न इसका समुचित समाधान कर पाये हैं।

स्थिति यह है कि एक कॉन्स्टेबिल को जितनी तनख्वाह मिलती है कि वह उसके परिवार को खिलाने-पिलाने या जीवित रखने के लिये अपर्याप्त है। एक सब-इन्सपेक्टर को जितनी तनख्वाह दी जाती है वह उस जैसे स्टेटस के आदमी के लिए नाकाफी हैं। इसके साथ ही देखते हैं कि उनको जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वह कत्ल के मुकदमों की, डकैती के मामलों की, फोर्जरी के मामलों की तफतीश करते हैं जिसमें प्रलोभन हो सकता है और दूसरी ओर वे इल-फीड रहते हैं—ऐसी स्थिति में उनको जो आकर्षण होता है उसको नहीं रोक सकते। परिणाम यह हो गया है कि राजस्थान में करीब सौ पुलिस स्टेशन हैं, मैं नहीं कहता सब थानेदार रिश्वत लेते हैं, कुछ थानेदार रिश्वत न लेते हों। लेकिन इनका प्रभाव इतना हो गया है, लोग इतने पीड़ित हैं कि वे बड़े-बड़े डाकू—जगमाल—वगैरह से इतने भयभीत नहीं होते जितने कि थानेदार से हैं। आज देहाती जनता का चीन के आक्रमण से इतना कन्सर्न नहीं होता जितना पुलिस से है। आज पाकिस्तान की नीति से देहाती जनता इतनी नहीं घबराती जितनी पुलिस से घबराती है। यह कैसे मिटे? इसके लिए मेरा नम्र निवेदन है कि राज्य सरकार के मुख्य मन्त्री जो इस विभाग के कर्णधार हैं, उनको टॉप प्रायोरिटी इस ओर देनी चाहिए कि राजस्थान के पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार कैसे मिटे? और कम आमदनी के आफिसर्स रखे गये हैं उनको आर्थिक दृष्टि से कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं कर पाये तो जो विकास कार्यों में करोड़ों रुपया लगा रहे हैं वह आधे से ज्यादा बेकार जायगा। इसका कारण यह है कि पुलिस कर्मचारी अपना वातावरण देहाती क्षेत्र में बनाते हैं, अपने एजेन्ट कायम करते हैं और जो कार्यकर्त्ता उनके एजेन्ट के रूप में काम करने के लिए तैयार होते हैं, उनमें दुस्साहस हो जाता है कि आधे से ज्यादा पैसे का अप-व्यय करना चाहते हैं। इस प्रकार यह दोनों एक दूसरे से

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

जुड़ कर समाज के लिए अहितकारक हो जाते हैं।

मेरा निवेदन है कि और विकास कार्यों को भले ही आप निलम्बित कर दें, लेकिन सबसे पहले इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं ? अभी इसे निर्मूल करने की शक्ति नहीं है, और जो इसके लिए एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट बना हुआ है, मेरी धारणा है कि वह अयोग्य साबित हुआ है। यह कह देना कि वर्ष भर में १२२ गजेटेड, नॉन-गजेटेड व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे चलाये हैं, कोई प्रोत्साहन देने वाली बात नहीं है। हम देख रहे हैं कि राजस्थान के कर्मचारियों में यह बीमारी इतनी व्यापक हो गई है कि जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इसको रोकने के लिए एन्टी-करप्शन विभाग ने किसी प्रकार रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट इस सदन के सामने गृह मन्त्री द्वारा नहीं रखी है, कोई सुझाव नहीं रखे हैं सदन के सामने कि भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इसे निर्मूल किया जा सकता है। केवल भ्रष्टाचार के लिए दस आफिसरों पर मुकदमा चला लिया तो इसे कारगुजारी नहीं माना जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी कहां तक मिसाल दी जाय, सैकड़ों और हजारों मिसालें हैं, इसलिए मैं एक एक में जाने की आवश्यकता नहीं समझता। यह आम बात है कि एक देहाती राजा को राजा नहीं समझता, जागीरदार को जागीरदार नहीं समझता और मिनिस्टर को मिनिस्टर नहीं समझता। वह पुलिस के थानेदार को भगवान समझता है। देहाती क्षेत्र के जो अच्छे-अच्छे कार्यकर्त्ता लोग हैं, जो सरपंच हैं और जो न्याय पंचायत के अध्यक्ष हैं, वे कहने लग गये हैं कि पुलिस के आफिसर, थानेदार सब कुछ हैं, वे जिस पर चाहते हैं मुकदमा बना सकते हैं, जिसको चाहते हैं, तफतीश कर सकते हैं, गवाहों के बयान बदल सकते हैं, जिसका चाहते हैं चालान कर सकते हैं। उसको डिमोरेलाइज़ कर रखा है इस सरकार ने, कानून ने डिमोरेलाइज कर रखा है, जो तनख्वाह आप देते हैं उसको, डिमोरेलाइज कर रखा है उसने। इसलिए इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसका तरीका यह है कि इल-फीड अगर इनको रखेंगे और जो आर्थिक संतोष उपलब्ध हो सकता है, वह नहीं देंगे तो इनकी आत्मा को आसानी से नहीं बदल सकते हैं। उनको आप डंडे के बल पर या स्वीट गोली देकर बदलना चाहते हैं तो यह असम्भव है। आप अपने विभाग के अन्दर योग्य और अच्छे कर्मचारी रखें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि उनकी साधारण आवश्यकता है, और जिस समाज में वे रहने वाले हैं उसका जो स्तर है, उसको पूरा करते हुए रह सकें। इस ओर राज्य सरकार ध्यान दें, उनकी तनख्वाह पूरी हो। उन्हें इस बात की आवश्यकता न पड़े, कि वे इधर उधर हाथ बढ़ायें। आप चाहें तो इस बजट में और जगह कमीबेशी कर दीजिये लेकिन सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिये कि पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं वे आर्थिक दृष्टि से अपने आप में संतोष महसूस करें।

काम करने का तरीका क्या है ? एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है लेकिन अभी तक उन्होंने इस बात का ध्यान

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

नहीं दिया कि राजस्थान में कितने सरकारी ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनमें यह बीमारी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको १०००) मासिक वेतन मिलता है मगर फिर भी उनमें यह बीमारी पहले से चली आ रही है। अगर वे इसको छोड़ना भी चाहें तो वे इसे छोड़ नहीं सकते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी भ्रष्टाचार की आदत तो नहीं है, लेकिन जब मौका लगे तो इस काम को करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अधिकतर मेरा और दूसरे लोगों का यह अनुभव है कि ३० प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो रिश्वत आदि लेना पाप समझते हैं। १० प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो इसको किसी तरह से छोड़ नहीं सकते। पीछे बचे ४० प्रतिशत लोग। ४० प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं जो अगर उन पर अच्छा प्रभाव पड़े तो वे अच्छे या खराब प्रभाव पड़े तो भ्रष्ट बन सकते हैं। मेरा यह निवेदन है कि सबसे पहले आप उन ६० प्रतिशत व्यक्ति जो ऐसे है कि बिगड़े हुए नहीं हैं उनको बिगड़ने से बचाया जावे। इसका तरीका यही है कि कोई आदमी अगर ईमानदारी से काम करता है तो उसको सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जाये। लेकिन हमारे यहां गधों और घोड़ों की कीमत एक सी आंकी जा रही है। जो लोग बुरे और बेईमान हैं उनको किसी प्रकार का डर नहीं है। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर आपको अपने पास के कुछ विभागों को दूसरे मन्त्रियों को सौंपने पड़ें तो सौंप दीजिए, और आप इसको अपने हाथ में लेकर आयन्दा हाउस में जब आवें तो आप इस प्रकार का भाषण दें कि अब प्रशासन में जो भ्रष्टाचार था, वह सर्वथा निर्मूल किया जा चुका है। उस समय हमें बड़ी खुशी होगी। हर्ष होगा और राजस्थान में जो जनजागृति होनी चाहिए वह हो पायेगी। देहात में लोगों में उत्साह पैदा हो जायेगा और आज जो आपके विकास कार्य हो रहे हैं, उनसे चार गुणे या पांच गुणे ज्यादा विकास के कार्य कम खर्चे में कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में अगर मुख्य मन्त्री अधिक शक्ति लगायें तो कुछ सुझाव मेरे यह हैं, कि एक केन्द्रीय कमेटी बनाई जावे जो एडवाइजरी के रूप में कार्य करे और वह आपको इन मामलों में सलाह दे। आप उनको पावर मत दीजिए मगर आप उनको सलाह देने दें। इसके लिए आप एक कमेटी बनाइये। जो वह कमेटी बने वह इस प्रकार के मामलों में अपने विचार-विमर्श करके मामलों को समाधान करने की व्यवस्था करे। इसी प्रकार रीजनल एडवाइजरी कमेटी या डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी बनाइये जिससे वह अपने यहां के मामलों में सुझाव देती रहेगी। इस प्रकार यह कमेटी हर महीने अवश्य मिला करे और अपने अपने इलाके की सर्वे हो उसको सरकार को बताये और उसको स्टेट चेकअप करती रहे। इसके अलावा १० प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैने कहा कि वे किसी भी प्रकार से अपने आपको नहीं रोक सकते हैं और भ्रष्ट हैं, उनकी सूची आप तैयार करवा लें। उनकी सूची एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट से तैयार नहीं हो सकती उनकी सूची आप स्थानीय कलेक्टरों के द्वारा या वहां के गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से जिनको जनता ईमानदार समझती है, उनसे प्राप्त करली जावे। क्योंकि आम जनता उन लोगों को अच्छी तरह से जानती है, अतः उनको सजा दिलाई जावे। क्योंकि वे कहने से

Page No. 70

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

नहीं समझेंगे। अगर उनको किसी प्रकार की राज्य सेवाओं से अलग करना पड़े तो उनको अलग कर दिया जावे। यदि आप ऐसा करेंगे तो दूसरे ६० प्रतिशत लोग हैं, उन पर उनका बड़ा असर होगा और आप उनको मार्ग दर्शन करावेंगे। ३० पर्सेन्ट लोग तो नितान्त ईमानदार हैं ही इसलिए उन पर तो किसी प्रकार का असर पड़ने वाला नहीं है। अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि आप ईमानदारी की कदर करें। जब आप ईमानदारी की कदर करेंगे तभी लोगों पर इसका असर होगा और आप भ्रष्टाचार को निर्मूल कर सकेंगे।

हम देखते हैं कि फलां जगह करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी हमारे यहां जमीन की पैदावार हम नहीं बढ़ा पाये हैं। नहरों में यह होता है कि वे बनाईं और कुछ ही दिनों में टूट जाती हैं। सीमेंट की जगह मिट्टी लगादी जाती है। इसलिए एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट का जो बचा हुआ काम है वह आप पूरा करें और जनता के जनमानस को ऊंचा उठायें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह भी स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि आज पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि पुलिस के कर्मचारियों का दुरुपयोग भी कुछ ऊंचे सत्ताधारी और कुछ नेता लोग कर रहे हैं और अगर मैं सदन में यह कहने की धृष्टता करूं, तो मैं भी उनमें आता हूं। मैं अपने जिले का एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति समझा जाता था। लेकिन जब मैंने स्वतन्त्र पार्टी को जोइन कर लिया तो आपकी पुलिस इस बात को ढूंढती है कि किस व्यक्ति ने किस विरोध पार्टी को छोड़ दिया है। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे चलाये जावें। मैं यह बताना चाहता हूँ कि एक से अधिक आरोप मुझ स्वयं पर, मेरे खिलाफ और मेरे अन्य साथियों के खिलाफ लगाये गये हैं। हो सकता है कि वे सही हों या हो सकता है कि वे बिल्कुल झूठे हों लेकिन मैं मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे पुलिस के कर्मचारी इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं कि वे इस प्रकार की कार्यवाही करके बड़े नेताओं को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): ये केसेज कब लगाये गये?

श्री राधाकृष्ण गोयल: अगर वे केस देखना चाहें तो केस डायरी मंगवा कर देख सकते हैं। एक केस तो ३७६ का लगाया है और एक मोटर विहिकल एक्ट की तहत लगाया गया है। कोई भी व्यक्ति जब रेकर्ड को देखेगा तो यही कहेगा कि यह बिल्कुल झूठा केस लगाया गया है। मगर वे लोग फौरन इस प्रकार की कार्यवाही करके ऐक्स रैवेन्यू मिनिस्टर से जाकर रिपोर्ट करने जाते हैं।

(व्यवधान)

अगर आप इसके लिए तारीख जानना चाहते हैं तो मैं तारीख बता सकता हूं। किन किन नेताओं और किन किन कर्मचारियों का षडयन्त्र हुआ है, अगर आप जानना चाहें तो पूरा विस्तारपूर्वक विवरण दे सकता हूं। मैं ही नहीं, मैं अपने बीसियों साथियों के नाम बता सकता हूं कि जिनके खिलाफ नौन बेलेबल मुकदमे इसलिये चलाये, कि वे किसी व्यक्ति का साथ नहीं दे सकते थे। इस सम्बन्ध में पहले जिक्र आया था कि राहूली के सरपंच को तीन रुपये और कुछ आनों के मामलों में उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको गिरफ्तार करके तीन दिन जेल में रखा। मामला सिर्फ तीन रुपये और कुछ आनों के लिए था कि कुछ बचा हुआ माल पत्तल और दूने और कुछ खाने का सामान किसी को उधार दे दिया। इस मामले को लेकर उसको गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ एम्बैजलमेंट का केस बनाया था और भी कई सरपंच ऐसे हैं जिनके खिलाफ वारन्ट निकाला है। इस प्रकार और भी आप देखें तो आपको मालूम होगा कि तफतीश से भी मुकदमा चालान होने लायक नहीं है। पहले यह बीमारी मालपुरा क्षेत्र में ही थी मगर अब यह बीमारी बढ़ते बढ़ते दूसरे इलाके में फैल रही है। सारे टोंक इलाके में फैल रही है। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

चाहता हूं कि अगर वे इसको रोक सकते हैं तो रोकें अन्यथा इसके परिणामों को हम भोगेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

समय समाप्त हो गया है लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी का समय है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : और भी अपनी पार्टी के लोग बोलेंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रीवी-पर्स का जिक्र किया और उसमें स्वतन्त्र पार्टी का और महानेत्री का भी जिक्र किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं स्पष्ट तौर से इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, कि स्वतन्त्र पार्टी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन स्वतन्त्र पार्टी की यह नीति है कि सरकार ने जो एग्रीमेंट किसी व्यक्ति के साथ किया है, उसको निभाना चाहिये और अगर सरकार उसको नहीं निभाती है और कमजोरी दिखाती है तो हमारी इन्टरनेशनल जगत में जो हमारी इज्जत है, वह नहीं रहेगी, जो वचन निभाने वालों की रहती है। इसमें स्वतन्त्र पार्टी या उसकी महानेत्री का उत्तरदायित्व नहीं है। यह तो सरकार से और जिससे एग्रीमेंट किया है उनको सोचना है।

अन्त में, मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री महोदय जो कुछ भी मैंने तथ्य बताये हैं, उन पर ध्यान दें, और जितना जल्दी हो सके इस भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करें और साथ ही साथ जो सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है उसको करने से बचावें।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा!

श्री महेन्द्रसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय सदस्य ने बातें कहीं, भ्रष्टाचार के बारे में। सभी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार न हो। माननीय सदस्य चूंकि वकील भी हैं, ऐसी हालत में जब कि वे समझें कि अमुक मुकदमा झूंटा है तो वे ऐसे मुकदमों को नहीं लें।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Yes, Shri Gokulprasad Sharma!

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (टोडरा) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का एक बहुत बड़ा विभाग अपने राजस्थान का है, ४० हजार से ज्यादा आदमी इस विभाग में काम करते हैं और साढ़े छः करोड़ से ऊपर इस विभाग पर खर्च होता है। जहां तक कि पुलिस की व्यवस्था का प्रश्न है, डकैतियों के मामले में हम यह कहेंगे कि पुलिस ने अधिक काम किया है, लेकिन डाकुओं को दबाने में बहुत कम लोगों ने काम किया है सारे पुलिस विभाग ने नहीं किया है। पुलिस ने डाकुओं का सफाया किया है, लोगों की जान माल की रक्षा की है और लोगों में एक विश्वास और संतोष आया है कि चलो डाकुओं से तो बच जायेंगे, यह तो ठीक है पर पुलिस का जो अपने विभाग का काम है, उसके बारे में मैं निवेदन कर दूं।

जहां तक पुलिस की सर्विस में इन्टीग्रेशन का सवाल है, १९५२ में एक लिस्ट बनी। १९५६ में अजमेर राज्य इसमें सम्मिलित हुआ। उस समय एक आदमी अजमेर में डी. एस. पी. की पोस्ट पर था। उसके लिये सारी लिस्ट को और बदला गया। अब ६३ में एक फरमान और निकला इस विभाग का, उसमें यह आया कि १-११-५६ को जो जिस पोस्ट पर था, २-११-५६ को वह भले ही रिवर्ट कर दिया गया हो, चाहे एकीकरण कर लिया हो, ओफिशियेट इस तरह कर रहा हो कि कोई डी. एस. पी. छुट्टी चला गया और कोई सी. आई. साहब उसको ओफिशियेट करते हों तो वह सी. आई. अब डी. एस. पी. हो जायगा। इस तरह का फरमान बिल्कुल नादिरशाही फरमान है। इससे सर्विसेज में बड़ा भारी असंतोष फैलता है। इससे कुछ लोगों को लाभ हो सकता है पर जिन लोगों

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

के नम्बर लिस्ट में ऊपर थे, वे तो नीचे रह गये और नीचे वाले ऊपर आ गये। इस प्रकार की गड़बड़ी के कारण सर्विसेज में बड़ा असंतोष पैदा हुआ है बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। पुलिस विभाग एक अनुशासन का विभाग है। दूसरे विभागों की तरह एप्लीकेशन्स इस विभाग वाले नहीं दे सकते, उनको दबाया जा सकता है, वे अपने अफसरान बालादस्त से आगे नहीं जा सकते। पर इनकी आवाज भी सुननी चाहिये। अब सन् ६३ के इस फरमान को दुरुस्त कर लें। ५२ में और ५६ में जो लिस्ट बनी थी उसके अनुसार ठीक तरह से चलाइये। जिसके दस्तखतों से ६३ में यह फरमान निकाला गया उसको बदलना चाहिये।

इसके बाद जहां तक पुलिस के सिपाहियों का सम्बन्ध है अधिकारियों को छोड़िये, पुलिस के सिपाहियों को गर्म कोट, वर्दी नही मिलती हैं। १०-१० साल पुराने कोट पहने हुए पुलिस के सिपाई दिखाई देते हैं। ३० लाख से ऊपर कपड़े वर्दी, बैल्ट वगैरह का बजट है। जाड़े के दिनों में एक सिपाही ड्यूटी पर जाता है तो एक सिपाही दूसरे सिपाही का कोट पहन कर ड्यूटी पर जाता है और दूसरा घर बैठा रहता है। हमें उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। ३० लाख की बजाय ४० लाख रखिये, पर आप इनका पूरा इन्तजाम कीजिये, उसको अदीतवार की छुट्टी नहीं मिलती है, दूसरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं वह सब सुविधाएं इनको देनी पड़ेंगी।

इसके बाद मैं प्रशिक्षण की बात कहता हूं। किशनगढ़ में प्रशिक्षण का केन्द्र चलता है। चाहे पी. पी. है, पी. आई. है या पी. एस. आई. है, चाहे सी. आई. डी. का है चाहे एग्जीक्यूटिव का है सब को एक ही तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। सबको घुड़सवारी वगैरह की एक ही तरह की ट्रेनिंग मिलती है। पी. एस. आई., पी. आई. जिनको तरह तरह के केसेज के कानूनी मसलों का काम करना पड़ता है, जिनको कोर्ट में कानून को डिफैन्ड करना पड़ता है, उनको उस तरह की कानूनी ट्रेनिंग दी जानी चाहिये, जो सी. आई. डी. के कर्मचारी हैं उनको सी. आई. डी. की ट्रेनिंग दी जानी चाहिये, इन सबको जैसा जैसा उनका काम है, उस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिये पर आज वहां इन सबको एक ही तरह की ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग का यह सिलसिला ठीक नहीं है। इस सिलसिले में सुधार करना अत्यावश्यक है।

अब में प्रोमोशन के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जहां प्रोमोशन्स का प्रश्न आता है तो किसी ने एन्टीडैकोइटी फोर्स में काम कर लिया, डाकुओं को मार लिया, तो उसको प्रोमोशन मिल जायगा, सबको तो एन्टीडैकोइटी फोर्स में चान्स मिलता नहीं है, कुछ लोगों को मौका इसमें काम करने का मिलता है। तो डकैतों को मारने पर प्रमोशन मिल जायगा पर थाने में जिसने ईमानदारी से काम किया, पूरी महनत कर के, सब तरह की जानकारी कर के केसेज को कामयाब किया, केसेज को सफलता के साथ लड़ा, उस आदमी को आप कभी प्रमोशन नहीं देते। वह तो थाने में ही बैठा रहे, डकैती रोकने वाले फोर्स में किसी को चान्स मिल गया, उसको प्रमोशन मिल गया। थाने में ईमानदारी से काम करते हैं उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

जहां तक भृष्टाचार निरोधक विभाग का प्रश्न है, भृष्टाचार के विरुद्ध मुख्य मंत्रीजी ने भी बड़ी आवाज उठाई कि हम भृष्टाचार को खत्म करेंगे पर इस साल के बजट में इस विभाग के बजट में दो लाख की कमी की गई

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

है। ६३–६४ में इस विभाग पर ५ लाख रुपया खर्च किया वहां ६४–६५ में इसके लिये ३ लाख रुपया रखा गया है। तो क्या भ्रष्टाचार मिट गया है? या आपकी निगाह में आधा खत्म हो गया है? इसमें दो लाख का खर्चा कम किया हैं तो इसका मतलब या तो यह है कि यह विभाग काम नहीं करता पाया है, या अब इसके लिये कोई काम बाकी नहीं रह गया है।

आप रेलवे पुलिस पर १४ लाख रुपया खर्च करते हैं, उसमें से आपको ८ लाख रुपया ही मिलेगा। कौमर्शियल बेसिस पर चलते हैं तो सैंट्रल गवर्नमैंट से पूरा का पूरा रुपया हमें वसूल करना चाहिये सैंट्रल गवर्नमैंट के रेलवे के यात्रियों की रक्षा के लिये हमारा पुलिस दल देते हैं तो जितना हम उस दल पर खर्च करते हैं वह तो हमें दे दिया जाय। पैन्शन वगैरह तो हम ही देंगे, पर जितना हम खर्च करते हैं वह तो हमें दे दिया जाय। वरना हमें उतना ही खर्च करना चाहिये जितना कि वे हमें दें।

इसके बाद मैं नरेशों के प्रासादों के ऊपर आता हूं। यह खर्चा बिलकुल व्यर्थ है। करोड़ों रूपया उनको प्रीवी पर्स के रूप में मिलता है। या तो आप इस खर्चे को बिलकुल ही बन्द कर दीजिये या फिर राजाओं से वसूल कर लीजिये। यदि राजाओं से वसूल नहीं करेंगे तो लोग यह समझेंगे कि आप राजाओं की हां में हां मिलाते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवा महल जयपुर): राजा लोग भारत के नागरिक नहीं हैं क्या?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: आप तो बैठे रहिये, आपके पेट में अन्न बोल रहा है, भगवन्।

श्री दुर्गालाल बाढदार: अन्न तो पृथ्वी का खाते हैं आप हम सभी।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: शाम को खाया हुआ पचा भी नहीं होगा अभी तक।

प्रोसीक्यूटिंग लाइन का जहां तक सवाल है पी. एस. आईज व पी. आइ जलॉगेजुएट होते हैं, पर पी. पी. रखेंगे तो बाहर का वकील बुला कर रख देंगे। वह तो पी. एस. आई. और पी. आइ. ही बना रह गया। जिसे कानून की जानकारी है जो पी. आई. का काम वर्षों तक कर चुका है, उसको तो चान्स नहीं देते और फिर बाहर के लोगों को रखने में मनमानी चलती है। कलैक्टर साहब से तीन आदमियों के नाम मंगा लिये, जिसको चाहा उसको पी. पी. बना दिया। ऐसी दशा में पी. आई. क्यों अच्छी तरह से काम करेंगे जब कि वह देखता है कि मुझे कोई प्रोमोशन नहीं मिलने वाला है।

आप उनको ठीक से नही रखेंगे तो नहीं बैठेगा। राजस्थान सुरक्षा दल का हाल यह है कि

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

आप जिनसे नाराज होते हैं उनको सीमा पर भेजते हैं, वह अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर सकते। आप सीमा पर जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर इन इलाकों को देख लीजिए यहां पशुओं की संख्या कम हुई है। पशु पाकिस्तान चले जाते हैं। आपने जिनको वहां पर बिठाया है उनसे आप नाराज हैं। सजा देने के लिए वहां उनको भेजते हैं, अपने अच्छे आदमियों

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

को तरक्की देकर भेजिए। सुरक्षा का मामला है। बहुत अच्छे आदमी भेजने चाहिए। आप आंकड़े देख लीजिए। दूसरे इलाकों में पशु कम क्यों नहीं होते हैं इन्हीं इलाकों में क्यों कम होते हैं जब एक्सपोर्ट नहीं होते हैं ?

अब मैं पुलिस के काम की बात पर आता हूं। भीलवाड़ा में पुलिस का झगड़ा हुआ, बिल्कुल नया लड़का जो इस काम के लिए योग्य नहीं है उनको आपने आई. पी. एस. बना दिया, किसी कारण उसने पद लिया, आपने उसको वहां पर खड़ा कर दिया। वह अभी स्कूल का लड़का है, जबर्दस्ती लोगों से झगड़ा करता है। जो काम उसने किया है वह न आपसे छिपा है न सदन के लोगों से छिपा है। कई महानुभावों ने कहा कि यदि आदमी रखो तो नए नए आदमी को उच्च अधिकारी मत बनाओ, नहीं तो यहां सुरक्षा करना बड़ा मुश्किल हो जायगा। भीलवाड़ा के सिटी मजिस्ट्रेट के लिए किसी ने कहा कि उसने आज्ञा दे दी अश्रु गैस चलाने की। मैं कहता हूं कि अगर भीलवाड़ा में ठीक सिटि मजिस्ट्रेट नहीं होता तो शायद झगड़ा और ज्यादा बढ़ता। तो यदि आप किसी को उच्च अधिकारी बनाते है तो यह देखिए कि उसको गुस्सा तो नहीं आ जाता है, जरा जरा सी बात पर उसको बलड प्रेशर तो नहीं हो जाता है, हार्ट की गड़बड़ तो नहीं है। गुस्से में आकर न मालूम क्या कर बैठे, उसकोसंयमी होना चाहिए। आपने अभी उसको सस्पैंड किया हैं, लेकिन इसकी जांच करवा लीजिए ताकि आइन्दा इस प्रान्त में कोई अधिकारी इस तरह की गड़बड़ न करे। जब तक 'कोई अधिकारी वर्षों तक ट्रेनिंग न ले ले तब तक आप उसको उच्च अधिकारी मत बनाइये।

बजट में बैंकों पर भी एक प्रावधान है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

बैंकों की रक्षा के लिये पुलिस रखी जाती है। हम बैंकों को पुलिस देते हैं तो जिस तरह से दूसरी पार्टियों से खर्चा लेते हैं, उसी प्रकार से उनसे भी लिया जाय। बैंक पैसा कमाता है मुझे तो कहीं नहीं देखने को मिला कि हम बैंको से इसके पैसे वसूल करते हैं। अगर हों तो बतादें। मैंने रिसीट्स देखी हैं। कहीं जमा नहीं है। परमपिता परमात्मा सबकी रक्षा करता है। अगर धरती पर मानव की रक्षा कोई करता है तो या तो पुलिस है या न्यायालय। इन दोनों मांगों के अन्दर रोकड़ कमी का प्रावधान है। चोरों से तो पुलिस बचाएगी लेकिन, रोकड़ कमी से बचने का प्रावधान क्यों किया जाता है ? दो तीन साल से यह प्राव धान रखा जाता है। पुलिस को तो रोकड़ कमी वालों को पकड़नों चाहिए आपके बजट में लिखा है कि रोकड़ कमी। यह क्या अड़ंगा है। यह पुलिस और न्याय दो में ही है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : हम तो आपकी बातों को समझ नहीं पाते।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप इस रोकड़ कमी को मिटाइये।

श्री मथुरादास माथुर : फाइनैन्स मिनिस्टर को समझाइए कि रोकड़ की कमी कैसी है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : रोकड़ कमी लिखी है। इनमें ४०० और १५०० रखे गए हैं, जो हर साल चले आते हैं। अब मैं नरेशों के भत्ते पर आता हूं। आज आप प्रजा तन्त्र में बैठ कर शासन करते हैं, जैसा सदन

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

कर रहा है यह देवी सम्पदा है, देवी प्रणाली है, परमात्मा की हुकूमत में वहां भी हरसाल चुनाव होता है। ६ ग्रह राज करते हैं। ७ बहुमत में है और २ अल्प मत में जैसे इधर बैठे हुए हैं राहू और केतु। और ७ में से कभी कोई राजा बन जाय कभी कोई शनि बन जाय...

श्री **उपाध्यक्ष** : तो स्वर्ग में भी डैमोक्रेसी हो चुकी है।

श्री **गोकुलप्रसाद शर्मा** : वहां तो है परन्तु परमात्मा की हुकूमत के देवी सिस्टम के खिलाफ एक आसुरी सम्पदा चली जिसमें मनुष्य अपना राज्य चाहता था। राजाशाही चली गई। आज देवी सम्पदा का राज हम चला रहे हैं। आसुरी संपदा में क्या होता था? मनमानी होती थी, पढ़ने के लिए खर्च नहीं किया जाता था, पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। नारा लगाया जाता था : "अण भणिया घोड़े चढ़े, भणिया मांगे भीख। अण भणिया रे आगे, आई गुरुजी री सीख' भूल चूक भणज्यों मती।" न दवा का इन्तजाम था, न पीने के पानी का जनता ऐसी आसुरी सम्पदा के राज्य को बर्दाश्त नहीं करती, परन्तु वे राजा लोग जनता को बताते थे जयपुर में राज्य गोविंदजी का है, उदयपुर में एकलिंगजी का राज है, जोधपुर में जलन्धर जी का राज है बीकानेर में लक्ष्मीनाथ का है। जब प्रिवीपर्सेज का मामला आया तो ये राज, लोग खा गये और हमारे देवता रह गये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आप हमें राहू और केतु क्यों बनाते हो? हमें राहू और केतु ग्रस्त क्यों नहीं कहते है? आपकी पार्टी द्वारा आप प्रोत्साहन दीजिए कि हमारे जैसे राहू और केतु को खत्म करें।

श्री **मथुरादास माथुर** (विधि मन्त्री): हम तो अहिंसावादी है।

श्री **गोकुलप्रासद शर्मा**: राज राहू और केतु के हाथ में नहीं आया है, बैठे रहो मना कौन करता है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : हम तो बैठे हैं लेकिन कितने दिन आप बैठे रहेंगे, यह तो इतिहास बतलायगा। किसी की मौनोपौली नहीं है।

श्री **गोकुलप्रसाद शर्मा** मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रिवीपर्सेज के बारे में केन्द्र के गृह मन्त्रालय में न मालूम किस को इन लोगों ने चकमा दे कर प्रिवपीर्सेज ले लिए....

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : आप जैसे नेताओं को रिश्वत देकर लिया होगा।

श्री **मथुरादास माथुर** : वी० पी० मैनन से पूछो।

महारवल श्री लक्ष्मणसिंह : पूछिये वी. पी. मैनन से बुलाइए सदन के समक्ष कि एवीडैंस टैन्डर करें कि रिश्वत देकर हमने प्रिवी पर्सेज ले लिए या कोई और कारण है?

श्री **गोकुलप्रसाद शर्मा** : मैंने रिश्वत का नहीं कहा।

श्री **मथुरादास माथुर** : आपकी स्टेट के बारे में, मैं नहीं कहता लेकिन इस हाउस के सामने मैं कहने को तैयार हूं कि वी० पी० मैनन ने कई लोगों से रिश्वत लेकर प्रिवी-

(श्री मथुरादास माथुर)

पर्सेज दिये है । मैं खुले आम कहता हूं, अगर हाउस एन्कुआरी कराने को तैयार हो । मैं जोधपुर रियासत में मिनिस्टर था, मुझे मालूम है कि कितने रुपए रिश्वत के लिये हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : वह उच्च अधिकारी थे, आप गवर्नमेंट के उच्च मन्त्री हैं, यह आपके बीच का सवाल है । हमें इसके अन्दर क्यों फंसाते हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: प्रिवीपर्सेज तो किसी तरह से हासिल कर लिए लेकिन जब १८लाख रुपया प्रिवीपर्सेज के मिलते हैं जयपुर नरेश को तो १,४०,००० पानी बिजली के लिए जयपुर महाराजा को ८० हजार बीकानेर और ८० हजार जोधपुर के महाराजाओं के पास चले जाते हैं जहां होटलें चलती हैं। लोग व्यापार करते हैं । व्यापार के काम में बिजली और पानी का जो खर्चा आया वह राजस्थान सरकार दे और उसकी कमाई में लोग लें यह उचित नहीं है । आप बिजली और पानी का खर्चा बन्द कर दीजिये । उन राजप्रसादों में होटल चल रहे हैं, वहां सरकार पानी नहीं देने वाली है, बिजली नहीं देने वाली है, फ्री तौर पर । वहां पर बगीचे लगे हुए हैं । उनके फल बाजार में बिकते है, और उनके पानी का खर्चा हम दें, यह उचित नहीं है। यह राजस्थान की पब्लिक से नहीं लेना चाहिये । इसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी ।

क्षमा करना विरोधी पक्ष के नेता महोदय, आपको कुछ ऐसी बात लगी हो । आसुरी और दैवी सम्पदा है जो शास्त्रों में वर्णित है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपको कहने का पूरा हक है । हम बैठे २ सुनते हैं । हमारा भी मौका आवेगा तो कहेंगे ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: सही बात होगी तो जरूर कहनी ही चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : समय कम है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : राजाओं के रिश्तेदारों के नाम से कुछ राजस्थान गवर्नमेन्ट देती है, दस लाख रुपये देती है । किसी को पांच रुपया, किसी को दो रुपया और दस बीस हजार भी हो सकते है । जब वे लोग पढ़ लिख कर काम कर रहे हैं, सर्विस में लग गये हैं, तो ये गुजारे किस बात के ? ये गुजारे तो उस वक्त दिये जाते थे, सदन के बहुत से सदस्य महानुभाव जानते हैं, और उपाध्यक्ष जी भी जानते हैं, कि गुजारे जो लेते थे वे ड्यौढी पर पड़े रहते थे। गुजारा तब मिलता था जब दरवाजे पर पड़े रहो । और रोटी खाते हैं और फिर गुजारा देते हैं । कमाने लग गये हैं फिर गुजारा किस बात का ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या सरकारी कर्मचारियों को पेन्शन नही देते हैं ? गुजारा वही है, जो आज पैन्शन है । क्विड प्रोको नहीं है क्या ? सेवाओं के प्रतिकार में वह देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : एक आदमी थोड़े ही करता था....

(व्यवधान)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पैन्शन

(महाराल श्री लक्ष्मणसिंह)

बिल्कुल जायज है, गुजारा बिल्कुल जायज है ।

श्री मथुरादास माथुर : उनका मतलब है प्रिवी पर्स से दिया जाय ।

(व्यवधान शोरगुल)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपके निर्णय का सवाल है । आपने कमिटमैन्ट दिये हैं । आप निर्णय कर लीजिये ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : हजारों आदमी आपने रखे हैं, उसमें से दीजिये जो प्रिवी पर्स आप लोगों को मिलता है ।

(व्यवधान)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह आपके सोचने का है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : गुजारा जिनको मिल रहा है वे लोग वे ही थे जो कि ड्योढी पर बैठते थे । किसी को दस, किसी को पांच लाख दे दिया....

(व्यवधान) (अश्रव्य)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मत मतान्तर का प्रश्न है । मैं आपसे सहमत नहीं हूं इसमें ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं यह कभी विश्वास नहीं करता कि आप सहमत होंगे, और न ही आपकी सहमति का मैं इन्तजार करता हूं ? सरकार को कहता हूं कि बन्द कर दीजिये । जरूर आपको असहमति होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : समय का ध्यान रखें ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इस तरह से पानी बिजली पर ३।। लाख रुपया बचा दीजिये । गुजारा देते हैं वह बिल्कुल बन्द कर दीजिये । देना है तो प्रिवी पर्सेज से दें । यदि जिनको देना है तो जो लोग खाते-पीते हैं उनको न देकर उनको दीजिये जो कि अपंग हैं । जो कमाते हैं, काम करते हैं, सर्विस करते हैं, उनको किस बात का फिर गुजारा ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ ।

श्री केदारनाथ : (गंगानगर) : मान्यवर, आज इस वक्त पुलिस डिमान्ड पर चर्चा कर रहे हैं जब कि देश और हमारी स्टेट की इन्टरनल सिक्योरिटी को कुछ खतरा है । मैं समझता हूँ जब से रावलपिन्डी और पैकिंग के बीच में आपसी समझौता हुआ है एक तरफ ऐसा देश है जो विचारों की और साम्प्रदायिक भावना की कट्टरता में विश्वास करता है और दूसरी तरफ पैकिंग भी एक ऐसा देश है जो उसका हमराही है और वह भी विचारों की कठोरता और कट्टरता में विश्वास करता है । कश्मीर का जो हिस्सा हमारे देश के कब्जे में नहीं है, जो कि हमारे देश का अपना अंग है, उस में से १२ हजार वर्ग मील प्रैसर टैक्टिक्स से, इस दृष्टि से चीन को दिया है कि हमारा देश, हमारी सरकार उसको सरैन्डर कर दे । मान्यवर, जैसे पानी और चैरिटीज के बारे में, नहरों के बारे में, स्टर्लिंग बैलैन्सेज के बारे में, कई बार पाकिस्तान को हमने अपने क्लेम्स प्लीड किये हैं । ऐसी हालतमें कश्मीर में जो पिछले दिनों घटनाय घटी हैं. जो कम्युनल इन्फ्लेन्जी हुई है पाकिस्तान में, और घटनायें कुछ घटी हैं हमारे देश में,

Page No. 78

(श्री केदारनाथ)

इस कारण से ईस्ट पाकिस्तान में जो माइनोरिटीज की हालत बिगड़ी है और जो वे लोग भागकर यहां आ रहे हैं वह आपसे छिपी हुई नहीं है। आज देश की इन्टरनल सिक्योरिटी के बारे में, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पर है। मैं समझता हूं हर एक माननीय सदस्य अपनी जिम्मेदारी को इस विषय में महसूस करता है। फिर इसके बाद, इमरजेन्सी आने के बाद चीन के एग्रेसन के बाद डाकुओं के खिलाफ कार्यवाही हुई। डैकोइट्स को समाप्त करने में, उनको गिरफ्तार करने में जो पुलिस एम्प्लौईज ने और आर. ए. सी. के एम्प्लोईज ने काम किया है, वह राजस्थान की पुलिस की हिस्ट्री में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। वे प्रशंसा के लायक हैं।

इसके साथ साथ, आज पुलिस स्टेशन्स पर जो हालात देखने को मिलते हैं, जो ऑफिसर्स का आउट लुक बदलना चाहिये, ऐम्प्लौईज का एक आउट लुक बदलना चाहिये आजादी मिलने के बाद, इसमें कोई शक नहीं कि जब हम उन पर विचार करते हैं पुलिस के करैक्टर के बारे में, उसके आउट लुक के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी ऐफिशियेन्सी के बारे में तो हम नहीं भूलते हैं कि कौनसे तबके के बीच से वे गुजरे हैं, निकलते हैं, किस समाज से निकले हैं, कौनसी क्वालिफिकेशन प्राप्त की है। क्या पोलिटिकल सैट अप है ? हमारे देश की सिक्योरिटी हमारे देश की पीस, ट्रैन्क्वेलिटी तब तक परमानेन्ट बेसिस पर नहीं आ सकती जब तक समाज और आर्थिक हालात नहीं बदलते। और जब तक वह हालत नहीं बदलते हैं, सारा का सारा रिफलैक्शन ऐम्प्लोईज पर डालें, सारी अनियमितताए हैं, सारे झगड़े हैं उनकी जिम्मेदारी ऐम्प्लोईज पर डालें, मैं इस बात को नहीं मानता। कई पोलिटिकल प्रेसर हैं, कई फैक्टर्स कौन्ट्रिब्यूट करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी इम्यून नहीं कर सकते हैं वे।

मैं अर्ज कर रहा था कि जब से हमने अपने देश में, अपने राष्ट्र में यह फैसला किया है कि हमें समाजवाद लाना है, प्रजातान्त्रिक तरीके से लाना है, पार्टी बेसिस को माना है हमने। हमने यह भी सोचा, समाज में कुछ वैल्यूज क्रियेट करने जा रहे हैं, पुरानी वैल्यूज बदल गयी हैं, नयी वैल्यूज क्रियेट करने जा रहे हैं, इस समय जो ट्रान्जिशनल पीरियड है, जो प्रौस्पैक्टिव पीरियड है,जोप्रौस्पैक्टिवऐटीट्यूड हमारे पुलिस ऑफिशियल्स का होना चाहिये, पोलिटिकल पार्टीज हैं, को ओपरेटिव सोसाइटीज हैं, लेबर डिस्प्यूट हैं, पंचायतों के बारे में या डैवलपमैन्ट के जितने काम हो रहे हैं उनके बारे में आउट लुक नहीं बदलता है। हमारी सरकार एजूकेशन नहीं दे सकी। जो हालत बदलनी चाहिये थी वह नहीं बदली। हम उनको रिफ्रैशर्स कोर्स से या ट्रेनिंग देने में हम कामयाब नहीं हुए जिससे उनका आउट लुक बदल जाय। जब तक पुरानी मशीनरी का आउट लुक नहीं बदलता क्या आप यह सोचते हैं कि निर्धारित चीजें लक्ष्य तक पहुंच सकेंगी ? वे उसी में ड्राइव हो जावेंगी। इस ओर मैं, समझता हूं, ट्रैजरी बैन्चेज को ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, जो बात कह रहा था, वह यह है कि पुलिस के इन्तजाम के बारे में, दो स्टेटमैन्ट पढ़ने को मिले हैं। आज से एक साल पहले डी. आई. जी जसवन्तसिंह जी का स्टेटमैन्ट पढने को

(श्री केदारनाथ)

मिला है। दूसरा डी. आई. जी. सन्तरामजी का स्टेटमैन्ट पढ़ने को मिला। सही तस्वीर सामने आ गई। बोर्डर इन्सीडैन्स हुए हैं, स्मग्लर्स को गिरफ्तार किया है। वे कहते हैं कि सारे के सारे स्मग्लर्स को पकड़ लिया जाय तो राजस्थान की सारी की सारी जेल ही नहीं भर जायेगी, किन्तु उनको भरने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। बड़े बड़े लोगों का उसमें हाथ है। पुलिस आॅफिशियल्स का भी हाथ है। उनका भी सहयोग है। एक डेढ़ साल बीत गया, कोई जेल नहीं भरी गयी। कितने स्मग्लर पकड़े गये? कौनसे ऑफिसर्स पर कार्यवाही की? कितनों पर डिपार्टमैन्टल कार्यवाही हो रही है? कौन कौन से बड़े बड़े आदमियों का हाथ है? किन किन पोलिटिकल पार्टीज का हाथ है? मैं सोचता हूं, इस सवाल का उत्तर सरकार के पास नहीं है।

दूसरी तरफ यह हुआ कि जितने स्मग्लर्स पकड़े गये, आहिस्ता आहिस्ता छूट गये या छोड़ दिये गये। मेरा पक्का कनविक्शन है, मेरी पक्की धारणा है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाय, जिनके कैसेज आपके पास हैं, जिनके सबूत आपके पास हैं। जिनके खिलाफ सबूत हों उनका चालान किया जाय। आज हम देखते हैं, कि जिनके खिलाफ केसेज है अगर उनके लिए ग्रुप्स बना कर आते हैं, जिनके पीछे बड़े बड़े लोग हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है।

(सदन में सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल एवं योगेन्द्रनाथ हांडा के प्रवेश करने पर)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): यह लाल झण्डा जो चीन का है उसको लेकर कौन आये हैं?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री): यह दुपट्टा कहां से फाड़ लाए?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (गंगासिंह-नगर): औरतों के दुपट्टों की शरण तो आपको लेनी पड़ेगी।

श्री उपाध्याय: Order! Order!

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): औरतों की शरण में तो आप बैठे हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: बारात आ रही है पीछे पीछे।

श्री उपाध्यक्ष: Order Order (व्यवधान शोरगुल)

श्री केदारनाथ: हम डेढ़ साल से इमरजैन्सी पीरियड में चल रहे हैं, जहां इस इमरजैन्सी पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करना चाहिये, स्मगलर्स के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये; एन्टी सोशल एलीमैन्ट हैं, जिन्होंने इस इमरजैन्सी में फायदा उठाया है, प्राइसेज के बढ़ाने में, स्मगलिंग बढ़ाने में, सट्टा जुआ बढ़ाने में स्पेकुलेशन बढ़ाने में, तरह तरह के एन्टी सोशल एक्टीविटीज में जो शामिल हैं उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है इसकी इवैल्युएशन रिपोर्ट आपको पेश करनी चाहिये। इस बात को आप इन्कार नहीं कर सकते कि जिस मशीनरी को आपको टोन अप करना चाहिए वह आप नहीं कर सकते हैं। जो आपने पब्लिक की कमेटियां बनाई हैं, जिस

(श्री केदारनाथ)

तरह से उनको काम करना चाहिए था, जो जजबात उस समय लोगों में पैदा हुए थे, जो देश भक्ति की स्प्रिट उस समय लोगों में पैदा हुई थी उसको आप चैनेलाइज नहीं कर सके हैं। आपने पंचायतों के लिए ट्रेनिंग स्कीम बनाई। विलेज वौलन्टियर फोर्स की स्कीम बनाई। होम गार्ड्स के बारे में आपने टारजैट्स रखे और तय किया था कि जो आवश्यक सेवायें हैं जो जिन्दगी के लिए आवश्यक चीजें हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आने देंगे। लेकिन आपके ये टारजैटस फेल हुए हैं। देश प्रेम की भावना उस समय पैदा हुई थी लोगों के अन्दर, उसको आप चैनेलाइज नहीं कर सकते। मैं समझता हूं इस दृष्टि से आप फेल हुए हैं। इसमें आपके बी०डी०ओज० ने सहयोग नहीं दिया। पुलिस कर्मचारियों ने सहयोग नहीं दिया। पंचायतों में स्प्रिट पैदा नहीं कर सके जन जीवन की सुविधायें नहीं दे सके। ये सब आपकी नाकाबलियत को जाहिर करती है। आपकी इनएफीसियेन्सी का सबूत है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं अपनी पार्टी से एक ही बोलने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं अगर हम हमारे देश की हालात को देखें, विलेज वालन्टियर फोर्स पैदा हुई, उनको ट्रेनिंग दी गई, उसमें आपने देखा कौनसे एलीमेन्ट आये? किस फायदे के लिए आए? आपने जिस मकसद के लिए इनको ट्रेनिंग दी, क्या उन्होंने पंचायतों में जाकर गांवों में जाकर वह स्प्रिट पैदा की है? उनका किस तरीके से स्वागत किया गया है? आप इसमें भी सफल नहीं हुए। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप इन स्कीमों को फिर से रिओरियेन्ट करिये फिर से जान डालें एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करिये, आपको जो असामाजिक तत्वों से खतरा है, देश को खतरा है, उनका अच्छी तरह से मुकाबला करें। इसमें शक नहीं कि हाउस में किसी भी पार्टी के सदस्य हों, वे सब इस बात के लिए तैयार है, और सबका रेजोल्यूशन है, जब भी देश की हालत बिगड़ी है लाजमी तौर से पहले भी सहयोग दिया है, और हमेशा हर पार्टी सहयोग देने के लिए आज भी तैयार है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अब मैं दो तीन बातें और संक्षेप में रखना चाहता हूं। हमारे पुलिस ऐम्पलौइज जो हैं, उनका दृष्टिकोण पोलिटिकल पार्टीज के बारे में अपनी मनोवृत्ति को डैवलप नहीं कर सके हैं। जो डैमोक्रेसी के आदर्श हैं, वे पनपें, उसके फ्रूटस कौमन आदमी को मिलें। मैं समझता हूं, पौलीटिकल पार्टीज अपने लैजीटिमेंट मांग को लेकर, जनता द्वारा जो मांग की जाती है, उन मांगों को मीट आउट करने के लिए, एजिटेशन करती है, सत्याग्रह करती है, भूखहड़ताल करती है, धरना देते हैं, यह बात पुलिस वालों के दिमाग में आज भी नहीं आती, वे तो उनको कुचलने की सोचते हैं। इसके बारे में पुलिस कर्मचारी किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। आज देश में जो जनतन्त्रीय भावना पनप रही है, उसका असर इन पुलिस कर्मचारियों पर नहीं हो पाया है, उनका व्यवहार उसी तरह का है, जैसा कि एकतन्त्रीय शासन में होता था, जिसमें केवल एक आदमी की बात को माना जाता था। उस समय उनका ध्येय केवल यही रहता था कि जो भी पब्लिक

(श्री केदारनाथ)

ऐलीमेंटस हैं, जो समाज में तब्दीली चाहते हैं, उनको किस प्रकार से कुचला जाय, किस प्रकार से उनके खिलाफ मुकदमें बनाये जांय। यही प्रवृत्ति आज भी है। इसमें किसी प्रकार का चेन्ज नहीं आया। हम आज यह चाहते हैं कि आज की जो हालत है, उसके मुताबिक वे भी बदलें। आज हर व्यक्ति को अपनी मांग रखने का अधिकार है और उसके लिए उसको शान्तिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल, धरना आदि भी देने का अधिकार है। अपने अधिकारों की रक्षा केलिये एसोसियेशन्स कायम कर सकते हैं। आज ऐसी एक नहीं सैकड़ों मिसालें, मैं आपके सामने रख सकता हूं, जब भी मजदूरों ने अपनी मांग को लेकर सत्याग्रह किया, चाहे वह भीलवाड़ा की टैक्सटाइल मिल का हो चाहे शार्दूल टैक्सटाइल मिल गंगानगर का हो, पुलिस द्वारा ऐसी ऐसी कार्यवाहियां की गई, जिनसे मालिकों को फायदा हुआ। आज कल के शासन में १०७ और १५१ की कार्यवाही मामूली कार्यवाही है, क्रिमिनल ट्रेसपास की कार्यवाही एक कॉमन कार्यवाही मानी जाती है, इसी तरीके को आज भी पुलिस वाले इस्तैमाल करते हैं, मालिक अभी के उसी प्रवृत्ति से फायदा उठाते है। अपने हकों की मांग कोई करता है, एजीटेशन करता है, तो उसके खिलाफ इसी प्रकार की कार्यवाही की जाती है। आपने कितनी ही कोआपरेटिव सोसाइटीज खोली हैं, चाहे उसमें गबन हो घोटाले हो, हरेक बात के लिए पुलिस दखल न दे। वहां हो रही ईरेगुलेरिटी के लिए दखल न दे। हमने देखा पंचायतों में जहां झगड़े होते हैं कोआपरेटिव सोसाइटीज में गबन, घोटाले हैं, वहां पुलिस चुप रही है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आखिर में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहना चाहूंगा। आज से डेढ़ साल पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस अधिकारियों पर यह आरोप लगाया गया था कि उनमें बेहद करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो उस समय ऐलान होता है कि उन सारे अधिकारियों का तबादला कर दिया जाए, कांस्टेबिल लेवल तक को तब्दील कर दिया जाय, वे वहां नहीं रह सकते आज हालत यह है कि एस.एच.ओ. तक वहां के रहने वाले नहीं रह सकते हैं, हैड कांस्टेबिल और कॉन्स्टेबिल रह सकते हैं। यह किया तो इसलिए था कि वहां से करप्शन खत्म हो जाय, ऐफिसियेन्सी बढ़े। मगर हालत यह हुई कि इन लोगों की जगह जो बाहर के रहने वाले आये, वे हमारे यहां के एस०एच०ओ० से भी निकम्मे निकले, कमजोर निकले। सिवाय पैसा इकट्ठा करने के पार्टी पोलिटिक्स के आधार पर काम करने के और कोई नेकनीयती का रास्ता वे अपना नहीं सके। मैं आज आपसे आशा करता हूं और निवेदन करता हूँ कि यह बेरियल पाबन्दी आज से ही खत्म हो जानी चाहिये।

इससे वहां के ऐम्पलॉईज पर साइक्लॉजिकल इफेक्ट पड़ा है। वे सोचते हैं, कि उन सारों के लिये डिक्लेअर कर दिया है कि वे करप्ट हैं, इसलिये हम अपने इलाके में काम नहीं कर सकते। मैं इस बारे में सुझाव रखना चाहता हूं। आपने बहुत देखा है, बहुत से सेमीनार्स हुए हैं, मिटिंगें हुई हैं, करप्शन कम नहीं कर सके हैं, वह बढ़ा ही हैं। पुलिस थानों में हम देखते हैं, वहां लिखा होता है 'मेरे योग्य सेवा' लेकिन आज जिस प्रकार की सेवा हो रही है वह यह कि मेजोरिटी केसेज में लोगों को मार पिटाई गाली गलौज, पैसा लेना इसके सिवाय आज पुलिस की कोई सेवा नहीं हैं। कितना भी सीरियस ऑफेन्स कमिट कोई कर जाये, वह जब मामला पुलिस में जाता है, उस पर काउन्टर मुकदमा वे बनाने की सोचते हैं। इसलिये जब तक एस० एच० ओ० नहीं सुधरता, हैड कॉन्स्टेबिल सुधर नहीं सकेगा। एक एस० पी० के ईमानदार होने पर क्या सारा पुलिस स्टेशन सुधर जायगा? एस० पी० की सारी जिम्मेदारी होनी चाहिये सारी बातों की। जब तक आप कम्पलसरी रिटायरमेंट पुलिस एम्पलाईज के लिये लागू नहीं करेंगे हाई पॉवर कमेटी इस बारे में अपॉइन्ट की जाय, जो यह देखे कि जिस किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ चार्जेज हों, उनको कम्पलसरी रिटायर किया जाय अगर आप इस तरह से पांच प्रतिशत भी

(श्री केदारनाथ)

रिटायर कर देते हैं, हालात काफी सुधर सकते हैं।

रेवेन्यू में तहसीलदार और पटवारी नुक्लियस है, और पुलिस में कॉन्स्टेबिल और हैड कॉन्स्टेबिल पुलिस नुक्लियस है। पंजाब में जब यह चालू हुआ तो आप वहां देख लीजिये रिकवरीज कितनी हो पायी हैं? हमारे यहां चालान होते हैं लेकिन उसमें हम देखते हैं, यहां इक्वीटल ज़्यादा होता है। जहाँ ऑफैंसेज होते हैं, और जिनके द्वारा होते हैं, वे यदि इस तरह से बरी हो जाते हैं, और समाज में वे वापिस आ जाते हैं, उसका असर समाज पर बड़ा बुरा पड़ता है। इससे जुल्म बढ़ेंगे। आपके रैकर्ड बताते हैं, जुल्म बढ़े हैं। इसका सब का कारण यह है- कि जब तक पुलिस एम्पलोईज के बारे में, पब्लिक कमेटीज जुडिशियल जांच हाई पावर कमीशन द्वारा चेक अप न हो, तब तक उनमें किसी प्रकार का चेन्ज नहीं हो पायेगा? जब तक उनको यह मालूम न पड़े कि उनके खिलाफ भी ऐक्शन हो सकता है, उनमें सुधार नहीं हो सकता है। इस प्रकार जनमत पैदा हो।

भीलवाड़ा काण्ड हुआ। पिटाई हुई, थाने में दो एडवोकेटों की। अगर यह हाउस सैशन में नहीं होता, तो कोई कार्यवाही नहीं होती। हाउस के सैशन में होने से जनमत पैदा हुआ, अखबारों के जरिये से बाहर और अन्दर। आवाज बुलन्द हुई। और आखिर में सरकार को ए. एस. पी. को सस्पैन्ड करना पड़ा।

मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में, जुडीसियल एन्क्वायरी हो जाय और एस. पी., डी. एस. पी. सरीखे रैंक वाले लोगों के साथ आप थोड़ी सख्ती से कदम उठावें, दो चार के भी उठालेंगे, तो आप यकीन रखिये सर्विसेज में कोई डिमोरोलाइजेशन नहीं आवेगा, बल्कि उल्टे मोरल बढ़ेगा। ऐफीसियेन्सी आयेगी और काम अच्छा होगा।

पुलिस के नोन गजेटेड ऐम्पलोईज के के बारे में, आज से कुछ साल पहले हाई-कोर्ट ने फैसला किया कि उनको अपनी एसोसियेशन बनाने का हक है। १५ हजार की उनकी संख्या है। उनको भूतपूर्व गृहमन्त्री ने आश्वासन दिया, माथुर साहब ने भी दिया, अब उनका पोर्ट फोलियो चेन्ज हो गया, पर उनके आश्वासन पूरे नहीं हुए। मैं समझता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि वह अपनी लेजिटिमेट डिमान्ड और ग्रीवैन्सेज वेन्टीलेट करा सकें, अपनी एसोसियेशनों के मार्फत तो जो कॉन्स्टीट्यूशन से उनको हक मिला हुआ है, उसे आप मान लेंगे अगर तो इससे असन्तोष कम होगा। इसलिये आप उनकी एसोसियेशन को मान्यता दीजिये। जैसा सेन्टर वाले सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो इससे असन्तोष कम होगा, ऐफिसियेन्सी बढ़ेगी और आपका भी इस तरह से काम सुधरेगा, ऐफिसियेन्सी आपके लोगों में बढ़ेगी और असन्तोष यहां भी कम होगा।

समय समाप्ति सूचक घंटी

श्री उपाध्यक्ष : इससे पहले कि बहस आगे बढ़े, मैं सूचित करना चाहता हूं कि आज १२॥ बजे मुखबन्द का प्रयोग हो जावेगा और इसके पहले सरकारी जवाब आना आवश्यक है, इसलिये लगभग १२ बजे तक सरकारी पक्ष का जवाब आरम्भ हो जावे। इस दृष्टि से, मैं सब सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे जितने कम समय में अपनी सारी बातें कह सकें, उतना ही करने का प्रयत्न करें।

श्री भाला।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : १२॥ बजे तक तो इजाजत दी जावे और इसके बाद में जवाब दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति ने जैसा कहा है मैंने वही कहा है। अब सदन की मर्जी की बात है। इस वक्त तो १२॥ बजे तक की व्यवस्था है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : मांग पर चर्चा करने से पूर्व आसन से व्यवस्था दी गई थी और प्रत्येक का समय निर्धारित कर दिया था।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

श्री उपाध्यक्ष : कुछ मुगालता है, वह दूर करना चाहता हूं। जो समय निर्धारित किया गया था वह फाइनेन्सियल बिल यथा अवधि समाप्त हो सके, उसके लिये समय लगभग उचित रूप में निर्धारित किया गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि फलां पार्टी का इतना समय होगा और दूसरी पार्टियों का बीस से तीस मिनिट का होगा। फिर आप देखेंगे कि कुछ पार्टियों ने अधिक समय ले लिया तो भी ऐतराज नहीं किया गया है, कुछ और का कम भी रहा है तो भी रहा है। तो यह तो सारा सहयोग से चलाने की बात है परस्पर में।

जिस प्रकार भी प्रत्येक माननीय सदस्य को अवसर मिल सके ऐसी व्यवस्था रखना प्रत्येक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और व्यक्तिगत रूप से ही कुछ माननीय सदस्य थोड़े समय में भी सब बात कह सकते हैं और कही बात दोहरा कर ज्यादा समय भी ले सकते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सहयोग देंगे। पर थोड़ा अवसर तो मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : There cannot be alterations...

जो कार्य सलाहकार समिति ने तय किया है, उसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मुझे तो समय मिला ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष: आपको भी मिलेगा अगर दूसरे अवसर देंगे तो।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं वैसे ऐतराज नहीं करता, पर पुलिस की एक महत्वपूर्ण चर्चा है, और इसको जितना एनलाइटन किया जा सके, उसकी खामियों को बताया जा सके, उतना ही आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये निवेदन करता हूं, कि कई पार्टियों का तो समय समाप्त हो जाता है। कुछ का रह जाता है। पार्टियों को कुछ को अवसर दिया जा रहा है। अब सदन में जो भी प्रश्न आते हैं सब महत्वपूर्ण होते हैं इसलिये सरकार को भी अवसर दिया जाता है कि उस महत्वपूर्ण विषय पर पूर्ण प्रकाश डाल सके इसको देखते हुए ही, सारा कार्य चलाया जा रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हमारी पार्टी में से एक ही माननीय सदस्य बोले हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रयत्न करूंगा कि और भी समय दिया जावे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : चार नाम भेजे गये थे हमारी तरफ से, दो को तो बोलने दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं विरोधी दल के नेता से कहूंगा कि जो कुछ नाम भेजे गये, उनके बोलने की व्यवस्था रखना उनके व्हिप्स के हाथ में है और एक दो ही सारा समय ले लें तो दूसरों को कम मिलेगा, और इसके लिये आसन की जिम्मेदारी नहीं है। जो बोले थे वे बीस मिनिट तक बोल चुके थे तो यह आसन का दोष नहीं है। आसन तो बार बार समय की सूचना दे देता है, फिर भी नहीं रुकते हैं, तो यह व्हिप को देखना चाहिये। इसमें आसन का दोष नहीं है। यह तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप नियन्त्रण रखना है—श्री झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सदस्य हमारे दल से पहले पांच मिनिट बोले हैं। मैं दस मिनिट बोलूंगा। इसके बाद चाहेंगे तो वे और बोलेंगे

उपाध्यक्ष महोदय, जहांतक राजस्थान में अपराधों में वृद्धि का सवाल है, जहां तक राजस्थान की सीमा जो पाकिस्तान से लगी है उस

(श्री उपाध्यक्ष)

पर स्थित गांवों में जहां तक आतंक के फैलने का सवाल है और हमारी लो और और्डर की हालत जो आज है, उसका सवाल है, मैं समझता हूं यह राजस्थान के लिए एक बड़े खतरे का सवाल है। राजस्थान के लिये एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, ताज्जुब तो इस बात का है कि जैसे जैसे हमारे मिनिस्टरों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे अपराधों में भी वृद्धि होती जा रही है। पाकिस्तान के बोर्डर लगे गांवों में आतंक बढ़ता जा रहा है और ला और ओर्डर की हालत भी खराब होती जा रही है।

इसके कुछ आंकड़े मैं देता हूं सन् ५६ में सबसे कम मिनिस्टर थे और तब अपराधों की संख्या भी बहुत कम थी। उसके बाद में जब दो मिनिस्टर बढ़े तो अपराधों में भी उसी अनुपात से वृद्धि हुई। इसके बाद दो मिनिस्टर और लिये गये तो फिर उसी अनुपात से उनमें वृद्धि हुई। ताज्जुब होता है कि मिनिस्टरों की संख्या के साथ साथ अपराध कैसे बढते हैं। कोई न कोई इनमें आपस में कुछ सम्बन्ध होना चाहिये। अब यह क्या सम्बन्ध है, यह तो बाद में बताउंगा।

पर जो कारण इन अपराधों की वृद्धि के मुख्य मन्त्रीजी ने और गृह मन्त्रीजी ने बताये हैं, उसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् ६० में २०,६२६ थे, ६१ में २१,२७५ थे, ६२ में १४,६५७ थे और ६३ में २७,०४० हुए। मैं यह समझ नहीं सकता कि जो सन् ५६ में थे, उसके बाद में जो अपराधों को रोकने के लिए ऐफर्ट्स किये.......

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आपके इलाके के कितने अपराध हैं?

श्री विजयसिंह झाला : मैं बता दूंगा। ज्यादातर आपके उधर के ही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए ३ कारण बताए। एक तो जन संख्या में वृद्धि हो रही है। राजस्थान में औद्योगीकरण बढ़ रहा है, और साथ ही साथ विकेन्द्रीकरण भी हो रहा है। अपराधों के बढ़ने के ये ३ कारण बताये। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि हमारे पड़ौसी प्रांत हैं जैसे पंजाब में सबसे ज्यादा औद्योगीकरण हुआ है, पंजाब में राजस्थान के बनिस्पत कम अपराध होते हैं। जब कि पंजाब में हमसे ज्यादा पापुलेशन है और कम अपराध होते हैं दूसरा कारण यह भी बताया कि हमारा प्रान्त पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। लेकिन जहां तक जम्मू और काशमीर का प्रश्न है वह भी एक सीमावर्ती प्रदेश है, और इस तरह से जम्मू और काश्मीर में ज्यादा अपराध होने चाहिये, लेकिन वहां भी हमारे राजस्थान के बनिस्पत कम अपराध होते हैं। हमारे उत्तरप्रदेश में कम होते हैं। तो मैं

समझता हूं कि जिन कारणों के आधार पर हमारे मुख्य मन्त्री जी या गृह मन्त्री सदन को विश्वास में लाना चाहते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि से या औद्योगीकरण की वृद्धि से अपराध बढ़े हैं। वे कारण यह नहीं है इसके अलावा दूसरे

(श्री विजयसिंह झाला)

कारण हैं और जब तक उन कारणों के प्रति हम जागरूक नहीं होंगे, हमारे राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के जो अपराधों में वृद्धि है वह कम नहीं हो सकती। सबसे प्रमुख कारण उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस अधिकारियों पर या पुलिस कर्मचारियों पर जो हमारे नेता हैं, हमारे जो मंत्रीगण हैं उनकी तरफ से अवैधानिक हस्तक्षेप होते हैं, उसी की वजह से जो दरअसल में सही कार्यवाही वह करना चाहते हैं, वह कार्यवाही नहीं कर सकते।

मैं इसका केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। बेगू के अन्दर एक सब-इन्सपैक्टर ने अफीम पकड़ी थी। उस सब इन्सपैक्टर का तबादला क्यों किया गया? तबादला किया गया वह भी सीमा पर किया गया। उसने क्या गुनाह किया था। उसका एक ही कारण था कि एक उप-मन्त्रीजी उस मामले से संबंधित थे। तो मैं समझता हूं कि कोई इन्सपैक्टर या कोई पुलिस अधिकारी किसी अपराध को रोकने के लिए साहसिक कदम उठाता है, तो उसको ऊपर से रोक दिया जाता है। इससे आपके अपराधों में जो वृद्धि हो रही है, उसमें कमी नहीं हो सकती। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का हस्तक्षेप चाहे किसी की तरफ से भी होता हो कोई पुलिस अधिकारी साहसिक कदम उठाता है, तो उसमें रुकावट आपकी तरफ से यां किसी मिनिस्टर की तरफ से कम से कम नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, उसके साथ ही साथ दूसरे जो कारण है वह कर्मचारियों में असन्तोष नहीं मिटाया जायेगा तब तक अपराधों में कमी नहीं आयेगी। पुलिस विभाग के जो नोन गजेटैड कर्मचारियों का संघ है, उसके आज २५००० सदस्य हैं। उन २५ हजार सदस्यों में से १६०० को सस्पैन्ड कर रखा है। क्या कारण है कि कोई संघ बनता है और उनमें से आप १६०० आदमियों को मुअत्तिल कर दो? जब तक इस प्रकार का असन्तोष जो फैला हुआ है उसको बन्द नहीं करेंगे तब तक आपका पुलिस महकमा सही रूप से कार्य नहीं कर सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि डी० आई० आर० के अन्दर कुछ पुलिस कर्मचारी संघ के सदस्यों को आप गिरफ्तार करते हैं, और पुलिस कर्मचारी संघ का जो सदस्य भरतपुर में है वह गिरफ्तार है। तो मैं नहीं समझता कि जो वाजिब मांगों को आपके पास लाना चाहते हैं, उस कर्मचारी संघ के सदस्य को आप मुअत्तिल कर देते हैं। उसको डी० आई० आर० में गिरफ्तार कर लेते हैं। यह जब तक आप नहीं मिटायेंगे तब तक अपराधों में कमी नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपका पुलिस कर्मचारी संघ के प्रति क्या रवैया है? जब हाईकोर्ट का फैसला है कि यह संघ वैधानिक है उसके बाद में आप अपनी नीति के बारे में स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं? मैं मांग करूंगा कि सरकार की संघ के प्रति नीति क्या है उसका स्पष्टीकरण करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सीमावर्ती प्रदेश का सवाल है राजस्थान के अन्दर, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि सन् ६२.६३ में कुल ४३ आदमी पाकिस्तानियों द्वारा उड़ा कर ले जाये गये, उसमें से कितनों को आप छुड़ा कर लाये, कृपया यह बतायें। इससे आप सदन को अवगत करायें। लेकिन साथ ही ३ लाख ५५ हजार रुपये का माल पाकिस्तानी

(श्री विजयसिंह झाला)

६२–६३ में लूटकर पाकिस्तान में ले गये, उसमें से आपने कितनी प्रौपर्टी वापिस रिकवर की ? करीब ७०० पशु ले गये उसमें से आपने कितने कपड़े और १११ ऊंट ले गये उसमें से भी आपने कितने पकड़े ? कृपया मंत्री महोदय अपने उत्तर में यह अवश्य बतायें। मैं समझता हूं कि सन् ६२ के जो आंकड़े हैं, उसके स्थान पर ६३ में पाकिस्तान की हलचल ज्यादा बढ़ी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ५ दिन पूर्व हमारे योजना मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की कोई भी किताब हमारे राजस्थान के अन्दर नहीं पढ़ाई जाती है। लेकिन मेरे पास ४ पुस्तकें हैं। उनमें से एक पुस्तक को सदन के सामने पेश करना चाहता हूं और बाकी की ३ पुस्तकें मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को कल दे दूंगा।........

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इसको आप टेबिल ऑफ दी हाउस पर ही रख दें।

श्री विजयसिंह झाला : हमारे योजना मंत्री ने कहा था कि हमने जो पुस्तकें बरामद कीं, वह केवल दो विद्यार्थियों से कीं, और हम उनको दण्ड नहीं दे सकते, क्योंकि वे विद्यार्थी हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर ५ जगह पर दस्तखत हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपको कहां से प्राप्त हुई यह किताब ?

श्री विजयसिंह झाला : आपने ही तो मुझे दी थी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्यों झूंट बोलते हो ?

श्री विजयसिंह झाला : यह किताबें कहां कहां पढ़ाई जाती हैं, और कौन पढ़ाता है वह नाम भी मैं सदन के सामने रखना चाहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर के अन्दर बापी का पार नामक पंचायत है, उसके अन्दर पार नामक ग्राम है, उसमें मौलवी मुहम्मद पिता गुफूर हैं यह आज भी सैकड़ों बच्चों को पढ़ाते हैं। और वह आज से नहीं बल्कि कई सालों से पढ़ाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक ही विद्यार्थी को पढ़ाते हों, कई विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और यहां पर दस्तखत हैं उनके जिनकी कि यह किताब है। तो यह दस्तखत मैंने नहीं किये। यह दस्तखत आज नहीं किये गये हैं। मैं समझता हूं कि दस्तखत जो कहीं कहीं पर हैं, हमारे गृह मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण देंगे कि आखिर यह क्या षडयन्त्र है। उपाध्यक्ष महोदय, इन किताबों में कोई हिन्दुस्तान का गुणगान किया गया हो यह बात नहीं।

मैंने एक छोटे से अंश का हिन्दी अनुवाद कराया है उसको मैं सदन के सामने पढ़कर सुनाता हूं जिससे पाकिस्तान के प्रति वफादारी और हिन्दुस्तान के प्रति गैर-जिम्मेदारी या हिन्दुस्तान के प्रति वफादारी लोगों में नहीं बढ़ सकती, यह इसमें साफ है।

'हमारा प्यारा पाकिस्तान, वाहरे मेरा पाकिस्तान, मेरा वतन जग में चमके, कितना प्यारा पाकिस्तान। जान उस पर कुरबान कर दूं, जीवन देने वाला पाकिस्तान, चौदहवीं का चांद वाला पाकिस्तान और जलवों वाला पाकिस्तान। खुश होता हूं पाकिस्तान को देखकर, हसीन हूर जैसा पाकिस्तान। शान के साथ रहेगा, जग में रहेगा इसका नाम। हमारा

(श्री विजयसिंह झाला)

प्यारा पाकिस्तान अल्लाह अपनी मेहरबानी के मुताबिक हमेशा हमारा पाकिस्तान तरक्की करे ?

तो यह चीज विद्यार्थियों के अन्दर आज प्रारम्भ से ही डाल दी, तो जब सवाल उठेगा कि वह पाकिस्तान के प्रति वफादार हैं या हिन्दुस्तान के प्रति। तो मेरी समझ में वह पाकिस्तान के प्रति वफादारी करेंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की पाकिस्तान की सीमा पर एक आतंक फैला हुआ है। उसका अध्ययन करने के लिए सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाये। उसमें सभी पार्टी के सदस्य हों और सीमावर्ती गांवों में वह जाये और अपनी रिपोर्ट दे कि कैसा आतंकवाद वहां पर छाया हुआ है।

जहां तक करप्शन का सवाल है मैं सारी बातों की ओर नहीं जाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सारी जिम्मेदारी करप्शन की किसी एक आदमी पर थोपना मैं ठीक नहीं समझता।........

हमारे सदन के अन्दर सभी सदस्य हैं वे सारे के सारे इस भ्रष्टाचार के लिए इस रिश्वत के लिये जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूं कि जब तक जनता की तरफ से और सभी वर्ग की तरफ से एक रूप से कार्य भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नहीं किया जायेगा, तब तक रिश्वतखोरी मिट नहीं सकती, तब तक भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता। लेकिन जहां तक हमारे अधिकारियों का सवाल है अपने अधिकारों का प्रयोग कर के, कोई भ्रष्टाचार फैलाते हैं, मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जयपुर के अन्दर आई० जी० पी० को लोहे का कोटा मिला ५८ में वह १६ हजार का मिला। वह जो लोहे का कोटा मिला था उसका क्या हुआ ? उसका एन्डोर्समेंट होता है, कमल एण्ड कम्पनी के नाम पर और सामान सीधा बनाकर ब्लैक-मार्केट के अन्दर बिकता है। मैं समझता हूं कि कमल एण्ड कम्पनी, करप्शन एण्ड कम्पनी है हमारे राजस्थान के ऊंचे अधिकारियों के द्वारा मैं उपगृहमंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सन् ५६ में लोहे का कोटा मिला १६०००का उसका क्या हुआ आज तक। वह सारे का सारा पुलिस के रजिस्टर के अन्दर दर्ज है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, हमारे कुछ सरकारी अधिकारी जो राजस्थान के अन्दर तैनात हैं वह मजहब के नाम पर चन्दा इकट्ठा करके पाकिस्तान के अन्दर भेजते हैं। जोधपुर के अन्दर एक कर्मचारी है, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर केशियर है। उसका नाम है कयूम अहमद खां। उनके लिए आई जी० पी० साहब को एप्लीकेशन हुई थी, वह एप्लीकेशन किस तरीके से हुई थी, वह आपके रिकार्ड में होगी। ५-६--६२ को एक रिपोर्ट हुई थी। उसके अन्दर लिखा है कि हरके सदस्य से १) रु० प्रति माह मजहबी चन्दे के नाम से लिया जाता है। वह मजहबी चन्दा कहां जाता है ? वह मजहबी चन्दा जाता है पाकिस्तान के अन्दर। इस प्रकार से हमारे सरकारी अधिकारी अपना व्यक्तिगत प्रभाव डालकर, यहां का चन्दा पाकिस्तान को भेज देते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की हरकतों के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारी सीमा जो पाकिस्तान

Page No. 88

(श्री विजयसिंह झाला)

से लगी हुई है, उसके अन्दर हम किसी भी प्रकार की सही कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़े के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी सीमा का अतिक्रमण कर चुके हैं, यह मैं कह देता हूं।

श्री विजयसिंह झाला : कई सदस्य मेरी पार्टी के बोलेंगे। मैं उनका समय नहीं लेना चाहता हूं।

मैं समझता हूं कि आपकी जो प्रोसीक्यूशन शाखा है, उसको जुडीशियरी के अन्दर दे देना चाहिए, ताकि वह इन्डिपैन्डैन्टली काम कर सके।

इसी तरह से एन्टीकरपशन विभाग है, उसको जुडिशियल विभाग के अन्दर दे देना चाहिए जिससे कि जब तक वह इन्डिपैन्डैन्ट नहीं किया जायगा, तब तक वे सही रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा अपने विभागों के खर्चे चलाने के लिए, मांग प्रस्तुत की जाती है....

श्री उपाध्यक्ष : please be as brief as possible.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मांगें स्वीकृत भी की जाती हैं, और करना भी चाहिए, वर्ना विभाग का खर्च चलाना कठिन हो जाता है, लेकिन जिस समय हम मांग पर चर्चा करते हैं, उस समय राज्य सरकार के कानों में यह आवाज पहुंचाते हैं, कि जिस विभाग के लिए प्रजा से कर और टैक्स लगाकर रुपया वसूल किया जाता है, उस रुपये का आप सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। और यह एक मूल कारण है जिसके द्वारा हम सदन में विचार करते हैं।

यह मैं मानता हूं कि जहां तक व्यक्तिगत आक्षेप अधिकारियों के प्रति लगाये जाते हैं, इस प्रकार के आक्षेपों से यह स्वाभाविक हो सकता है कि डिमौरेलाइज़ेशन की भावना फैले। लेकिन जो तथ्य हैं उन तथ्यों को सदन के सामने लाना प्रत्येक सदन के सदस्य का पुनीत कर्तव्य हो जाता है, और जो तथ्य सदन के सामने रखे जाते हैं तो उन बातों को छिपाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, बल्कि राज्य सरकार का पुनीत कर्तव्य हो जाता है, कि उन तथ्यों की जांच करें। जांच करने के पश्चात् सही रास्ते पर जाने की कोशिश करें। लेकिन अभी तक यह देखने में आया है, कि सदन के माननीय सदस्यों के द्वारा बहुत सी बातें जो मंत्रीगणों के सामने रखी जाती हैं, मंत्रीगण उनके निराकरण करने की चेष्टा नहीं करते हैं, बल्कि उसके प्रतिकूल एक तरीके से टालने की चेष्टा करते हैं इस बात का, मैं घोर रूप से विरोध करते हुए राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा, कि अपनी इस आदत को ठुकरा दें।

जहां तक पुलिस का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा, मैं यह निवेदन करना

(श्री दुर्गालाल बाहदार)

चाहता हूं कि पुलिस विभाग में, मैं तो यहां तक कहूंगा कि सारे विभागों के अन्दर भ्रष्टाचार के आरोप सब तरफ से लगाये जाते हैं, लेकिन क्या हमने आज तक इस को मालूम करने की कोशिश की, कि इसका मूल कारण क्या है ? क्या है इसकी जड़ ? क्या है ऐसी बात जिसके द्वारा भ्रष्टाचार दूर कर सकते हैं ? इसके बारे में जांच करने की कोई कोशिश की गई क्या ? आज शासन की व्यवस्था जिनके कन्धों पर है, वे इस बात को जानते हैं, कि पुलिस की व्यवस्था किस समय में और किन किन परिस्थितियों में चलाई गई। यह वे जानते हैं कि बरतानिया की हुकूमत एक बार अपने इस देश पर जिस समय थी, उस समय यह व्यवस्था चालू की गई। लेकिन देश आजाद हुआ सन् ४७ में और उसके बाद में शासन-व्यवस्था का भार इनके कन्धों पर आया तो क्या इन अधिकारियों ने यह जानने की कोशिश की जो कार्य-प्रणाली पुलिस-व्यवस्था की अभी तक वही चली आ रही है उस कार्य-प्रणाली में परिवर्तन किया जाय ? इस बात की जांच करने के लिए कोई कमीशन बिठाया गया ? कोई बाहर से ऐसे विशेषज्ञ बुलाये गये, जिनके द्वारा इस कार्य-प्रणाली में कोई परिवर्तन लाया जा सके ? आज कहते हैं कि पुलिस अधिकारियों को अपमानित किया जाता है, पुलिस अधिकारियों पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाये जाते हैं, लेकिन मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि पुलिस अधिकारी भी इन्सान हैं। वे जानवर नहीं हैं। उनमें भी वह जो मंत्रियों के अन्दर स्वभाव की बात है वही आदमी है। उनके ऊपर कहना कि पुलिस विभाग में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति बेईमान होगा और दूसरे विभागों में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होगा, इन बातों को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हो सकता है कि बरतानिया हुकूमत पुलिस विभाग में पुलिस वालों की कमर पर जो पट्टा होता है उस पर एक प्लेट लगाती थी, और उस पर लिखा जाता था पुलिस फोर्स यानी कहने का मतलब यह है कि पुलिस की जो नियुक्ति की जाती है, पुलिस की तकर्रुरी जो की जाती है, वह केवल शक्ति प्रकट करने के लिए की जाती है, और इसी दृष्टिकोण से पुलिस के कर्मचारियों की तकर्रुरी की जाती है। अब आप यह विचार कीजिये कि हमारा देश स्वतन्त्र हुआ, हमारा देश आजाद हुआ और देश के आजाद होने के बाद जो यह प्रणाली और जो यह व्यवस्था इस पुलिस विभाग की चली आ रही थी, उस पर विचार किया कि नहीं किया। मैं निवेदन करूंगा कि इस दृष्टिकोण से राज्य-सरकार के कानों तक, कोई बात पहुंची ही नहीं और न उस पर उसने विचार ही किया। यह जो संतोष और असन्तोष की प्रेरणा है, आप यह मत भूलिये जनता में असन्तोष अवश्य है, इसलिए है कि पुलिस के कर्मचारियों में स्वयं में असन्तोष है। वे यह कह सकते हैं कि इस राज्य सरकार की ऐसी व्यवस्था बनी चली आ रही है। उनको हर प्रकार का आराम है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी दिक्कतों को देखना होगा। जनता की दिक्कतों को देखना होगा। साथ में यह भी देखना होगा कि पुलिस के कर्मचारियों की क्या दिक्कतें हैं। यदि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार फैला है, या पुलिस विभाग में कोई करप्शन फैला है, तो मैं

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

उसका मूल कारण एक बताता हूं, और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(साम्यवादी सदस्यों द्वारा गले में लाल पट्टी बान्धे हुए बैठने पर)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर यह गले में क्या बांध रखा है? इससे डर लगता है। यह डिमोन्स्ट्रेशन की क्या बात है ? ये यह पूछ-कर आये हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : That is no point of order, and that is not the businss of the Chair.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : इनके लिए खतरे की घंटी बांध रखी है, आपने ठीक समझा।

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! order !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह खतरे की घंटी बजाने के लिए आये हैं सदन में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इनका गला छुड़ा दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब तक तो आपका गला बन्द होने वाला है। हमारा गला क्या छुड़ायेंगे ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वे मंत्री लोग बरतानिया हुकूमत के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाया करते थे। पुलिस-व्यवस्था पर आरोप किया करते थे, कि इसका मूल कारण यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट ऑफ व्यू से या पोलिटिकल रीजन से पुलिस अधिकारियों को एपोइन्टमैन्ट्स किये जाते हैं, पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाता है, पुलिस विभाग के अधिकारियों की तकरुरी की जाती है। यह एक मूल आलोचना का विषय था, कि जिसको वे लोग किया करते थे, जिनके कन्धों पर आज राज्य सरकार का भार डाला हुआ है। लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सत्ता उनके हाथ में आई, जब हम स्वतन्त्र हुए, तो क्या उसके बाद उन्होंने सोचा कि किसी पुलिस अधिकारी का स्थानान्तरण वे करते हैं तो उसके करने में वह विचार है या नहीं। आज हम यह देखते हैं, कि पुलिस के ऊंचे अधिकारियों का जो एपोइन्टमैंट किया जाता है ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो स्थानान्तरण किया जाता है वह भी पोलिटीकल रीजन्स के आधार पर किया जाता है। जब पुलिस के अधिकारियों का, जिनके हाथ में हुकूमत है वे उनका दुरुपयोग करने की चेष्टा करते हैं, तो करप्शन उत्पन्न करने का जो श्रेय है, करप्शन पैदा करने की जो आलोचना की जा सकती है, तो वह अधिकारियों की नहीं, आरोप उन पर लगाया जा सकता है जो शख्स उन मशीनों और पुर्जों का उपयोग करने वाले हैं; उन ऊंचे अधिकारियों पर लगाया जाना चाहिए जो

(दुर्गालाल बाद्दार)

कि उनका दुरुपयोग करते हैं । आप यदि एक व्यक्ति की सेवा का दुरुपयोग करते है तो निश्चयात्मक समझ लीजिये, आपकी कमजोरी उच्च अधिकारी जानते हैं और एक कम-- जोरी का नाजायज फायदा उठा कर वे चार नाजायज काम करते हैं और आपकी हिम्मत नहीं हो सकती, कि जिससे आपने स्वयं नाजायज काम कराया है, उसके खिलाफ कुछ कर सकें, आपको नजरंदाज करना पड़ेगा और चुप रहना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन घंटी बीच में आती है । मैं राजाओं के प्रिवीपर्स की मर्यादाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक यह प्रश्न उठाया जाता है, यह संविधान की सैंकटिटी पर चार्ज है । मैं सैन्ट्रल गवर्नमेंट से मांग करता हूं, कि यह चर्चा का विषय नहीं हो सकता । लेकिन प्रश्न रखा गया था, इसलिये इस पर विचार करना होगा । देश के स्वतन्त्र होने के बाद देश का संविधान बना और संविधान बनाते समय यह समस्या केन्द्रीय सरकार के सामने आई, कि देशी राज्यों का विलीनीकरण किया जाय, केन्द्र में उन्हें मर्ज किया जाय । उसके लिये राजाओं के साथ एग्रीमेंट हुए और संविधान के पीछे हुए । सैक्टिटी ऑफ लौ जो है, उसको औबजर्व करते हुए, यह सारा प्रश्न आता है । यह सही बात है कि दल विशेष की वकालत करने के लिये मैं खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन राज्य सरकार के सामने जो प्रौविजन्स संविधान में हैं, जिनके पीछे सैक्टिटी ऑफ लौ है, उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ । एक सरकार यदि किसी आदमी से मुआहिदा करती है, सरकारें बदलती हैं, हकूमत बदलती है, लेकिन जो मुआहिदा या ऐग्रीमेंट कोई सरकार करती है, उसको औबजर्व करना पड़ता है । आज प्रिविपर्स का बात कही जाती है, उसके बारे में यहां कुछ कहने या करने का अधिकार नहीं है, यह अलग बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि प्रिविपर्स पर आरोप लगाते हैं तो आप कानून की प्रोप्राइटी आने के बाद पोलिटिकल सफरर्स को पैन्शन क्यों देते हैं ? उन्होंने कोई नौकरी की है या क्या किया है ? उनको पैन्शन आप इसलिये देते हैं कि सैकड़ों, और हजारों आदमियों ने आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया है, बलिदान किया है । उनको आप पैन्शन देते हैं तो मैं इसको उचित समझता हूँ; उनको मिलनी चाहिये सेवा के मुआवजे के रूप में, उनको पैन्शन मिलनी चाहिये । उन्होंने देश की आजादी के लिये कुर्बानिया की हैं, देश को स्वतन्त्र करने के लिये बलिदान किया है, त्याग किया है । यह भावना हृदय में उत्पन्न होती है, मैं इसका विरोध नहीं करता, बल्कि साथ देता हूं और आपने जो इस प्रकार का प्रौविजन रखा है वह अच्छा रखा है, उनको देना चाहिये ।

एक यह भी समस्या हमारे सामने आती है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने करोड़ों रुपये कर्ज लिये है । लाखो रुपयों के मुआहिदे आपने किये हैं । समय आता है तो सरकार बदल जाती है । सरकार नहीं रहे तो आपने जो मुआहिदे किये हैं उनको रद्द कर देंगे ? आपने जो एग्रीमेंट

(दुर्गालाल बाढ़दार)

किये है उनकी सेक्टिटी नहीं रहेगी ? यदि यह प्रश्न आता है........

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : मुआहिदे जनता से बहुत किये थे। जनता के मुआहिदे तोड़ दिये जाते हैं, तो जागीरदारों के मुआहिदे तोड़ने में क्या हर्ज है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जनता के साथ मुआहिदे तोड़े जाते है, राजाओं के साथ मुआहिदे तोड़े जाते हैं, लेकिन मैं राज्य सरकार को यह बताना चाहता हूं कि मुआहिदे किये जाते हैं, उनके पीछे पवित्र भावना है, कोई गड़गड़ी या इर्रेगुलैरिटी नहीं हैं, गैर कानूनी बात नहीं है, तो उनको प्रश्रय देना चाहिये। मुआहिदे तोड़ने के भी नियम होते हैं, उनके साथ तोड़े जाते हैं....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : इस पवित्रता के कारण जनता भूखों मर रही है, इसलिये इसका वह नहीं रहा।

श्री दुर्गालाल बांढदार : जो इसमें विश्वास करते हैं उनके लिये पवित्रता रहेगी। हमारे देश में एक नकटों का सम्प्रदाय चला था। वह कैसे चला ? यह मैं बताता हूं। एक आदमी की नाक कट गई। उसने लोगों से कहा कि नाक कटने से परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसको देख कर दूसरे ने भी नाक कटवानी शुरू की। तो उसने उनसे कहा कि अपने को नकटों का सम्प्रदाय बनाना है इस लिये यह प्रचार करो कि नाक कटने से परमात्मा मिलता है। इस प्रकार की भावना लेकर हम नहीं चलते। कौंस्टीट्यूशन की सेक्टिटीज है। इस कौंस्टीट्यूशन के अन्तर्गत जो मुआहिदे किये गये हैं उनका पालन करना हमारा कर्त्तव्य है।

(समय--समाप्ति--सूचक घन्टी)

विधान सभा भवन के बाहर प्रदर्शन विषयक वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, कि बाहर जनता का एक विशाल प्रदर्शन यहां आया है, अपने दुख दर्द सरकार और विधान सभा के सामने रखने के लिए। जो मंहगाई बढ़ने का प्रश्न हैं, जो टैक्सेज़ सरकार लगाती है, या जो साधन उपलब्ध होने चाहियें, वे उपलब्ध नहीं करते हैं, उन तमाम प्रश्नों के लिये आज जनता सारे राजस्थान में बहुत परेशान है। इन प्रश्नों को इस सदन के सामने रखने के लिए न सिर्फ हमारी ओर से बल्कि माननीय सदस्यों की ओर से हमारा निवेदन है, माननीय मुख्य मन्त्री को उनके पास चलना चाहिये और उनको सुनना चाहिये.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of Order, on a point of Order.

श्री उपाध्यक्ष order please

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सम्माननीय सदस्य अपनी भावनाएँ पूरी तरह से रख सकते हैं। वे, जिनसे बात करनी हों, सदन के बाहर करलें। आज कट मोशन्स और दूसरी चीजें चल रही हैं। सदन में कट

(श्री उपाध्यक्ष)

मोशन्स और डिमान्डस पर डिस्कशन करना है। बाहर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मुख्य मन्त्री जी से मिलकर जो कुछ करना चाहें कर लें, लेकिन आज के एजेन्डा में इस बारे में कुछ नहीं है, इसलिये मैं अपील करूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब को किसी से मिलना है, तो यह सदन के बाहर की बात है, यहां की कार्यवाही में व्यवधान आना गलत बात होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह प्रदर्शन है जनता का जो इस सदन से मिलने आई है। मुख्य मन्त्रीजी केवल मुख्य मन्त्री ही नहीं हैं बल्कि सदन के नेता हैं, इसलिये उनका फर्ज है कि उनकी बात सुनें और उसे सदन के सामने रखें। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। उस जनता की बात को सुनना, उस पर विचार करना हमारा फर्ज है। इसलिये इस सदन के नेता होने के नाते मैं मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा, आपके जरिये आग्रह करूंगा, कि वे चलकर उनसे मिलें, उनकी मांग को सुनें, दुख दर्द सुनें। यह नहीं कि केवल बहुमत के आधार पर आप किसी बात को न सुने। जनता मांग कर रही है, मंहगाई कम की जाय, जनता मांग कर रही है प्रिवीपर्स बन्द किये जाय ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हाउस का समय जा रहा है........

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : Order Please

[अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे।]

श्री उपाध्यक्ष : Order Please.

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (रायसिहनगर) यह कहा गया है कि डिमान्ड चल रही है। डिमान्ड किसके लिये चल रही है ? राजस्थान की जनता के लिये जिसका जलूस विधान सभा के दरवाजे पर है, जो दूर दूर से लोग आये हैं। हमारी अपील है १७६ माननीय सदस्यों से........

श्री उपाध्यक्ष : Let me say. Please. Order Please

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हजारों की संख्या में लोग बाहर खड़े हैं, तो फिर यह आपकी डिमांड किसके लिये है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यवस्था का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order Please. The Chair is on islegs Hearme please

जो अभी व्यवस्था का प्रश्न भी आया और माननीय श्री रामानन्द जी ने जो एक प्रश्न उठाया कुछ मुद्दों के लिये कुछ प्रदर्शनकारी बाहर है, उस तरफ माननीय मुख्य मन्त्री जी ध्यान दें इत्यादि, इस विषय में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पूर्व निर्धारित कार्यवाही इस सदन की है, उस में तो कोई हेर फेर हो नहीं सकता और कोई कौन क्या करे इस विषय में इस आसन से

(श्री उपाध्यक्ष)

आदेश नहीं दिया जा सकता। निश्चित कार्यवाही के लिये आसन जिम्मेदार है।

श्री रामकिशन (वैर) : मैं एक मिनिट में निवेदन कर दूँ उसके बाद, शायद कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक परम्परा का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि देश को क्या बनाया जा रहा है? क्या जब तक हथियारों से प्रदर्शन न हो तब तक प्रदर्शन नहीं माना जायगा? पिछली सालों में आपने छोटे-बड़े देशों में देखा होगा, स्विटजलैंड का देखा होगा, जापान का देखा होगा, वहां प्रदर्शन आते हैं, तो वे मिलते हैं। लेकिन यहां इस प्रकार की परम्परा बना ली जाती है, तो मुझे अफसोस है क्योंकि इस परम्परा से कॉम्युनिस्ट सदस्य फायदा उठाते हैं। इसलिए इस मौके पर मुख्य मंत्री को मिलना चाहिए और इस प्रश्न पर हम लोगों की भावनाएं भी शामिल हैं........

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मन्त्री, शिक्षा) : He is canvassing the observations of the Chair.

श्री रामकिशन : मेरा निवेदन है कि मुख्य मन्त्री को निश्चित रूप से उनसे मिलना चाहिए। इससे सदन की कार्यवाही नहीं रुकेगी। सदन की कार्यवाही तो चलती रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आसन आदेश नहीं कर सकता।

श्री रामकिशन : अगर मुख्य मन्त्री नहीं मिलते हैं तो इसका दूसरा असर होगा। यह कहा जायगा कि लोग हजारों मील से आये और मुख्य मन्त्री जी नहीं मिले। मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री को बगैर किसी संकोच के और बगैर किसी डर के प्रदर्शन-कारियों के पास जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या करेगी। इससे उनके सामने आ सकता है कि सरकार क्या काम कर रही है। मुख्य मन्त्री वहां जायेंगे तो प्रदर्शनकारी न तो लाठी चलायेंगे और न कुछ करेंगे। इसलिए उनको चलने को तैयार होना चाहिए।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप मुख्य मन्त्री को सुन लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : इस प्रदर्शन के बारे में, मुझसे कम्युनिस्ट पार्टी के श्री एच. के. व्यास ने, पांच सात दिन पहले जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, २६ तारीख को वह एक जलूस निकाल रहे हैं, जो विधान सभा की तरफ आयेगा और उसके आने के बाद कुछ प्रतिनिधि, पांच सात आकर अपना एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए समय दे दूं। मैंने उस रोज भी कहा था और आज भी, यह कह कर चलता हूं कि उनके प्रतिनिधि आयें, तो मैं उनसे निश्चित रूप से मिलूंगा। उसके बारे में मुझे एतराज नहीं है। पहले भी ऐसे जुलूस आये हैं, तो ऐसी परम्परा रख कर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चले हैं कि जो जलूस आते हैं, उनके प्रतिनिधि आते हैं और जो कुछ बातें होती हैं वे लाकर रखते हैं और बातें होती हैं। उसी परम्परा के अनुसार........

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह हमेशा होता है कि आप जाकर मिलते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो परम्परा रही है उसके अनुसार मैंने निवेदन किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वैसे तो वे स्लिप लाकर मिल सकते हैं। वहां जाकर मिलना चाहिए। आप सदन के नेता हैं, आपको जनता से जाकर मिलना चाहिए।

(शोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! जो जवाब दिया जा चुका है........

श्री हरिराम चौहान : आपके सामने अपनी मांगों को लेकर आते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन से निवेदन करता हूं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री इस तरीके से कह कर इस बात को टालने की कोशिश करें—यह उचित नहीं है। मुख्य मन्त्री का एक तरफ तो यह रवैय्या कि लोग डिमोन्स्ट्रेशन करने आयें, तो वे अपनी रक्षा के लिए पुलिस का इन्तजाम करें। पुलिस का इन्तजाम होते हुए भी उनके साथ असभ्यता का बर्ताव करके उनके ऊपर खुद की देख-रेख में हमला हो। यह रवैय्या अपनाया है। और दूसरी तरफ यह रवैय्या हो कि दूसरी पार्टियों की तरफ से जलूस निकले, पूरे शांतिपूर्ण तरीकों से निकले, व्यवस्थित तरीके से निकले और लोग अपनी मांग रखने के लिए जिले जिले से आयें, तो आप कहते हैं कि उनके डैपूटेशन से आप मिल सकते हैं। डैपूटेशन तो मिलते रहते हैं, बार बार मिलते रहते हैं। लेकिन बार बार जनता की मांगों के बारे में हमारे कहने के, हमारे बोलने के और डैपूटेशन के मिलने के बावजूद कुछ नहीं करते हैं तो जनता चाहती है कि वह खुद मिलें और दो दो बातें करें, अपना दुखः कहें और अपनी दिक्कतें बतायें। उनसे मिलने में कौनसी दिक्कतें आती हैं, कौनसी परेशानी होती है, यह समझ में नहीं आता और कौनसी परम्परा इससे टूट जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दे दिया है कि उनके डैपूटेशन से मिलेंगे तो इसका सवाल पैदा नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें कौनसा अहसान है कि डैपुटेशन से मिल लेंगे। डैपुटेशन से तो रोज मिलते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रश्न उठाया....

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनता आपका जवाब तलब करने के लिए आई है....

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रश्न उठाया उसके लिए निवेदन किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रश्न नहीं है। इतने लोग आपके सामने अपनी भावनाओं को रखना चाहते हैं, तो उनसे मिलने में दिक्कत क्या है ? ऐसी कौनसी शर्म आ रसी है वहां पर जाने में !

श्री उपाध्यक्ष : Now we shall proceed with our business.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : रिकॉगनीशन देंगे हम किसी को !

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं, रूल्स के तहत सदन की कार्यवाही आधा घन्टा के लिए स्थगित कर दी जाय क्योंकि जनता का इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए जनता के लोगों को मिलने के लिए जन प्रतिनिधियों को मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक स्थगित नहीं की जा सकती।

श्री माणिकचन्द सुराणा : यह बहुत गम्भीर प्रश्न है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्थान के कौने कौने से, पांच सौ मील से, तीन सौ मील से लोग आये हैं अपनी बात कहने को।

श्री माणिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी के दिल में यह बात होगी कि जनता से मिलें। लेकिन हो सकता है, शायद अपनी पार्टी के लोगों को वे नाराज न करना चाहें, उनकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रख कर वे जाने में सकुचाते हों। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कि वे अपनी सकुचाहट को छोड़ें और राजस्थान की जनता अपनी विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने को आई हैं, और अनाज के बढ़ते हुए भावों के बारे में अपनी बात को कहने के लिए आई है, टैक्सों के बारे में कहने के लिए आई है....

श्री उपाध्यक्ष : We cannot alow any discussion at this stage.

श्री माणिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, I propose that the House be adjourned for half an hour.

श्री उपाध्यक्ष : I am absolutely sorry to...

श्री माणिचन्द सुराणा : इस विधान सभा के सदस्यों को मौका दिया जाय कि वे बाहर जाकर मिलें और विधान सभा को....

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि यहां की व्यवस्था के अनुसार जो कुछ भी पूर्व-निश्चित कार्यक्रम है, उससे सदन अलग नहीं जा सकता। उस कार्यवाही को ही केवल होने के लिए आसन इजाजत दे सकता।

श्री रामकिशन : पूर्व निश्चित कार्यवाही जारी रहेगी।

श्रीयोगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स के तहत....

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स के तहत ही यह है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रूल्स के तहत कहा गया है कि आधा घन्टे के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी जाय। यह कोई मामूली बात नहीं है, राजस्थान के कौने कौने से जनता के प्रतिनिधि आये हैं, मुख्य मन्त्री से मिलने के लिए आये हैं, अपनी मांगों को रखने के के लिए आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, उनसे मिलने में कोई शर्म की बात नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढावरिया (बनेड़ा) : इसमें कोई गलत बात नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : करोड़पतियों की मीटिंग में तो इकट्ठे होकर जाने को तैयार हो जायेंगे, वहां मुफ्त में जमीन दे देंगे। मैं कहना चाहता हूं, जनता पूछना चाहती है, इस बात को कि जमीन क्यों दी? बिड़ला, टाटा और कमल नयन बजाज....

श्री नीरंजननाथ आचार्य : On a point of order Sir.

श्री उपाध्यक्ष : There is a point of oder. Order please ! order.

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये लोग आयें, तो उनसे मिलने चले जाते हैं लेकिन इतने गरीब किसान लोग आयें, गरीब मजदूर लोग आवें, उनसे नहीं मिलना चाहते, उनसे मिलने में आपको शर्म आती हैं। वहां जाकर आप उनको फूल माला पहनाते हैं, और मुफ्त में जमीन दे देते हैं। यह जनता जानना चाहती है। जनता पूछना चाहती है कि आप क्यों देते हैं? क्यों राजाओं को प्रीवी पर्स देते हैं, क्यों जागीरदारों को कम्पैन्सेशन देते हैं? जनता इसका जवाब जानना चाहती है। जनता पूछना चाहती है आपसे कि आपने ब्लैक मार्केटियर्स के खिलाफ क्या किया है?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हजारों की तादाद में जनता आई और आप इस तरह....

(शोर-व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंहगाई के बारे में आपने क्या किया है, यह जनता जानना चाहती है।

(शोर–व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इस तरह सदन में दुपट्टा लगा कर बैठे हैं, चादर ओढ़ कर बैठे रहें, राजस्थान के मुख्य मन्त्री बैठे रहें।

श्री रामनन्द अग्रवाल : आप जनता को जवाब दीजिये इतनी मांगों के बारे में क्या किया?

(शर–व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please order !

श्री रामानन्द अग्रवाल : छोटे लोगों के ऊपर इस तरह जुल्म हो रहा है....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मुख्य मन्त्री हनुमानगढ़ क्षेत्र के अन्दर जायं और जनता

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को पिटवायें, अपने गुंडों से पिटवायें और जनता के हाथ-पैर तुड़वाये जायं। आज जनता इसलिए आई है कि आपका जवाब तलब करे।

(शोर-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please! order! Order! Order!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चलिये! जनता के सामने चलिये!

(शोर-व्यवधान)

जनता आपका जवाब पूछना चाहती है!

श्री रामानन्द अग्रवाल : पूंजीपतियों को मुफ्त जमीन दे दी उसका जवाब दो जनता को।

(शोर-व्यवधान)

जनता के सामने चलिये! जनता आपका जवाब पूछेगी।

(शोर-व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : My point of order.

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : सरकारी पक्ष से उत्तर होगा।

श्री अब्दुल जब्बार : I am raising a point of order, Sir.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have already raised a point of order.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, there is already a point of order.

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि पहला प्रश्न जब उठाया गया तो आपने उस पर अपना मत, अपनी व्यवस्था दे दी, हाउस का टाइम अमूल्य है, इसलिए इस वक्त हाउस का कार्यक्रम चलेगा। दूसरा प्रश्न उठाया गया कि हाउस को आधे घंटे के लिए एडजोर्न किया जाय, उस पर आपकी व्यवस्था हो चुकी है कि हाउस एडजोर्न नहीं किया जा सकता है। दूसरे प्रश्न के ऊपर आपकी व्यवस्था है, आपका निर्णय है। मेरा निवेदन है कि आपकी व्यवस्था और निर्णय का बराबर माननीय सदस्य उल्लंघन कर रहे हैं अपने व्यवहार के द्वारा। मेरा निवेदन है कि दोनों प्रश्नों पर व्यवस्था दे दी गई है, उस व्यवस्था के आधार पर कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए। और जो व्यवहार माननीय सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती सदन के द्वारा।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यहां पर प्रत्येक बहस, प्रत्येक कार्यवाही एक व्यवस्था के अन्दर ही और नियमों के दायरे में होती है, और उस दृष्टि से जो कुछ भी कार्यवाही चल रही है-

(श्री उपाध्यक्ष)

वह उन नियमों के अन्तर्गत और उन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत चल रही है। यहां जितने भी प्रश्न सोचे जाते हैं, बहस होती है- वह अखिल राजस्थान के प्रश्न हैं, एक तबके का प्रश्न नहीं है, एक जगह का प्रश्न नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान की जनता का यह प्रश्न है........

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब समग्र राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर यहां पर विधि और विधान के अनुसार विचार हो रहा है तो उसमें हस्तक्षेप न करें, और उस व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही चलने दें। यह बात पृथक है कि किस समय माननीय मुख्य मंत्री मिलें और क्या हो- वह बात बिल्कुल अलग है, वह आसन से सम्बन्धित नहीं है। आसन का सम्बन्ध केवल यह है कि कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से और पूर्व निश्चित प्रोग्राम के अनुसार कार्यवाही चले। और आसन इस विषय में कोई अपना मत, अथवा संकेत या आदेश देने में अक्षम है। इसलिए माननीय सदस्यों से सहयोग की प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार पूर्व निश्चित कार्यक्रम हैं, उसको चलने दें। और जो विषय सामने लाया गया है, उसको आसन ने उदारतापूर्वक यहां पर उठाने का अवसर दिया है। उस पर और जोर देना है, तो और प्रकार से जोर देने का प्रयत्न किया जाय। अब मैं सरकारी पक्ष से निवेदन करूंगा कि अपना उत्तर दे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, रूल ३०६....

श्री अब्दुल जब्बार : रूल ३०६ के तहत निवेदन करना चाहता हूं। इस रूल के तहत इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपका यह अधिकार है कि जो विषय, प्रस्ताव या जो भी इस सदन के सामने हैं, उन पर बहस को या और कार्यवाही को रेगुलेट कर सकते है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of order, Sir... उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३०६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके अनुसार आपको अधिकार है....

श्री उपाध्यक्ष : कौन सा रूल है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह रूल ३०६ है।

इसके अनुसार आपको अधिकार है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को कुछ समय के लिये आप स्थगित कर सकते हैं, क्योंकि एक विशेष परिस्थिति इस सदन के सामने उत्पन्न हो गई है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस नियम के अनुसार आप कार्यवाही कर सकते हैं। क्योंकि रोज रोज इस प्रकार के डैपूटेशन नहीं आते, न रोज रोज विधान सभा का अधिवेशन ही होता है, और रोज रोज यह १० हजार की भीड़ का प्रदर्शन हमारे यहां नहीं हो सकता। आप यह कहें कि दो दिन के बाद में आप बात करेंगे, तो दो दिन में काफी नुकसान इन लोगों को

(श्री माणिकचन्द सुराणा)

होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह कार्यवाही निलम्बित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य ने रूल ३०६ कोट किया है और इस रूल के अन्तर्गत यह चाहा है कि मौजूदा कार्यवाही को स्थगित करके जो मोशन आया है उसको लिया जावे। प्रथम तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मोशन के रूप में कोई प्रश्न नहीं आया। यह प्रश्न बीच में आया और आसन ने इस अवसर को महत्व देते हुए इजाजत दी। इसके पश्चात मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ३०६ केवल उस समय फंक्शन में आता है जब कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाये जो दूसरे किसी रूल्स के अन्दर चलते हुये हल नहीं होता हो। इसलिये मैं इसमें ऐसी कोई बात नहीं समझता कि जिसके लिये सस्पेंशन औफ दी रूल्स किया जावे। यह बात अलग है कि मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया जा रहा है कि वे उनसे मिलें। उन्होंने स्वयं ने कह दिया कि वे उन लोगों से मिलेंगे। केवल इस छोटे से मामले के लिये सारे सदन की कार्यवाही को स्थगित करना मैं ठीक नहीं समझता।

श्री नत्थीसिंह : Point of order, Sir. उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो, प्रश्न उठाया गया है, उसके लिये मैं आपका ध्यान धारा २९३ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि एक तरफ जब जनता विधान सभा के दरवाजे पर खड़ी है और मांग करती है कि वे गंभीर परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, उनकी समस्याओं को राजस्थान के जो मुख्य मंत्री हैं वे सुनें, मगर दूसरी तरफ उनको सुना नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में घोर अव्यवस्था का वातावरण पैदा हो गया है। इसलिये सदन का समय आध घन्टे का बढ़ाया जावे। सदन का समय बढ़ा दिया जाने के बाद, बीच में उनसे मिला जावे और आधा घन्टे का समय जो बढ़ाया जावे उसमें उसका फैसला हो जावे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब जनता विधान सभा के दरवाजे पर मांग कर रही है तो....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, आप कृपा करके सुने। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि जैसा अभी मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे डैप्यूटेशन को रिसीव करने के लिये तैयार हैं। मेरा माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन है कि जो जनता बाहर खड़ी है उनकी शिकायतों को सुनना आवश्यक है, किन्तु तीन चार हजार जनता की बात को एक व्यक्ति चाहे वह चीफ मिनिस्टर हो चाहे और कोई भी हो अच्छी तरह से नहीं सुन सकेगा। इसलिये अच्छा यह हो कि सदन के कक्ष में डैप्युटेशन के तौर पर ८ या १० आदमी आकर उनसे बात करें, तो अच्छा रहेगा यह मेरा नम्र निवेदन है ताकि वे अच्छी तरह से सुनें और उस पर विचार करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इससे यह साफ होगया है कि आज के कांग्रेस के राज्य के तरीकों में और पुराने राजा महाराजाओं के तरीकों में कोई अन्तर नहीं है, कोई फर्क नहीं रहा है। आज कांग्रेस सरकार की तरफ से

(श्री माणिकचन्द सुराणा)

उस बात को डिफैन्ड कर रहे हैं जो राजा महाराजाओं के समय होती थी जिसका वे हमेशा विरोध करते रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी जनता की सरकार जो अपने आपको जनतंत्रीय सरकार कहलाने का दावा करती है इसको पसन्द नहीं करेगी....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं इसी पौइन्ट आफ ऑर्डर का समर्थन करना चाहता हूं।....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ।
एक माननीय सदस्य ने पौइन्ट ऑफ ऑर्डर रूल २६३ के अन्तर्गत उठाया है, लेकिन वह भी पिक्चर में तभी आता है जब इस प्रकार की विशेष स्थिति हो।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : होगई है। इससे ज्यादा/विशेष स्थिति क्या होगी ?

(शोरगुल एवं "बैठ जाओ, बैठ जाओ" की आवाज)

जनता यहां पर आई है साहब। उससे आपको बात करनी चाहिये। इससे विशेष परिस्थिति क्या और कब पैदा होगी ?

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी सदन में बैठने वाले और ट्रैजरी बेंचों पर बैठने वाले चाहे वे मुख्य मंत्री हों, चाहे अन्य मंत्री हों, वे आखिर जनता के वोट लेकर ही यहां आये हैं, और वह वोट देने वाली जनता हमारे यहां विधान सभा के दरवाजे पर खड़ी है और चाहती है कि आप उनकी कठिनाइयों को सुनें। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप उनको सुनें। यह नहीं कि आप यहीं बैठकर जबाब दे दें। उनकी मांग है और आपको (चीफ मिनिस्टर को) जबाब देना है। मगर मैं यह कहूंगा कि वोटों के लिये आप उनसे जाकर मिलते हैं, तो इस समय भी उनसे मिलना चाहिये। वोटों के समय सोते नहीं रह सकते। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आध घन्टे तक के लिये सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह जनता की सरकार है और जनता दरवाजे पर खड़ी है और जनता के मिनिस्टर जनता से मिलने के लिये जाना नहीं चाहते इससे....

(शोरगुल)

बड़ा परिवर्तन क्या हो सकता है ?

(शोरगुल 'बैठ जाओ' 'शट-अप' की आवाज)

जनता दरवाजे पर खड़ी है और आप यहां यह कह रहे हैं कि नहीं मिले तो क्या हो सकता है ?

एक माननीय सदस्य : प्रश्न यह है कि इस सदन में....

श्री उपाध्यक्ष : मैं स्पष्ट कह चुका हूं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को बदला है।

(श्री उपाध्यक्ष)

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कार्यवाही को बदलने का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज की मांग ले लीजिये । लेकिन इस सदन में कई दफा समय बढ़ाया गया है....

(शोरगुल)

श्री अब्दुल जब्बार : Point of Order Sir.

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, घोर अव्यवस्था हो रही है ।

(शोरगुल)

(चार-पांच माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : Order, please! Order please !

श्री अब्दुल जब्बार : राजा-महाराजाओं के समय में इन्साफ का घन्टा लगा रहता था और लोग आकर डोरी को हिलाते थे उनको इन्साफ मिलता था । आज जब जनता का राज्य है और जनता की सरकार है तो आपके दरवाजे पर जनता खड़ी है और आप उससे मिलना नहीं चाहते । आप राजा और नवाबों की तरह भी काम करना नहीं चाहते । वे डोरी हिलाने पर आकर इन्साफ तो करते थे ।

श्री उपाध्यक्ष : Order Please !

(शोरगुल 'शट-अप' व बैठ जाओ की आवाजें)

(अनेक माननीय सदस्य जोर जोर से 'शट-अप' 'बैठ जाओ' बोलने लगे)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय........

(शोरगुल)

अनेक माननीय सदस्य : जुबान बन्द करो । बैठ जाओ ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जुबान मेरी बन्द करने की बात नहीं है । यह २५ हजार जनता की जुबान है, उसको आप बन्द नहीं कर सकते हैं । आज जनता की सरकार है ।....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! order !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज जनता की सरकार है, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर राजस्थान की जनता जो दरवाजे पर खड़ी उससे आप मिलना नहीं चाहते....

(शोरगुल)

आपको चाहिये कि आप जनता से मिल कर उनको सैटिस्फाई कर ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) :

जब जनता हजारों की तादाद में यहां पैदल चल कर आई है तो....

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(शोरगुल)

श्री हरिराम चौहान : जब जनता हजारों की तादाद में यहां पर आई है तो या तो आप उनसे मिलिये या यों कहिये कि आप नहीं मिलना चाहते ।........

श्री उपाध्यक्ष : I cannot allow this.

(विराम)

Order please !

(**श्री हरिराम चौहान** : बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! order !!

माननीय सदस्य श्री हरिराम चौहान ।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आखिर यह माजरा क्या है ? ५०० मील से लोग यहां पर चलकर आये हैं, और चीफ मिनिस्टर केवल चलकर उनसे मिलना नहीं चाहते । आखिर यह माजरा क्या है ? क्या वजह है ? क्या यह जनता की सरकार है ? क्या जनता की सरकार में हमारे मुख्य मंत्री १० कदम जाकर उनसे बात नहीं कर सकते ?

(शोरगुल)

क्या यह जनता की सरकार है ? १० कदम नहीं जा सकते ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please, Mr. Handa ! order please !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पर वहां जाने की हिम्मत नहीं होती, इस लिये कि सरकार के कारनामे काले हैं । इस सरकार ने जनता के विरुद्ध काम किये हैं, मजदूर विरोधी काम किये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! order please !!

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस सरकार ने जनता का शोषण किया है, जनता का शोषण करने वालों से समझौता किया है, राजाओं से समझौता किया है, जागीरदारों से समझौता किया है. यदि इस सरकार में ताकत हो तो उनके सामने जाय, जो लोग दूर दूर से आये हैं, मुख्य मंत्री उनके पास जांय....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : order please ! Order please !!

I will have to adjourn the House

for fiv minutes (विराम) ten minutes.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : on a point of order, Sir,

(शोरगुल)

'शट-अप' 'सिट-डाउन' एवं मेजों की थप-थपाहट की ध्वनि)

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं, क्या यह डिसिप्लिन है ? क्या यह व्यवस्था है ?........

(बड़े जोरों से शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! order !!

I am saying if...!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या हाउस में इनका यही डिसिप्लिन है ? मैं इस सम्बन्ध में आपसे व्यवस्था चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

(शोरगुल)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप लोगों का यही डिसिप्लिन है....

(मेजों की थपथपाहठ)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कौनसा डिसिप्लिन है ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! Order !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कर दीजिए सदन को एडजोर्न । हमने सीखा है डिसिप्लिन हमने समझा है डिसिप्लिन........

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! Order Please !!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं व्यवस्था के आधार पर प्रस्ताव....

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम नहीं सुनना चाहते....

(शोरगुल, मेजों की थपथपाहट)

हम नहीं सुनना चाहते ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इस अव्यवस्था को देख कर कहना चाहूंगा कि मैं इस मांग का कोई जवाब न देकर, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि इस मांग को हाउस के सामने वोट के लिए रख दिया जाय ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : Order Please

श्री मुरलीधर व्यास : मैं एक थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं....

(शोरगुल)

एक थोड़ी सी बात रखना चाहता हूं । आप जरा इस वातावरण में व्यवस्था दे दें । आज का प्रदर्शन किसी पार्टी विशेष का या व्यक्तिगत नहीं है....

(शोरगुल, बैठ जाओ, मेजों की थपथपाहट)

श्री मुरलीधर व्यास)

किसी पार्टी विशेष का प्रदर्शन हो ऐसी बात नहीं है। एक छोटी सी बात मुख्यमंत्री के सामने रखी जाती है, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, चाहे किसी बात को लेकर आये हों, मुख्य मन्त्री अगर वहां जाकर उनसे बात करलें तो क्या ऐतराज है, लोकतन्त्र में लोग अपनी बात लेकर इतनी दूर दूर से आते हैं और शांत प्रदर्शन करते हैं तो उनकी बात सुनना चाहिए, लोकतन्त्र में अगर जनता को नहीं सुना जायगा तो वह कैसा लोकतन्त्र....

(शोरगुल)

श्री जगनसिंह : लोकतन्त्र में इस तरह के डिमौन्स्ट्रेशन के लिए कोई स्थान नहीं हैं, यह कम्युनिज्म का तरीका है....

(शोरगुल, मेजों की थप थपाहट, बैठ जाओ, 'शट अप' की आवाज)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order Please !! माननीय सदस्य, Order ! Order Please !!

(शोर गुल)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : The Demand may be put to Vote, Sir.

श्री मुरलीधर व्यास : यहां अपनी बात भी कहने का मौका नहीं देते हैं ये, कम से कम लोकतन्त्र की रक्षा के लिए आपको एक व्यवस्था देनी चाहिये, उनकी आवाज को बन्द करना चाहिए, दूसरों की आवाज को सुनने और सुनाने का मौका देना चाहिए, अगर अपनी बात सुनाने का यहां पर मौका नहीं दिया जाता है तो माननीय उपाध्यक्ष, आपकी तरफ से व्यवस्था दी जाकर मौका मिलना चाहिये। वे केवल अपनी बात ही कह रहे हैं और दूसरों के द्वारा अपनी बात कही जाती है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, तो आपको उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए....

(शोरगुल, मेजों की थपथपाहट)

वे लोग प्रजातान्त्रिक परम्पराओं को तोड़ रहे हैं, अतः माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि लोकतान्त्रिक परम्पराओं को आगे पनपाना है, आप ही लोकतान्त्रिक परम्पराओं की रक्षा कर सकते हैं। विरोधी पक्ष की तरफ से इतना कहा जा रहा है, कम से कम मुख्य मन्त्री उन्हें सुनने को जायं, वे इसका विरोध करते हैं तो हम आपसे व्यवस्था चाहते हैं कि इस प्रकार की परम्परा कहां तक ठीक है ?

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order Please !!

(मेजों की थपथपाहट)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब ये सिर पीटते हैं अपने इस प्रकार, यह अच्छी परम्परा नहीं है....

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जनतन्त्री तरीका यह है कि कोई जनता का डिमौन्स्ट्रेशन यहां आता है तो मुख्य मन्त्री को हिम्मत करके जाना चाहिए, अगर अच्छे काम किए हैं, तो जनता में कहने चाहिये, मगर हिम्मत नहीं है, जनता इतनी दूर से आती है, उसके सामने जाने की....

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: Order ! order Please !! Order !!!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन के सामने यही पहला प्रदर्शन या डिमौन्स्ट्रेशन नहीं हुआ है, पहले भी हुए हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इतना बड़ा नहीं आया है....

श्री उपाध्यक्ष : order ! order !! order Please !!!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उन लोगों के डैपूटेशन यहां आये उनसे वहां मिलने नहीं गए....

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम इस प्रकार की परम्परा डलवाना चाहते हैं, कोई भी आये, हर एक के लिए जाना चाहिए....

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुख्य मन्त्री जायं, उन्हें जाना चाहिए....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Handa ! Order Please !! Order !!!

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार इस तरह कह कर फूट डालना चाहते हैं, जनता का कोई भी प्रदर्शन हो तो मुख्य मन्त्री को जाना जाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : Order i Order please !!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज तक जब भी प्रदर्शन यहां आए, तो इस सदन की, आज की नहीं ५२ से लेकर ६४ तक की यह परम्परा रही है कि जो भी प्रौसेशन आता है, या डिमौन्स्ट्रेशन होते हैं, उनका डैपुटेशन यहां आकर मिलता है, इसी तरह की बात यहां लाने की थी, आपके लीडर एच०के० व्यास ने कहा था कि आपके लीडर्स का डैपुटेशन यहां आकर बात करेगा। मैं नहीं समझा कि आप किस मूड में बात कर रहे हैं। आज तक की आगे की परम्पराओं का सवाल हमारे सामने है, उसके अनुसार कर रहे है। हमेशा जाते रहे हों और आज नहीं जाते तो इस प्रकार की बात रखी जा सकती थी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : विद्यार्थी आंदोलन में आप खुद गए थे....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order ! Order !

श्री मुरलीधर व्यास : विद्यार्थी आन्दोलन में आप गये थे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुरलीधर व्यास। Order please ! Order ! Order !

श्री मुरलीधर व्यास : विरोधी दल का कोई प्रदर्शन होता है तो वहां आप नहीं जाते हैं यह आपका पक्षपात है। पहले इन्टक का

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रदर्शन हुआ था तो हरिश्चन्द्र जी गये थे, होम मिनिस्टर गये थे ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please Order ! order !

श्री मुरलीधर व्यास : यह आपका पक्षपात है । जनता किसी दूसरे झंडे के नीचे आती है तो आपको अखरता है । कांग्रेस के झण्डे के नीचे आती है तो आप चले जाते हैं । हम यह कहते हैं कि चाहे किसी पक्ष के हों जो भी प्रदर्शन हो, उसमें आपको जाना चाहिये ।

(शोर गुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : Shame, Shame for the Chief minister. चीफ मिनिस्टर के लिये, शर्म की बात है कि इस तरह कुर्सी छुड़ कर बाहर चले गये, इस्तीफा दे देना चाहिये, शर्म आनी चाहिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनके कारनामे ही ऐसे हैं, कि उनको लज्जा आती है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please ! You are not prepared to hear the Chair even.

माननीय सदस्य केवल अपनी ही बात कह रहे हैं, दूसरों की नहीं सुन रहे हैं ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : वोटों के लिये तो लोगों के घर घर जाते हैं, और आज गरीब जनता यहां आई है तो....

(शोर गुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order माननीय हरिराम । Order please !

श्री हरिराम चौहान : बिड़ला के यहां मुख्य मन्त्री चले जाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Member. I hope, you will not compel me to take any unpleasant action. Order please !

(कोलाहल)

यह कोई व्यवस्था का ढंग नहीं है । आसन कुछ बात कहना चाहता है, आप उसे सुन लो इसके बाद कुछ कर लो । १२॥ बजे मुखबन्ध प्रयोग होना था । इस समय १२॥ बज रहे हैं। आप यह चाहते हैं कि जो बाहर प्रदर्शन है उसको जल्दी सुनवाई मिले तो मैं अब १२॥ बजे मुखबन्ध का प्रयोग करता हूं और सब मांगों को वोट पर रखता हूं उसके बाद जो कुछ होगा ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही २० मिनट के लिए स्थगित की जाय ।

राज्यपक्ष : No ! No !!

श्री उपाध्यक्ष : Not admitted.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Point of order......

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या १२....

श्री मानिकचन्द सुराणा : Point of order......

श्री उपाध्यक्ष : आप रूल्स को कंसल्ट करें। जिस वक्त क्वेश्चन पुट-अप किया जाता है, उस वक्त पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं रेज किया जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : गवर्नमेंट के रिप्लाई के बिना डिमान्ड्स वोट नहीं हो सकतीं।

(कोलाहल)

श्री उपाध्यक्ष : मुखबन्ध के बाद में यह कार्यवाही हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदन के इतिहास में यह पहली बार हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष (अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) : मैं जल्दी से इन मांगों को वोट पर रखता हूं।

(सर्व श्री रामकिशन, मुकुट बिहारीलाल व सुराणा के खड़े होने पर)

I Cannot......

श्री मानिकचन्द सुराणा : (अश्रव्य) We walk out, Sir.

(सर्व श्री रामकिशन, सुराणा द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार उनसे नहीं मिलना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात बिल्कुल अलग है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो हम वाक-आउट करते हैं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, श्री उमरावसिंह ढाबरिया व कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

मांग संख्या १२ व ३२–पुलिस व भारतीय नरेशों के निजी व्यय (पूर्वक्रम से)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,६३,३०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १२ स्वीकार की गई।

(शोरगुल)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,१०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३२ स्वीकार की गई।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): I Challenge.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : Point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: Order please ! I cannot hear anything.

श्री मुरलीधर व्यास : हम डिवीजन क्लेम करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक ६, भू–राजस्व के सम्बन्ध में........

श्री मुरलीधर व्यास : × × × × × × डिविजन हो....

(कोलाहल)

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन की व्यवस्था नहीं मानना चाहते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : × × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : हमारा पौइंट ऑफ ऑर्डर है, कि हम इस डिमांड पर डिवीजन कराना चाहते हैं । आप इस तरीके से मांग नहीं पास करवा सकते ।

अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाले गए ।

श्री उपाध्यक्ष : What is your Point of order ?

श्री मुरलीधर व्यास : हमारा क्लेम हैं कि इस पर डिवीजन कराया जाय ।

(शोरगुल)

हम इन डिमांडस को मन्जूर नहीं करते हैं । आप कैसे मन्जूर करवा रहे हैं ××××××

श्री उपाध्यक्ष : 'ना' पक्ष की आवाज नहीं आई थी ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप डिवीजन करवा दें । हम पुलिस की डिमांड को ना-मन्जूर करते हैं । यह मेरा पौइंट ऑफ ऑर्डर है । आपको मानना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : This is no point of order.

श्री मुरलीधर व्यास : I claim division, Sir.

(शोरगुल)

आप डिवीजन को नहीं मानते ।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन को डिक्टेट करना चाहते हैं । पोइंट ऑफ ऑर्डर कोई नहीं है । मैं कह चुका हूं कि नियमों के अनुसार पोइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया जा सकता ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसलिए फिर पौइंट ऑफ ऑर्डर...

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६– भूराजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने....

× × × × × × अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाले गए ।

श्री मुरलीधर व्यासः Point of order...

श्री उपाध्यक्ष : No Point.

श्री मुरलीधर व्यास : पौइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि आपने जो डिमांड रखी उस पर डिवीजन चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : There can be no point of order when the question is beingput.

श्री मुरलीधर व्यास : पुलिस की डिमांड को फिर से मन्जूर करवाइए।

श्री उपाध्यक्ष : Please see rule 294 (6) (C)—

"(6) A member shall not raise a point of order—

(C) When a question on any motion is being put to the House, or"

श्री मुरलीधर व्यास : उस समय मैंने पौइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया था।

(शोरगुल)

शेष मांगों पर मुख-बंध

मांग संख्या १--भू--राजस्व

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९—भूराजस्व के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,७९,८३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १ स्वीकार की गई।

श्री मुकुटबिहारी लाल : आज जो सदन में रवैया अपनाया गया है, उसके लिए मैं बड़े दुख के साथ वाकआऊट करता हूं।

(सर्व श्री मुकुटबिहारी लाल व श्री मुरलीधर व्यास द्वारा बहिर्गमन)

मांग संख्या २ राजकीय आबकारी कर

उपाध्यक्ष : That is all right.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में, किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७९,७६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४--बिक्री कर

प्रश्न यह है, कि मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२--बिक्री कर के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६९,१२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५--अन्य कर और महसूल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३--अन्य कर और महसूल के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९,९६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६--स्टाम्प्स

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १४--स्टाम्प्स के संबंध में ३१ मार्च १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,५६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ७--पंजीयन शुल्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७, मुख्य शीर्षक १५--पंजीयन शुल्क के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,१६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ८--संसद इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक १८--संसद तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विधान सभाओं के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २७,४५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ९-सामान्य प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ९ मुख्य शीर्षक १९--सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,४९,७४,००० रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ९ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ११-कारागार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२--कारागार के सम्बन्ध में ३१

(श्री उपाध्यक्ष)

मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३७,९३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ११ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या १३-विविध विभाग

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६--विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८८,२१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १३ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या २४ विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९--विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,६१,२१,००० रु. तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २४ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या २७-सार्वजनिक निर्माण-कार्य इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक

५०--सार्वजनिक निर्माण कार्य,

५१--सार्वजनिक निर्माण कार्य-भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयंत्र पर व्यय,

५२--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,४८,४६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या २७ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या २९--दुर्भिक्ष सहायता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ६४--दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को, १,७७,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या २९ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ३०--निवृत्ति वेतन इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३०--मुख्य शीर्षक ।

(श्री उपाध्यक्ष)

६५--निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ,

७२--निवृत्ति वेतनों का एक मुश्त दान,

के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,३८,५२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३० स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३१–प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६६- प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३० स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३३-लेखन सामग्री तथा मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ६८–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७०,७१,००० रु. तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३३ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३६-अन्य विविध अंशदान इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ७६,अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५५,६७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३७-राष्ट्रीय आपत्काल १९६२ से सम्बन्धित व्यय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३७, मुख्य शीर्षक ७८–का राष्ट्रीय आपत्काल १९६२ से सम्बन्धित व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,००,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३७ स्वीकार की गई।

Page No. 114

मांग संख्या ३८-भूमिधारकों सम्बन्धी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६२—भूमिधारकों इत्यादि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,००,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३८ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक १०३ सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,७७,७६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४३ स्वीकार की गई।

मांग संख्या-४४—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०९-अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राजपाल महोदय को ४,६२,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४६--निवृत्ति वेतनों के एक मुश्तदान की भुगतान

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२०-निवृत्ति वेतनों के एक मुश्तदान की भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को ३,६०,०००रु० तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४७--सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि माग संख्या४७, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ की समप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८४,३१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४७ स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या ४८--राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४८, मुख्य शीर्षक-था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय १६,०८,८४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४८ स्वीकार की गई।

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक १९६४ (पुरः स्थापन)

श्री **बालकृष्ण कौल** (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० २) बिल, १९६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री **बालकृष्ण कौल** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष**: सदन में आज हुई असंसदीय कार्यवाही विषयक वाद–विवाद एवं व्यवस्था........

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : On a Point of order, Sir. उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के बाद कार्यवाही में जो गलत बातें हुई हैं, उनको एक्सपन्ज कर दिया जाय। जो आक्षेप हुए है उनको एक्सपन्ज कर दिया जाय।

श्री **उपाध्यक्ष**: सदन के अन्दर पेन्डेमोनियम में जो कुछ वाद विवाद हुआ है वह स्वभावतः पेन्डेमोनियम में ही दर्ज हुआ होगा और पांच मिनट के लिये सदन को स्थगित किया गया था वह भी स्थगन के वक्त स्वतः ही निकल जाता है और उसके बाद सदन पीछे प्रारम्भ हुआ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : नहीं साहब, एक बार हाउस कब स्थगित किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry, it is a slip of tongue. I had asked the Hon. Members that I will be compelled to adjourn the House for five minutes. House has not been adjourned. What has been noted is noted and what has not been noted is not noted. Whatever is objectionable and unparliamentary will be excluded and the Chair will examine it what is unparliamentary.

श्री **ज्वाला प्रसाद शर्मा** Whetever expression they gave on your ruli-

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

ng and whatever happened after that was a digression on the ruling of the Chair and, therefore, I request that it should be expunged. It cannot be included in the proceedings of the House.

श्री उपाध्यक्ष : I have already informed the House that hon . Speaker will take necessary action required in this matter.

श्री निरंजननाथ अचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : What about the press,Sir ? It will go to the press, Sir.

श्री उपाध्यक्ष The press, I hope, shall not print such things.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल What Sir?

श्री उपाध्यक्ष : Which is unparliamentary and which might be exclued.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : The ruling should be clear.

श्री उपाध्यक्ष : The ruling is absolutely clear that after my observations, if there were any aspersions on the chair, or if there have been any unparliamentary expressions, they will all be expunged. But what was actually unparliamentary in it and what aspersions were cast in this pandemonium, all that could not be heard. It will be examined by the Chair and necessary action will be taken.

श्री निरंजननाथ आचार्य : Sir, there was pandemonium in the House and whatever happened after your having given the ruling must de erased from the proceedings.

श्री उपाध्यक्ष : Is it the desire of the hon. Members that all that happened after the ruling must be expunged ?

(Voices of yes, yes)

Then according to wishes of the hon. Members, I Can direct that all that happened atter my ruling shall be expunged.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी आपने किया उसके लिये मुझे कुछ निवेदन नहीं करना है। आखिर जहां वे यह सोचते हैं कि हम ही गम्भीरता से विचार करते हैं और हम नहीं करते ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि हाउस की प्रोसीडिंग को किसी तरह मजाक न बनाया जाय। इसमें देखने की यह चीज है कि कौनसी चीज डेरोगेटरी है कौनसी हाउस की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है कौनसी अनपार्लियामैंटरी है, कौनसी चीज ऐसी है जो एक्सपन्ज की जाय, उसके बारे में हम यहां पर निर्णय नहीं ले सकते। इसके बारे में माननीय अध्यक्ष को अधिकार है कि वे सब रेकर्ड में देखकर उस पर निर्णय ले सकते हैं। हम यहां पर बैठ करके यह निर्देश दे दें कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जो कुछ भी यहां कहा गया है वह सब का सब एक्सपन्ज कर दिया जाय, इससे बड़ी वेगनेस पैदा होगी।

मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं कि आप अपने आदेश से सारी प्रोसीडिंग को भी एक्सपन्ज कर दें। लेकिन जो प्रश्न है वह इससे भी बड़ा है। मैं इस सम्बन्ध में पूर्णतया सहमत हूं कि जो भी शब्द सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल, आसन के प्रतिकूल कहे हैं, डैरोगेटरी हैं, उनको निकाला जाय लेकिन यह निर्णय ले लेना कि उसके बाद जो भी कार्यवाही हुई है वह सारी की सारी एक्सपन्ज कर दी जाय, मैं समझता हूं उचित नहीं है। आखिर ये सब चीजें प्रेस में जायगी और प्रेस को यह निर्देश दिया जाय कि वे अन-पार्लियामेन्टरी बातें न छापें, आसन इस बात का निर्णय नहीं कर सकता। जो शब्द अन-पार्लियामेंटरी हों, जो वाक्य डैरोगेटरी हों, आसन उनको कार्यवाही से निकाल सकता है, लेकिन जो कार्यवाही हुई है, वह सारी की सारी नही निकाली जा सकती। हमारे यहां पर जो भी बातें प्रोसीडिंग में आती हैं, वह एक पवित्र वस्तु की तरह है, अगर उसमें कोई किसी प्रकार का कूड़ा करकट डालता है, कंकर डालता है, तो होना यह चाहिये कि उस कूड़ा करकट और कंकर को निकाला जाना चाहिये न कि सब्स-टैनशियल मैटर को ही निकाल दिया जाय। सारी की सारी सामग्री को उस कूड़े करकट के साथ नहीं निकाला जा सकता। उसके लिये आप एक स्ट्रोक ओफ दी पैन से यह निर्णय दे दें कि जितनी भी कार्यवाही हुई है, वह सारी की सारी निकाल दी जाय, रूलिंग के बाद की कार्यवाही एक्सपन्ज कर दी जाय मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में जो निर्णय हुआ है उस पर फिर से विचार किया जाय।

इसके अलावा अगर आप यह निर्णय दे देते हैं कि रूलिंग के बाद की सारी कार्यवाही को एक्सपन्ज कर दिया जाय तो उसके बाद मांगें भी सदन में रखी गई हैं तो क्या वे भी निकाल दी जायगी ?

एक माननीय सदस्य : डिमान्ड से पहले की कार्यवाही के लिये है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इसमें पूर्णतया सहमत हूं कि जो भी अन-पार्लियामेंटरी भाषा का प्रयोग किया है, डैरोगेटरी है, उसको निकाला जाना चाहिये। अगर आप वह स्ट्रोक ऑफ दी पैन से हटा देंगे, तो यह परम्परा ठीक नहीं होगी। हमारी प्रोसीडिंग में एक एक बात आती है, ताली पीटते हैं वह भी आती है, हीअर हीअर कहने की बात भी आती है, तो ऐसी हालत में मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप ने जो व्यवस्था दी है उस पर आप फिर से विचार करें, आप केवल उन शब्दों को जो डैरोगेटरी हैं, सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हैं, आसन की मर्यादा के प्रतिकूल हैं, उन्हीं को निकालने का आदेश दें, न कि पूरी की पूरी कार्यवाही को। यह भी आप सारी कार्यवाही को देख कर दे सकते हैं सारी चीजें यहां इसी समय निश्चित नहीं हो सकतीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): One clarification...

श्री उपाध्यक्ष : Shall I give my boservations on this ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Your discretion is very wide and it should be left to your discretion to do exactly as you please.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : मैं भी इस बात से सहमत हूं कि सारी प्रौसीडिंग्ज को देख लें उसके बाद जो इस प्रकार के शब्द हों, भाषा हो, उसको आप एक्सपन्ज करने का आदेश दें।

एक माननीय सदस्य : उचित भी यही रहेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : What about the press, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अभी जो माननीय ज्वालाप्रसाद के पौइन्ट ऑफ ऑर्डर पर व्यवस्था दी थी कि कार्यवाही देखने के बाद जो कुछ भी मेरी व्यवस्था होने के बाद कार्यवाही हुई उसमें जो अन-पार्लियामेन्टरी भाषा का प्रयोग व आसन के प्रति aspersions आये हैं उनको माननीय अध्यक्ष द्वारा देखा जाकर एक्सपन्ज किया जा सकेगा। इसके बाद सदन में सामान्य रूप से यह इच्छा प्रकट की कि मेरी व्यवस्था के बाद जो भी कार्यवाही हुई वह सारी की सारी प्रौसीडिंग्ज से हटा दी जाय। उस पर जो औब्जेक्शन माननीय सतीशचन्द्र ने किया और अपने विचार रखे जिसकी ताईद माननीय मुख्य मन्त्री ने की और जिसकी ताईद विरोध दल के माननीय नेता ने भी की मैं भी इसको उचित समझता हूं। मुझे जहां तक याद है व्यवस्थायें समय समय पर दो-तीन दी गईं। एक पर्टीकुलर व्यवस्था के बाद में सारी प्रौसीडिंग्ज को एक्सपन्ज करने से कुछ आगे दी गई व्यवस्थाएं भी एक्सपन्ज हो जावेंगी जो ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं उचित समझता हूं कि आसन सारी प्रौसीडिंग को देखकर उसमें जो सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल वाक्य कहे गये हों, अथवा अन-पार्लियामेन्टरी हों, उन सब चीजों को एक्सपन्ज कर दिया जायगा। बाकी सब कार्यवाही यथावत् रहेगी।

प्रैस को इस विषय में, मैं यह कहूंगा कि वे इसको बहुत ही संयत प्रकार से छापें। वे इस प्रकार का विवेचन न करें जिससे उनका प्रकाशन इस सदन के अन्दर चैलेन्ज हो सके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, प्रैस को आपकी तरफ से यह निर्देश दिया गया है कि वे इस तरह से न छापें जो सदन में चैलेन्ज किया जाय, संयत और संयम से छापें। मैं यह समझता हूं कि यहां चैलेन्ज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता जो सदन में कहा गया है वह छापा गया है। वे उसको किस तरह से छापें किस प्रकार छापें यह एन्टायर रैस्पोन्सिबिलिटी प्रैस की है। हमारी सदन की कार्यवाही में प्रैस गेलेरीज और ओफिशियल गेलेरीज कोई भाग नहीं ले सकतीं, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके बारे में यहां इन्डीकेशन नहीं दिया जा सकता। प्रैस स्वयं रैस्पोन्सिबल है, स्वयं इस बात के लिये संयम से काम लेता है। इसलिये उन पर वे किस प्रकार की बात छापें, क्या छापें इस बारे में पाबन्दी नहीं लगायी जा सकती। उप गृह मन्त्री महोदय जो भूतपूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं कभी उन्होंने इस प्रकार का संकेत किया है? प्रैस के लिये आसन

(श्री शतीश चन्द्र अग्रवाल)

से इस प्रकार की व्यवस्था दी है ? इससे यह प्रकट होता है कि राजस्थान के प्रैसेज में आपकी आस्था नहीं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : It is wrong. He should not play on their sentiments. बराबर आस्था है और आप से ज्यादा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके प्रति जब रिमार्क्स कसे गये थे आप भागते हुए नजर आये थे । क्या आपने भी कभी इसी प्रकार की व्यवस्था दी है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : भागा नहीं था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई व्यवस्था नहीं दी, गलत परम्परायें क्यों डलवाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रैस को आसन द्वारा किसी प्रकार का संकेत हो सकता है । इस बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की व्यवस्था के लिये, आसन की प्रतिष्ठा को रखने के लिये जो भी कदम इस आसन द्वारा उठाया जाता है उसमें हाई कोर्ट या और कोई कोर्ट इन्टरफियर नहीं कर सकता....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तक वह विवाद सुप्रीम कोर्ट में है ।

श्री उपाध्यक्ष : इसी व्यवस्था को रखने के संबन्ध में....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वारन्ट दोनों तरफ से निकल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी व्यवस्था को रखने के संबन्ध में जो भी उचित कार्यवाही की जाती है । वह सारी सदन की मर्यादा को कायम रखने के दायरे में आती है और इसलिये किसी भी सत्ता द्वारा हस्तक्षेप योग्य नहीं । लेकिन इसके अलावा अगर कोई इस प्रकार का कदम उठाया जाता है जो सदन की मर्यादा से संबन्धित नहीं, सदन की व्यवस्था से संबन्धित नहीं, वहां आसन गलती कर सकता है और वह सहज ही अपने अधिकार क्षेत्र से आगे चला जा सकता है ।

इसलिये मैंने यह आदेश दिया है प्रेस को कि वह संयमित रहेगा और यह आदेश एक प्रकार की अनुमति है और यह अनुमति देते हुए यह संकेत कर रहा हूं कि इस सदन की परम्पराओं को, प्रतिष्ठाओं को, सब का ख्याल रखते हुए जो कुछ भी प्रैस छापेगा, वह उसका छापना जायज ही होगा । जहां कहीं सदन की प्रतिष्ठा का सवाल आयेगा वहां सदन के सदस्यों को देखना है । यह भी प्रश्न आया कि प्रैस को छापने की लिबरटी है लेकिन लिबरटी का मतलब लाइसेन्स नहीं । Liberty does not mean license and I am stressing on that point.

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : (आसपुर) आसन की तरफ से यह निर्देश नहीं होना चाहिये ।

The House can rely on the exercise of your good offices to seek the

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

cooperation of the press in this connection.

श्री उपाध्यक्ष : आसन की तरफ से कोई आदेश नहीं, संकेत अवश्य है।

It is for the House itself if it wants to examine things that are derogatory to its prestige if it wants to preserve its dignity and independence.

आसन की तरफ से यह निश्चित संकेत है कि सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखना आसन का कर्तव्य है, सदन का हक है, और उसी की तरफ प्रेस को आगाह किया गया है कि वहां कहीं उनकी Liberty may not clash wth the lierty to the House to preserve its dignity and privilege.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : we have full confidence......

श्री उपाध्यक्ष : It also involves the question whether the House is free to express many things that it does express and which in ordinary course of law would be slanderous and treated according to the eaw of the land and there the House is free and unfettered and in that sense it is also always free to see and take suitable steps where its privileges are affected

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संकेत की दृष्टि से उदाहरण रूप संकेत आप दे दें कि ऐसी ऐसी चीजें वे न छापें।

श्री उपाध्यक्ष : The press is wise itself.

प्रेस स्वयं सोचेगा कि उसको क्या चीज छापने लायक है और क्या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसीलिये संकेत की बात मैंने कही है।

श्री उपाध्यक्ष : Now I think the discussion can start tomorrow.

The House is adjourned to meet at 2. O' clock in the morning tomorrow.

अनेक माननीय सदस्य : Two ?

श्री उपाध्यक्ष : At 8. O' clock in the morning tomorrow.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही आज म० प. १ बज कर २ मिनट पर दिनांक २७ मार्च १९६४ के म. पू. ८. बजे तक के लिये स्थगित हुई।

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, दिनांक २६ मार्च,१९६४)

स्कम्भ

१. तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

बानीना तालाव-तहसील गंगरार

टोडा भीम की नल योजना

राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट में किसानों को जमीन का पुख्ता अलॉटमेन्ट

एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स द्वारा सरकारी जीप का दुरुपयोग

नहरों में पानी की कमी

लाखेरी नगरपालिका की सीमा

जोधपुर डिविजन की लाईम स्टोन की खानों में एक्सीडेन्ट्स

गन्दा नाला, बारां

झुंझुनूं नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही

नम्बरदारी प्रथा तथा लगान की वसूली

इन्सपेक्टर जनरल द्वारा विभिन्न डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स का निरीक्षण

स्कम्भ

जलालिया बांध-जिला चित्तौड़गढ़

सिंचाई की दोहरी वसूली

"दी राजस्थान कारबार प्राईवेट लि. बयाना" से बकाया की वसूली

उदयपुर कृषि महाविद्यालय के बारे में आरोप पत्र

नैयड़ क्षेत्र--सांचोर

बाली पंचायत समिति क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनाएं

जयपुर के भूतपूर्व एस० पी० के विरुद्ध शिकायत

अखिल भारतवर्षीय एज्यूकेशन सोसाइटी (मध्य प्रदेश) की परिक्षाएं

नल योजनाओं के लिए भारत सरकार से प्राप्त धनराशि

हरिजनों को कुए से पानी

राजगढ़ नगरपालिका, के चुनाव

युवक कल्याण कार्य

जल प्रदाय योजना--लक्ष्मणगढ़

भूल से खालसे की गई उप-जागीरों को लगान की वापसी

जल प्रदाय योजना--मकराना

तहसील भादरा में हैल्थ सेंटर

अलाणिया बांध से प्रभावित ग्राम-वासियों को भूमि

[स्थगित प्रश्न]

[६-३-६४]

मान टाऊन स्कीम-सवाई माधोपुर

[स्थगित प्रश्न]

[१६-३-६४]

गांवों को नदी से खतरा-तहसील जालौर

२. अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक

हत्याओं के संबंध में गिरफ्तारियां

पुलिस-डकैत मुठभेड़ की घटनायें

जब्त की गई पुस्तकें

पीने के पानी की व्यवस्था--लूणकरणसर

अकाल स्थिति का स्थायी निराकरण

अकाल सहायता कार्य-जिला चूरू

राजस्थान भारत सेवक समाज

राजनैतिक पीड़ितों को जमीन का अलॉटमेन्ट-जिला गंगानगर

३. आयव्ययक, १९६४—६५

द्वितीय अवस्था

अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या १२ मुख्य शीर्षक २३-पुलिस

(२) मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते

उपरोक्त मांगें मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा प्रस्तावित की गईं। इन मांगों पर कुल १४० कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

मुख बन्द (Guillotine) के प्रयोग के पश्चात् उपरोक्त दोनों मांगों के अतिरिक्त निम्नांकित मांगें भी सदन द्वारा स्वीकार की गईं:—

क्रम संख्या	मांग संख्या	मुख्य शीर्षक
१	२	३
(१)	१	६—भू-राजस्व
(२)	२	१०—राजकीय आबकारी -कर

Page No. 123

(३)	४	१२—बिक्री-कर
(४)	५	१३—अन्य कर और महसूल
(५)	६	१४—स्टाम्प्स
(६)	७	१५—पंजीयन शुल्क
(७)	८	१८—संसद् राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विधान सभायें
(८)	९	१९—सामान्य प्रशासन
(९)	११	२२—कारागार
(१०)	१३	२६—विविध विभाग
(११)	२४	३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन
(१२)	२७	५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य—भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयन्त्र पर व्यय ५२—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत
(१३)	२९	६४—दुर्भिक्ष सहायता
(१४)	३०	६५—निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ ७२—निवृत्ति वेतनों का एक मुश्त दान
(१५)	३१	६६—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन
(१६)	३३	६८—लेखन सामग्री तथा मुद्रण
(१७)	३६	७६—अन्य विविध

अंशदान
और अभिह-
स्तांकन

(१८) ३७ ७८—का-राष्ट्रीय
आपत्काल
१९६२ से
संबंधित व्यय

(१९) ३८ ९२—भूमिधारकों
इत्यादि को
जमींदारी
प्रथा की
समाप्ति के
फलस्वरूप
क्षति पूर्ति
देना

(२०) ४३ १०३—सार्वजनिक
निर्माण
कार्यों पर
पूंजी की
लागत

(२१) ४४ १०९—अन्य
निर्माण
कार्यों पर
पूंजी की
लागत

(२२) ४६ १२०—निवृत्ति
वेतनों के एक
मुश्त दान
के भुगतान

(२३) ४७ १२४—सरकारी
व्यापार की
योजनाओं
पर पूंजी की
लागत

(२४) ४८ था—राज्य तथा
संघीय क्षेत्र
सरकारों द्वारा
ऋण तथा
अग्रिम

३. विधायी कार्य-पुरःस्थापित विधेयक

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री, ने सभा कि आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित किया।

शुक्रवार, दिनांक २७ मार्च, १९६४ की कार्य-सूची

राजस्थान विनियोग (संख्या) विधेयक, १९६४ पर (विचार—विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६७१ का उत्तर देखिये)

LIMESTONE LEASE AT

Years	Gotan		Mundawa		Mandla		Atbara		Wasni		Gagrana	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Jan. '63	40	-	24	-	29	10	88	32				
Feb. '63	75	-	23	-	78	19	69	22				
March'63	67	-	17	-	75	18	76	22				
April'63	52	-	11	-	63	15	66	23				
May'63	50	-	10	-	54	16	55	19				
June'63	39	-	19	-	65	16	52	14				
July'63	38	-	30	-	81	17	67	19				
Aug. '63	39	-	35	-	74	16	57	15				
Septr'63	33	-	32	-	67	14	70	23				
Octr'63	28	-	30	-	65	15	41	16				
Nov.'63	14	-	40	-	71	17	65	20				
Decr.'63	69	-	45	-	93	19	65	12				
Jan. '64	71	-	45	-	101	19	68	22	20	-	75	5

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बाली पंचायत समिति क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनाएं

६८५. श्री मोहनराज (बाली):— क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या बाली पंचायत समिति क्षेत्र में, पेरवा तालाब, मालारी एनीकट, फूलसागर एनिकट, प्रेमसागर एनिकट, लूनावा तालाब, घणी तालाब, लाठारा एनिकट व चामुडेरी तालाब, नामक लघु सिंचाई की योजनाएं सर्वे की हुई योजनाएं हैं और रिटर्न की दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद घोषित की गई हैं ?

(२) उक्त योजनाओं में से कितनी योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति दी जा चुकी और बाकी को कब तक दे दी जायगी ?

(३) क्या यह सही है कि इन छोटी योजनाओं के कार्य को धनाभाव के कारण ही अब तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ?

(४) क्या सरकार इनके लाभप्रद व अच्छे रिटर्न्स को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को शीघ्र ही पूरा करने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सूचना संलग्न है

(३) जी नहीं, इनके लिए जनता से उपयुक्त श्रमदान प्राप्त नहीं हो सका है।

(४) जी हां, यदि श्रमदान उपलब्ध हुआ तो।

सूची

नाम योजना	योजनाओं की स्थिति
१—परेवा तालाब	२५,०००) रु० स्वीकृत
२—फूल सागर	११,४२०) रु० ”

३—	प्रेम सागर	६,६३०) रु० "
४—	पालरी एनिकट	६,६१५) रु० "
५—	घनी तालाब	— अस्वीकृत
६—	लटारा एनिकट	लटारा बांध का कार्य प्रगति पर है।
७—	लुणावा तालाब	८,६४६) स्वीकृत दो भागों में ६,५००)
८—	चामुहेरी	रद्द कर दी गई।

जयपुर के भूतपूर्व एस० पी० के विरुद्ध शिकायत

६८६. श्री भैरोंसिंह, (किशनपोल, जयपुर):— क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि श्रीमती कृष्णादेवी बेवा नागसिंह राजपूत साकिन सुन्दरियावास ने फरवरी सन् ६१ में गृह मंत्री महोदय को एक लिखित शिकायत इस बात की पेश की कि उसके लड़के शिवजीसिंह को जयपुर के भूतपूर्व एस० पी०, श्री शीशराम ने सुन्दरियावास, जिला जयपुर के जंगल में डाकू आनन्दसिंह व भंवरसिंह के मरने के पश्चात् बुलाकर पेड़ से बांध दिया और फिर गोली से उड़ा दिया ?

(२) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच हुई है ? यदि हां, तो कब किस तरह और उसका क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

(१) अभी तक की जांच से ऐसी कोई लिखित शिकायत का आना पाया नहीं जाना।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखिल भारतवर्षीय एज्यूकेशन सोसाइटी (मध्यप्रदेश) की परीक्षाएं

६८७. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा):— क्या सामान्य प्रशासन मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे

क्या राजस्थान में अखिल भारतवर्षीय ऐज्यूकेशन सोसाइटी (मध्य प्रदेश) की परीक्षाओं को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ?

उत्तर

जी नहीं ।

नल योजनाओं के लिए भारत सरकार से प्राप्त धनराशि

६८८. श्री रघुवीरसिंह, (बाड़ी)— क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार से राजस्थान सरकार को नल व पानी की पंचायत एवं नगरपालिकाओं की नल योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने के लिये अलग धन राशि प्राप्त हुई है ? अगर हां, तो कितनी ?

(२) क्या बाड़ी नल योजना जो कि कई सालों से धनाभाव के कारण क्रियान्वित नहीं हो सकी है, अब पूरी हो सकेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(३) क्या सर मथुरा पंचायत को भी नल योजना के लिये इस धन राशि से रुपया प्राप्त हो सकेगा ?

उत्तर

(१) जी हां । ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिये ५० प्रतिशत मंजूरी सहायता के रूप में दी जाती है और शहरी जल प्रदाय योजनाओं के लिये १०० प्रतिशत ऋण दिया जाता है ।

(२) बाड़ी जिला भरतपुर की जल वितरण योजना ५,४६,१०० रु० की लागत की बनाई गई है । यह योजना भारत सरकार की सेवा में स्वीकृति के लिए भेजी जा रही है । जो स्वीकृति प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जावेगी ।

(३) इसके बारे में योजना स्वीकृत होने पर ही कुछ कहा जा सकता है । स्कीम बनाली गई है और वह अधीक्षक अभियन्ता को आवश्यक सुधार होने के लिए लौटा दी गई है । अधीक्षक अभियन्ता से स्कीम आने पर राज्य सरकार को ऋण की स्वीकृति एवं प्रशासकीय मंजूरी के लिए भेज दी जायगी ।

हरिजनों को कुएं से पानी

६८९. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि झंझेऊ गोली काण्ड के बाद जिस कुएं पर सवर्ण और

हरिजन पानी पीते थे वहां अब सवर्णों को उनकी आबादी और पशु धन के अनुसार अभी तक पानी देने का समय निर्धारित नहीं किया गया है ?

(२) क्या इस सम्बन्ध में वहां के ग्रामीणों ने जिलाधीश से कई बार प्रार्थना की है ?

(३) क्या यह सही है कि वे आज भी पानी लेने से वंचित हैं ?

उत्तर

(१) ग्राम भंभेऊ में कुएं से किसी को पानी भरने से नहीं रोका गया है। वे जब चाहें पानी भर सकते हैं, इसलिये समय निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(३) यह गलत है। कुएं पर सभी को पानी भरने की स्वतन्त्रता है और अब ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि किसी को पानी भरने से रोका गया हो।

राजगढ़ नगरपालिका के चुनाव

६६०. **श्री रावतराम** (सादुलपुर) : क्या शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजगढ़ नगरपालिका, जिला चूरू की अवधि कौनसी तारीख को समाप्त हो रही है ?

(२) क्या यह सही है कि राजगढ़ नगरपालिका वार्ड विभाजन के लिए सरकार ने आदेश दे दिये हैं ? यदि हां, तो कब और क्या नगरपालिका ने वार्ड विभाजन की कार्यवाही पूर्ण कर ली है ?

(३) क्या सरकार निश्चित तिथि पर नगरपालिका चुनाव करवा देगी ? यदि हां, तो क्या प्रारंभिक कार्यवाही पूरी कर ली गई है ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार इस नगरपालिका के चुनावों को टालने का प्रयत्न कर रही है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

उत्तर

(१) दिनांक १५-१०-६४ को।

(२) जी नहीं।

(३) चुनाव माह दिसम्बर, १९६४ को करा दिये जावेंगे ।

(४) यह सही नहीं है ।

युवक कल्याण कार्य

६९१. श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राज्य सरकार राज्य स्तर पर अलग से यूथ वेलफेयर के लिये विभाग कायम करना आवश्यक समझती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यही सही है कि राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के द्वारा यूथ वेलफेयर के लिये अलग २ कार्य किया जाता है ? यदि हां, तो किन २ विभागों के द्वारा ?

(३) क्या यह सही है कि विभिन्न विभागों के कार्यों के को-ऑर्डिनेशन के लिये कोई समुचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसे आवश्यक नहीं समझती है ?

(४) क्या यह सही है कि यूथ वेलफ़ेयर के ये सभी कार्य सिर्फ सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाते हैं ?

(५) क्या यह सही है कि राज्य में कार्य कर रहे विभिन्न युवक संगठनों का उनमें कोई योगदान नहीं होता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है ?

(६) क्या यह सही है कि अधिकतर धन राशि का दुरुपयोग होता है ?

(७) सन् ६२ व ६३ में किए गए कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) राज्य सरकार राज्य स्तर पर अलग से यूथवेलफेयर के लिये विभाग कायम करना आवश्यक नहीं समझती । इसका अधिकतर कार्य शिक्षा विभाग द्वारा सम्पन्न किया जा सकता है व हाल में किया जा रहा है ।

(२) यह सही है कि राज्य सरकार के कुछ और विभागों द्वारा यूथवेलफेयर के लिये अलग २ कार्य किये जारहे हैं, जैसे विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि, इत्यादि ।

(३) यूथवेलफेयर के लिये विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग का कार्य भी अधिकतर शिक्षा विभाग द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है। अतः अलग से इनके कोआॅर्डिनेशन के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(४) यूथवेलफेयर के सभी कार्य सरकारी अधिकारियों द्वारा ही संचालित नहीं किये जाते। कुछ ऐसी सार्वजनिक संस्थाएं भी हैं जो यूथवेलफेयर के कई कार्य करती हैं जैसे भारत स्काउट्स गाइड्स, भारत सेवक समाज, कृषक युवक समाज, युवक कांग्रेस इत्यादि, इत्यादि।

(५) राज्य में कार्य कर रहे अधिकतर विभिन्न युवक संगठनों का उनमें योगदान होता है।

(६) अभी तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(७) इस विभाग द्वारा किये गये कार्यों का विवरण इस प्रकार है :—

(१) एन० सी० सी० व ए० सी० सी०

एन. सी. सी. (Senier) के ६ हैडक्वार्टर हैं जिनमें २१,४५७ लड़के तथा ८६६ लड़कियां भाग ले रहे हैं १९६३ में ५० अफसरों को ट्रेनिंग दी गई है। जूनिया डीवीजन एन० सी० सी० के २२० ट्रुप लड़कों के हेतु जिन में ११,००० छात्र ५४ ट्रुप लड़कियों के लिये जिनमें २७०० छात्राएं हैं राज्य के विभिन्न उच्च, उच्चतर माध्यमिका विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं। ए० सी० सी० के छात्र छात्राओं की संख्य १,०६,६८० है।

(२) खेल-कूद

यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किये जाते हैं इस प्रकार हैं—

(१)	वैडमिंटन	जयपुर
(२)	तैराकी	अजमेर
(३)	बोली बोल	चूरू
(४)	फुटबाल	गंगानगर

जल प्रदाय योजना-लक्ष्मणगढ़

६६२. श्री बालूराम चौधरी (फतेहपुर) :—क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कस्बा लक्ष्मणगढ़ के लिये १२ लाख रुपये को जल प्रदाय योजना स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो कब स्वीकृत हुई ? नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ ने इस योजना के लिये अपनी मांग कब प्रस्तुत की थी ? क्या सरकार इसे चालू वित्तीय वर्ष में पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

कस्बा लक्ष्मणगढ़ के लिये ११,५६,४००) की लागत की जल योजना १६-६-६३ को स्वीकृत हो चुकी है। नगरपालिका ने इस योजना के लिए अपनी मांग ६–६–६० को प्रस्तुत की थी। योजना की शासकीय स्वीकृति के अनुसार नगरपालिका को योजना की कुल लागत का १।३ भाग जमा कराना था। वह अभी तक जमा नहीं हुआ है अतः योजना का कार्य रुका पड़ा है।

भूल से खालसे की नई उप-जागीरों को लगान की वापसी

६६३. श्री रघुवीरसिंह (मंडावा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि झुंझुनू जिले में भूल से कुछ उप-जागीरें मुख्य जागीर के साथ ही जागीर अधिनियम के तहत खालसे कर ली गईं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या थी ?

(२) क्या यह सत्य है कि ऐसी उप-जागीरों को भूल ज्ञात होने के पश्चात् खालसे से मुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या खालसे होने व मुक्त करने के मध्य में जो लगान वसूल किया। वह वापिस दिलाया गया ? यदि हां, तो कितनी उप-जागीरों को ?

(३) क्या यह सत्य है कि यद्यपि ७ वर्ष से अधिक बीत चुके हैं पर अभी तक अनेकों उप-जागीरों की उपरोक्त रकम वापिस नहीं दिलाई गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या उचित रकम रिफन्ड करने बाबत सरकार आदेश देगी जिससे इन छोटे जागीरदारों को परेशानी नहीं उठानी पड़े ?

उत्तर—

(१) जी हां। इनकी संख्या २०६ है।

(२) जी हां, जिनको लगान वापस दिलाया गया इनकी संख्या १६४ है।

(३) जी हां। कारण ये हैं—

(१) जागीरदार रिफण्ड लेने नहीं आये।

(२) जागीरदार के उत्तराधिकारी का सर्टिफिकेट पेश नहीं हुआ।

(३) कुछ जागीरदारों को हिसाब समझने के लिये बुलाया गया है और शीघ्र मुआवजा दिये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जल प्रदाय योजना—मकराना

६६४. **श्री जेठमल बरबेड़** (परबतसर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि मकराना नगर के लिए जल प्रदाय योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि मकराने में गर्मी के मौसम में कुओं में पानी सूख जाने से पीने के पानी की जनता को बड़ी परेशानी होती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त योजना का कार्य कब तक शुरू करेगी ?

उत्तर—

(१) जी हां। ६,२५,४०० की योजना है परन्तु अर्थाभाव के कारण अभी स्वीकृत नहीं हुई है।

(२) जी हां। धनराशि उपलब्ध होने पर ही यह योजना हाथ में ली जा सकेगी।

तहसील भादरा में हैल्थ सेंटर

६६५. **श्री हरदत्तसिंह** (नौहर) : क्या चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या तहसील भादरा, जिला गंगानगर के ग्रामों में सरकार एक हैल्थ सेंटर खोलना चाहती है ? अगर हां, तो कहां और उस स्थान के चयन का आधार क्या है ?

उत्तर—

जी हां। ग्राम छानी बडी में स्थान का चयन पंचायत समिति की सिफारिश पर निर्धारित रहता है।

अलाणिया बान्ध से प्रभावित ग्रामवासियों को भूमि

६६६. **कुंवर श्री महेन्द्रसिंह** (दिगोद): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या जिला कोटा, तहसील लाडपुरा में रानक्या खेड़ी, देवपुरिया, हनुत्या, सारनपुर, दमदमा इत्यादि ग्राम अलाणिया बान्ध की डूब में जून सन् १९६१ में आये थे?

(२) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामवासियों को अभी तक बसने के लिये कोई जगह नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(३) क्या उक्त ग्रामवासियों द्वारा मकान बनाने एवं खेती करने के लिये जमीन दिये जाने बाबत तहसील लाडपुरा में कुछ प्रार्थना-पत्र पेश किए गए हैं?

उत्तर—

(१) जी हां।

(२) उक्त ग्रामवासियों को बसने लिये जमीन दी जा चुकी है।

(३) जी हां, जिन ग्रामवासियों द्वारा प्रार्थना पत्र पेश हुये थे उन्हें भूमि दी जा चुकी है केवल ग्राम रेनक्या खेड़ी के २५-२६ व ग्राम हनोतिदा के १०-१२ काश्तकारान को आस पास जमीन न होने से दूर दी जा रही थी जिसको उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया। अब इन लोगों को दूसरी जमीन दी जावेगी।

(स्थगित प्रश्न)

(६-३-६४)

मान टाउन स्कीम—सवाई माधोपुर

२४४. वैद्य श्री गोविन्द सहाय, (गंगापुर):—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर स्टेशन पर मान टाउन स्कीम सर मिर्जा इस्माइल द्वारा १६४४ में बनायी गयी थी ? यदि हां, तो उसमें कितनी एकड़ जमीन एक्वायर की गई है तथा कितने किसानों को बेदखल किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि शहर के, तथा इलाके के लोग वहां जमीन खरीदने को तैयार हैं फिर भी उनको जमीन नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि सरकारी क्वार्टर बन चुकने के बाद भी बहुत बड़ा उपजाऊ जमीन का भाग खाली पड़ा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने का विचार रखती है तथा आगे इस स्कीम के बारे में क्या विचार है ?

उत्तर

(१) ७०५ बीघा जमीन ली गई थी। कितने किसानों को बेदखल किया गया, सूचना प्राप्त नहीं है।

(२) जी हां। मामला विचाराधीन है।

(३) जी हां। मामला विचाराधीन हैं।

(स्थगित प्रश्न)

(१६–३–६४)

गांवों को नदी से खतरा–तहसील जालौर

५३१. श्री विरदाराम फुलवारिया. (जालौर):—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम नरपडा व आकोली, तहसील जालौर के चारों ओर नदी बहती है और इस कारण वर्षा के दिनों में इन गावों को खतरा पैदा हो जाता है और गांव वालों के निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता ?

(२) क्या सरकार इनके लिये ओटा बंधवाने का या अन्य कोई समुचित प्रबन्ध करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जायेगा और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) यह सम्भव हो सकता है परन्तु इस विभाग को ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(२) आवश्यक कार्यवाही स्थान निरीक्षण व सर्वे आदि के बाद ही सम्भव हो सकेगी।

———

Page No. 137

परिशिष्ट--३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २२३ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THF NAMES OF POLICE PERSONNEL WHO WERE KILLED IN THE ENCOUNTERS WITH DACOITS DURING THE PERIOD FROM 1958 TO 1962 AS ALSO SHOWING THE PENSION/B. C. R. AND OTHER HELP SANCTIONED TO THEM.

S. No.	Name of the Police personnel killed during encounter.	Name of the office where posted.	Disignation.	Date of death.	Pension amount sanctioned	D.C.R.G. sanctioned	Other Monetary help sanctioned.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Shri Tara Chand I. P. S.	S. P. Jodhpur.	S. P.	13- 3-59	1. Widow Rs. 770/- P. M. 2. Three children @ 77/- P. M.	Rs. 6160/-		—
2.	Shri Khuman Singh.	Comdt. II Bn. R. A. C. Jaipur.	Constable.	-do-	1. Wife 68/- P. M. 2. Daughter @ 4/30. P. M.	Rs. 344/-	Rs.500/- Out of Raj. Police Benavolent Fund. Rs. 250/- out of R. P. B. F.	Pension case is pending for want of fixation.
3.	Shri Peoran Bahadur.	Comdt. 5th Bn. R. A. C.	H. C.	8-11-62	—	—	Rs. 250/-out of R. P. B. F.	—
4.	Shri Richpal Singh.	Comdt. 3rd Bn. Raisinghnagar.	Const.	1- 5-59	1. Wife @ Rs. 63/- P. M.	Rs. 504/-	Rs. 250/- Out of R. P. B. F.	—
5.	Shri Kan Singh	Comdt. 3rd Bn. R. A. C.	H. C.	10- 5-59	Wife Rs. 93/- P. M.	—	—	—
6.	Shri Dhanji.	MBC. Kherwara	Const.	6- 5-59	Wife Rs. 72/- P. M. Rs. 4/80- to each of the three children.	—	—	—
7.	Shri Mangi.	-do-	Const.	8- 5-59	As above.	Rs. 576/-	Rs. 250/- Out of R. P. B. F.	—
8.	Shri Lakh Singh.	Banner.	H. C.	13-4-61	As above.	—	Rs. 500/-	Pension case finalised but the amount to be gven to the survivuor, is yei to be settled.
	Shri Sri Ch[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २२६ का उत्तर देखिये)

....सूची....

क्रम संख्या.	नाम पोलिटिकल सफरर	विवरण
१.	श्री सोहनसिंह पुत्र जनसिंह साकिन पदमपुर	१२ बीघा १७ विस्वा जमीन राजस्थान पोलिटिकल ऐड कमेटी द्वारा दी जाने की सिफारिश उनके यू. ओ. नोट संख्या. एक.२५:४३:ओ.ए.।ए। ग्रुप १।६० दिनांक २१.१.६३ की गई है।
२.	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी लेट पं. जीवन दत्त साकिन गंगानगर।	१ मुरब्बा जमीन उक्त कमेटी ने यू. ओ. नोट संख्या. एस. १८:२५: बी. ए. । ६१ दिनांक २२. १. ६२ द्वारा दिये जाने की सिफारिश की गई है।
३.	श्री अमरकृष्ण व्यास, ऑफ जोधपुर।	सहायक सचिव, सिंचाई विभाग के पत्र संख्या, एफ, ७:१५४: सिंचायी,६१ दिनांक ६.२.६२ द्वारा २० बीघा भूमि चक नं० २२ डी. पी. एन, तहसील नौहर में दी जाना मंजुर की गई है।

शुद्धि-पत्र *

(मंगलवार, दिनांक २६ मार्च, १९६४)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
३	शीर्ष	—	(श्री दिनेशराय डांगी)
४	अन्तिम से २	श्री श्रवण लाल	श्री श्रवणलाल
५	३, ४	प्रश्न संख्या ६६५	प्रश्न संख्या ६६५
		श्री अध्यक्षः श्री शंकरलाल	श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल
		(अनुपपस्थित)	(अनुपस्थित)
,,	अन्तिम से ६	(लूनकरणसर)	(लूणकरणसर)
६	शीर्ष	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
११	शीर्षक	तारांकित प्र नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
१२	अन्तिम से ४	श्री भीमसेनः (लूणकरण सर)	श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :
१३	१	श्री योगेन्द्रनाथ हांडाः (रायसिंहनगर)	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) :
१७	१२	श्री मोहनलाल सुखडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
१९	शीर्ष	[श्री मनफूलसिह)	(श्री मनफूलसिंह)
,,	१२	श्री मनफूलसिह	श्री मनफूलसिंह
,,	१३	श्री मोहन लाल सुसाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
२६	१६	श्री रामप्रसादलड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
३०	७	(अनुपस्यित)	(अनुपस्थित)
३१	१४	स्वायत्त शासन मंत्री,	स्वायत्त शासन मंत्री
३४	१३	उप-मंत्री गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) :	उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) :
३९	१८	श्री अब्दुल जब्बांर	श्री अब्दुलजब्बार
४२	२४	प्राईवेट	प्राइवेट
,,	२६	क्यों	क्या
४३	५	लड्ढ :	लड्ढा) :
४६	अन्तिम से ६	श्री रामशिन	श्री रामकिशन
५०	अन्तिम से ४	श्री जोवसिंह चौहान	श्री जोधसिंह चौहान
५१	अन्तिम से २, २	(सांचोर)	(साचोर)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
५४ से ६४	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर -२६ मार्च, ६४-तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर –२६ मार्च, ६४– अतारांकित प्रश्नोत्तर
५५	शीर्ष	—	(गृह मंत्री)
,,	११	श्री मैंरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
५७	शीर्ष	—	(श्री मोहनराज)
५८	८	(सादुलपुर)	(सादूलपुर)
५६	शीर्ष	—	(श्री रावतराम)
६१	,,	—	(अकाल सहायता मंत्री)
६३	,,	—	(मुख्य मंत्री)
६४	२०	स्थान-प्रस्ताव विषयक	स्थगन--प्रस्ताव विषयक
६५	शीर्ष	—	(श्री अध्यक्ष)
,,	१	मांग संख्या १२--पुलिस	मांग संख्या १२–पुलिस
,,	११, १२	मांग संख्या ३२--भारतीय नरेशों के निजि व्यय तथा भत्ते	मांग संख्या ३२– भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते
,,	२१	मांग संख्या	[मांग संख्या]
,,	२३	(बारां. सु.)	(बारां–सु.)
६७	शीर्ष	—	(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
६६	,,	—	(श्री हरिराम चौहान)
७०	शीर्षक	न्यय	व्यय
७३	शीर्ष	—	(श्री विजयसिंह झाला)
,,	१२	श्री दुर्गालाल बाड़दार	श्री दुर्गालाल बाड़दार
७५	६	(झुंझुनूं)	(झुंझुनूं)
,,	१६	श्री रविशंकर याज्ञकि	श्री रविशंकर याज्ञनिक
७६	शीर्ष	—	(श्री गोविन्दसिंह)
८०	२०	श्री डूंगरराम राजोरिया	श्री डूंगाराम राजोरिया
८४	५	चोथमल वर्मा (मिणाय)	श्री चौथमल वर्मा (मिनाय)
८५	२१	(बागीदुरा)	(बागीडोरा)
८६ से ६६	शीर्षक	व्यय व भते	व्यय तथा भत्ते
८८	अन्तिम से ५	श्री ललित मोहन गोगुन्दा)	श्री ललितमोहन (गोगुन्दा)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
८६	१६	श्री तेजाराम गहलौत	श्री तेजाराम गहलौत
६१	शीर्ष	—	(श्री भैरोंसिंह)
,,	१६	करने हेतु) ।	करने हेतु)]
,,	२०	(बारा–सु०)	(बारां–सु.)
६५	शीर्ष	(श्री नुकटबिहारी लाल गोयल)	(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
६७	,,	(श्री मुकुटबिहारी गोयल)	(,, ,, ,, ,,)
१०३	,,	,, ,, ,,	(,, ,, ,, ,,)
१०५	,,	(श्री मुकट बिहारीलाल गोयल)	(,, ,, ,, ,,)
११२	२३	(राव श्री नारायण सिंह	(राव श्री नारायणसिंह
१२६	१५	order Please	Order please !
१४१	शीर्ष	(श्री रावकृष्ण गोयल)	(श्री राधाकृष्ण गोयल)
१४५	,,	(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)	(श्रीगोकुलप्रसाद शर्मा)
१५०	६	श्री गोकुल प्रासद कर्मा	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
,,	१३	श्री गोकुल प्रसाद शर्मा मैं	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं
१२५	४	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा :	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
,,	६	श्री अध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
१५३	शीर्ष	(महाराल श्री लक्ष्मणसिंह)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
,,	१६	(व्यवधन)	(व्यवधान)
१५८	३	(विधि मत्री)	(विधि मंत्री)
१६४	१६	**समय समाप्ति सूचक वंटी**	(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)
१६७	शीर्षक	पुलि व	पुलिस व
,,	शीर्ष	(श्री उपाध्यक्ष)	(श्री विजयसिंह झाला)
१७१	अन्तिम से २	श्री रघुनाश्र विश्नोई	श्री रघुनाथ बिश्नोई
१७५	शीर्ष	(श्री विजयसिह झाला)	(श्री विजयसिंह झाला)
१८१ से १८३	शीर्ष	(दुर्गालाल बाढदार)	(श्री दुर्गालाल बाड़दार)
१८२ से १८४	शीर्षक	व भते	तथा भत्ते
१८३	७	श्री दुर्गालाल बाढदार	श्री दुर्गालाल बाड़दार
,,	१६	श्री दुर्गालाल बांढदार	(,, ,, ,,)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१८४	५—६	विधान सभा भवन के बाहर प्रदर्शन विषयक वाद-विवाद	**विधान सभा के बाहर प्रदर्शन विषयक वाद-विवाद**
,,	अन्तिम से ६	श्री उपाध्यक्ष orde r Please	श्री उपाध्यक्षः Order Please !
१८५ से २१६ तक	शीर्षक	मांग संख्या १२ व ३२ -२६ मार्च, ६४- पुलिस व भा० नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते	विधान सभा भवन के बाहर -२६ मार्च, ६४- प्रदर्शन विषयक वाद—विवाद
१८६	४	(रायसिंहनगर)	(रायसिंहनगर)
,,	१६	श्री उपाध्यक्षः	श्री उपाध्यक्ष
१६१	८	(वित मन्त्री)	(वित्त मंत्री)
,,	१०, १६, २५	श्री माणिकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
१६२	६	,, ,, ,,	,, ,, ,,
,,	१४	श्री माणिचन्द सुराणा	,, ,, ,,
१६३	२०	श्री नीरंजननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
१६४	१६	श्री रामनन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
,,	२२	(शर--व्यवधान)	(शोर--व्यवधान)
१६६ से २०१	शीर्ष	(श्री माणिकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
२०५	१०	**(श्री हरिराम चौहनः बोलते रहे)**	(श्री हरिराम चौहान बोलते रहे)
२०८	४	श्री रामानन्द अग्रबाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
२१०	अन्तिम से ७	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :	—
२११	शीर्ष	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)	—
,,	१६	श्री रामानन्द अग्रबाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
२१६	६, ७	मांग संख्या १२ व ३२ -पुलिस (पूर्व क्रम से) व भारतीय नरेशों के निजी व्यय	**मांग संख्या १२ व ३२ -पुलिस** (पूर्व--क्रम से) **व भारतीय नरेशों के निजी व्यय**
११७	शीर्षक	-१७ मार्च, ६४	**--२६ मार्च, ६४--**
,,	२० के बाद	अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए	—

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
२१६	शीर्षक	मांगों पर मतदान--मार्च, ६४--मांगो पर मतदान	मांग संख्या १२ व ३२ पुलिस व भा० नरेशों के --२६ मार्च, ६४-- शेष मांगों पर मुख बंध
,,	अन्तिम से ६	शेष मांगों पर मुख बंध	शेष मांगों पर मुख-बंध
२२०	६, १०	श्री मुरलीधर व्यास	मुरलीधर व्यास
२२१ से २२६ तक	शीर्षक	मांगों पर मतदान -२६ मार्च, ६४-- मांगों पर मतदान	शेष मांगों पर --२६ मार्च, ६४-- मुख-बंध
२२७	शीर्ष	—	(श्री उपाध्यक्ष)
,,	अन्तिम से ४	संख्यां–	संख्या
२२६	१, ११, १२	मांग संख्या ४८ स्वीकार की गई राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक १९६४ (पुरः स्थापन)	मांग संख्या ४८ स्वीकार की गई राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६४ (पुरः स्थापन)
२३१ से २४०	शीर्षक	मांगो पर मतदान --२६ मार्च, ६४-- मांगों पर मतदान	राजस्थान विनियोग (संख्या २) -२६ मार्च, ६४- विधेयक, १९६४
२३१	१६	श्री शतीश चन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२३७	शीर्ष	(श्री सतीश चन्द अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
२३८	१	श्रीं	श्री
२४०	अन्तिम	स्थगित हुई।	स्थगित हुई)
२४१	शीर्षक	संक्षिप्त विवरण --२६ मार्च, ६४-- संक्षिप्त विवरण	—
,,	१ के सामने	स्कम्भ	स्कम्भ
२४३ व २४८ तक	१ के ऊपर	शीर्षक ——	शीर्षक १ स्कम्भ

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३		शुद्धि ४	
			स्कम्भ		स्कम्भ
२४३	१५ के सामने	शीर्षक		[illegible]	६४
२४४	४ के सामने	,,	,,	,,	६५
२४८	१५ के सामने	,,	,,	,,	२२६
२५२	३	भास्त		भारत	
२५३	१२	(सादुलपुर)		(सादूलपुर)	

* विस्तृत शुद्धि–पत्र बाद में मुद्रित होगा ।